

**CENTRAL
WAREHOUSING
CORPORATION
(STAFF)
REGULATIONS 1986**

UPDATED

**CENTRAL
WAREHOUSING
CORPORATION
(STAFF)
REGULATIONS 1986**

UPDATED



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 7) नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1986/फाल्गुन 9, 1907
No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1986/PHALGUNA 9, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

केन्द्रीय भाण्डागार नियम
(भारत सरकार का एक उद्यम)
नई दिल्ली, तारीख 28-2-1986
अधिसूचना

संख्या के०भा०नि०/14/4-स्था०—भाण्डागार नियम
अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का तथा केन्द्रीय सरकार को पूर्व संज्ञा के
केन्द्रीय भाण्डागार नियम एवम् द्वारा निम्नलिखित विनियम
बनाता है, अर्थात्—

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :—(1) इन
विनियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागारण नियम (कर्मचारी-बन्ध)
विनियम, 1986 है।

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम के सभी कर्मचारियों और उन सभी
सामग्री के बारे में जो संविदा द्वारा या प्रतिनियुक्ति के अर्थों
द्वारा, जहाँ भी स्थिति हो, विनियमित नहीं होते हैं, नियम

द्वारा संविदा पर या प्रतिनियुक्ति पर नियोजित सभी व्यक्तियों
पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ
में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत इन विनियमों में एक
परिशिष्ट है।

(ख) "निदेशक बोर्ड" से अभिप्रेत नियम का निदेशक
बोर्ड है।

(ग) "नियम" से अभिप्रेत भाण्डागार नियम अधिनियम,
1962 (1962 का 58) की धारा 3 के
अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार नियम है।

(घ) किन्तु कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के
संबंध में "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत
इन विनियमों के अधीन वह प्राधिकारी जो उस
पर शास्ति अधिरोपित करने के लिये सक्षम है।

(इ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत वह व्यक्ति जो निगम की पूर्णकालिक सेवा में है लेकिन निगम द्वारा विहाही पर नियोजित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है।

(घ) "कार्यकारी" समिति से अभिप्रेत निगम की कार्यकारी समिति है।

(ङ) "महा प्रबन्धक" से अभिप्रेत निगम या महा प्रबन्धक है।

(च) "संयुक्त प्रबन्धक (कामिक)" से अभिप्रेत निगम के प्रधान कार्यालय में निगम का संयुक्त प्रबन्धक (कामिक) है।

(झ) "प्रबन्धक निदेशक" से अभिप्रेत निगम का प्रबन्धक निदेशक है।

(ञ) "वेतन" से अभिप्रेत किसी कर्मचारी द्वारा वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और अन्य कोई परिलब्धियाँ, जिनमें भत्ते शामिल नहीं हैं, के रूप में ली गई राशि है, जो निदेशक बोर्ड द्वारा वेतन के रूप में विसिष्ट रूप से वर्गीकृत की जायेगी।

(ट) "कामिक प्रबन्धक" से अभिप्रेत निगम का कामिक प्रबन्धक है।

(ठ) "सरकारी संस्थान" से अभिप्रेत एक निकाय, नियमित अथवा/नहीं है, जो सरकार के पूर्णतया या पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में है।

(ड) "क्षेत्रीय प्रबन्धक" से अभिप्रेत निगम के किसी क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी है।

(ण) "नियमित कर्मचारी" से अभिप्रेत वह कर्मचारी जो नियुक्ति प्राधिकारों की संतुष्टि के अनुसार परिक्षा की अवधि को पूरा किया गया घोषित किया गया है।

(त) "चयन समिति" से अभिप्रेत निगम में विभिन्न पदों के लिये कामिकों का चयन करने के लिये नियम के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त एक समिति या नियुक्ति प्राधिकारों हैं और इसमें विभागीय प्रोन्नति समिति शामिल होगी।

(थ) अस्थायी कर्मचारी से अभिप्रेत आरम्भिक नियुक्ति पर परिश्रमा पर कोई कर्मचारी है।

3. व्याख्या :—यदि इन विनियमों को व्याख्या करने या लागू करने में कोई सन्देह या कठिनाई पैदा होती है या यदि इन के प्रयोग में कोई दृष्टि, असंगति या विरोधाभास का पता लगता है तो निदेशक बोर्ड सामान्य अनुदेश जारी कर सकता है जो अधिनियम और उसके अर्थात् बनाये गये नियमों और विनियमों या समय-समय पर सरकार ऐसे सन्देह, कठिनाई, दृष्टि, असंगति या विरोधाभास को दूर करने के प्रयोजन के लिये नियम पर लागू होने को सीमा तक जारी किये गये अनुदेशों के अंतर्गत नहीं है।

अध्याय 2

सेवा की सामान्य शर्तें

4. पदों का वर्गीकरण :—निगम के पदों का निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण किया जायेगा :—

समूह "क"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 1300 रुपये से कम नहीं है।

समूह "ख"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 900 रुपये से कम नहीं है लेकिन 1300 रुपये से कम है।

समूह "ग"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 290 रुपये से ऊपर है लेकिन 900 रुपये से कम है।

समूह "घ"—वे पद जिनका वेतन या वेतनमान अधिक से अधिक 290 रुपये या कम है।

टिप्पणी : उपर्युक्त वर्गीकरण विद्यमान वेतनमानों पर आधारित है और वेतनमानों के पुनर्रक्षण होने पर तदनुसार उनमें पुनर्रक्षण किया जायेगा।

5. पदों का सृजन :—निदेशक बोर्ड अपने कार्यों को करने के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रवर्गों के अन्तर्गत पदों की संख्या का समय-समय पर अवधारण करेगा।

निम्नलिखित प्राधिकारों नियम में नये अथवा अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिये सशक्त होंगे।

प्राधिकारों	पद का प्रवर्ग
निदेशक बोर्ड	निदेशक बोर्ड स्तर के नीचे का कोई पद।
प्रबन्ध निदेशक	निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धान्तों और मार्ग-दर्शा सिद्धान्तों के अर्थात् किसी प्रवर्ग में कोई पद जिसका अधिकतम वेतन 1600 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

6. नियुक्ति प्राधिकारों :—परिशिष्ट 1 में स्तम्भ 2 में उपर्युक्त प्रकार के पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिये सक्षम प्राधिकारों वे होंगे जो उस परिशिष्ट के स्तम्भ 3 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं।

7. नियुक्तियों के संघ में साधारण शर्तें :—निगम की सेवागत सभी नियुक्तियों पर निम्नलिखित साधारण शर्तें लागू होंगी :—

(क) कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का न हो प्रारम्भिक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ख) निगम की सेवा में नियुक्ति के लिये आवश्यक है कि उम्मीदवार :—

(1) भारत का नागरिक हो, अथवा

(2) नेपाल की प्रजा हो, अथवा

- (3) भूदान की प्रजा हो, अथवा
- (4) तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से भारत आया हो; अथवा
- (5) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी बङ्गाल के केन्या, उगांडा, तथा तन्जानिया संयुक्त गणराज्य (मूतपूर्व टांगेन्याका तथा जंजीवार) जाम्बिया, मालदीव, जायर, इथोपिया और वियतनाम देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु यह कि प्रवर्ग (2), (3), (4) और (5) के उम्मीदवार के लिये ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र दिया गया हो ।

- (ग) वह उम्मीदवार जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र दिये जाने के अधीन रहते हुए, सम्मिलित किया जा सकेगा और अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा ।
- (घ) कोई व्यक्ति तब तक आरम्भतः नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अहित/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाये कि वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिये चिकित्सीय दृष्टि से ठीक है ।

स्पष्टीकरण : जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अल्पया निदेश न दे इस उपबन्ध का लागू किया जाना सीधी भर्ती द्वारा नियमित नियुक्तियों तक ही सीमित होगा ।

- (ङ) वह व्यक्ति जो पहले ही विगम की अथवा राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं उपक्रमों की सेवा से पदच्युत अथवा अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जा चुका हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
- (च) कोई भी व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अक्षयता अन्तर्वर्तित है सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
- (छ) कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा जो पति या पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह करता है, विगम की सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञात है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

- (ज) खण्ड (घ), (ङ), (च) और (छ) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह व्यक्ति सभी प्रकार से नियुक्ति के योग्य है ।

8: नियुक्ति की रीति :—(1) विगम की सेवा में नियमित नियुक्तियों केवल परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट ऐसे पदों जो कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किए गए हैं, पर की जा सकेंगे और ऐसी नियुक्तियां—

- (क) उक्त परिशिष्ट 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट किसी भी रीति के अनुसार; अथवा
- (ख) विगम की सेवा में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के स्थाई रूप से भ्रामेलन द्वारा;

की जाएगी ।

(2) जहां किसी पद के सम्बन्ध में, उस पद पर नियुक्ति की रीति के संदर्भ में कोई अर्हता या आयु सीमाएं परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट की गई हों, तो उस प्रवर्ग में उस रीति से केवल ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अर्हताएं धारण करते हों तथा आयु सीमाओं के अन्दर हों :

परन्तु यह कि बोर्ड, प्रादेश द्वारा परिशिष्ट 2 में व्यक्तियों के वर्ग अथवा प्रवर्ग के लिए दिए गए भर्ती नियमों के किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(3) इन विनियमों में किसी भी बात के होते हुए और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन विगम में किसी भी पद पर नियुक्तियां निम्नलिखित रूप में की जा सकेंगी :—

- (क) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा निदेशक बोर्ड के पूर्वानुमोदन से, किसी निजी क्षेत्र के उपक्रम के उपयुक्त अधिकारियों की तीन वर्ष की आरम्भिक अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ख) केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार अथवा विगम की सेवा से अतिवर्षता पर निवृत्त कर्मचारियों का अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियोजन द्वारा; किन्तु, ऐसा पुनर्नियोजन निदेशक बोर्ड की धैर्य के निम्नतर प्राधिकारी द्वारा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से मंजूर किया जाएगा ;
- (ग) अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेषतः अस्थायी आधार पर;

(घ) ऐसे निबंधों और भर्तों पर जैसे कि निदेशक बोर्ड द्वारा भवधारित किए जाएं, विशेष संविदा पर।

9. भर्ती और प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया

(क) सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया :—(1) सीधी भर्ती को निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य भर्तुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) चयन किए गए उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियुक्ति से पूर्व, नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस निमित्त भर्तुदेशित अहित चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष, चिकित्सीय जांच के लिए उपस्थित हों। चिकित्सीय जांच के लिए सदैव फीस नियम द्वारा दी जाएगी।

(ख) प्रोन्नति के लिए प्रक्रिया :— (1) परिशिष्ट 2 में उल्लिखित चयन पदों के संबंध में प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर इस बात के अधीन रहते हुए कि कर्मचारी योग्य है, की जाएगी।

(2) परिशिष्ट 2 में उपर्युक्त चयन पदों के संबंध में प्रोन्नति योग्यता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता पर विचार केवल तभी किया जाएगा जब प्रतियोगी अभ्यर्थियों की योग्यता समान है।

(3) सभी प्रोन्नतियों पर इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और वे निदेशक बोर्ड द्वारा, अभ्यर्थियों के चयन के क्षेत्र, नामिका के प्रकार और नाशिका की अधिमान्यता की बाबत जारी किए गए साधारण भर्तुदेशों द्वारा विनियमित होंगी।

(ग) निगम के अधीन सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण :—निगम की सेवा में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य व्यक्तियों के प्रवर्गों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आरक्षण, आयु सीमाओं में शिथिलता और अन्य रियायतें दी जाएंगी। प्रबन्ध निदेशक तदनुसार ब्योरावार प्रशासनिक आदेश जारी कर सकेगा।

10. परीक्षा :—(1) किसी पद पर नियमित रूप से भयवा सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक परीक्षा पर रहना होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार परीक्षा की अवधि को अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकेगा।

(3) परीक्षा की अवधि के दौरान सीधी भर्ती किए गए कर्मचारी को एक मास की सूचना देकर भयवा उसके बदले में बैठन देकर, कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना सेवा मुक्त किया जा सकेगा। सीधी भर्ती द्वारा उच्चतर

पद पर नियुक्त किए गए विभागीय उम्मीदवार को परीक्षा की अवधि के दौरान बिना सूचना के तथा कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना, ऐसी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारक मूल पद पर भवनत किया जा सकेगा।

(4) परीक्षा अवधि के दौरान निम्नतर पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नत किए गए कर्मचारियों को बिना सूचना के और कोई कारण समनुदिष्ट किए बिना निम्नतर पद पर भवनत किया जा सकेगा।

(5) जहां किसी कर्मचारी ने किसी पद पर नियमित नियुक्ति होने से ठीक पूर्व किसी पद पर अविच्छिन्न भस्यायी सेवा की हो भयवा प्रतिनियुक्ति पर अविच्छिन्न सेवा की हो तो इस प्रकार भस्यायी रूप से भयवा प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा की अवधि की गणना, यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो, परीक्षा की अवधि के प्रति की जाएगी। तथापि, इससे वरिष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस घेरे में वरिष्ठता के सामान्य नियमों द्वारा शासित होगी।

11. विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा :—निगम की सेवा में प्रयत्न नियुक्ति के समय प्रत्येक व्यक्ति को पद ग्रहण करने से पूर्व परिशिष्ट 3 पर प्रपत्र में विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करनी होगी। ऐसी घोषणा उसे उस अधिकारी के समक्ष करनी होगी जिसे वह द्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है और यह सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होगी।

12. सेवा के लिए दायित्व :—निगम के अधीन किसी पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति को भारत में भयवा बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

13. प्रशिक्षण :—सभी कर्मचारियों को उस अवधि के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और ऐसी परीक्षाएं देनी होंगी जो निगम द्वारा समय-समय पर विहित की जाएंगी।

14. वरिष्ठता :—निगम में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता निम्नलिखित प्रकार से भवधारित होगी :—

(1) सीधे भर्ती कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस योग्यता क्रम के अनुसार भवधारित की जाएगी जिस क्रम में ऐसी नियुक्ति के लिए उनका चयन किया जाता है। जब दो या अधिक अभ्यर्थियों को प्रथम स्थान पर और एक ही चयन में समान योग्यता का होना घोषित किया जाता है तब उनकी सापेक्ष वरिष्ठता अन्य विधि द्वारा भवधारित की जाएगी, मायु में बड़ा अभ्यर्थी वरिष्ठ होगा। पूर्वतर चयन के परिणाम के अनुसार नियुक्त व्यक्ति तदुपरोक्त चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होगी।

(2) अंगत: सीधी भर्ती द्वारा और अंगत: प्रोन्नति द्वारा अंगत: पद के प्रवर्षों में प्रोन्नतियों और सीधी भर्तियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के अधीन रहते हुए वरिष्ठता के भवधारण की कसौटी प्रोन्नतियों के मामले में प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में दिशा गया क्रम होगी और सीधी भर्तियों के मामले में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा तैयार योग्यता क्रम होगी। वरिष्ठता का भवधारण करते समय, प्रोन्नति को सीधी भर्ती से उस अनुपात में ऊपर रखा जाएगा जिस में भर्ती की गई है।

(3) सभी समूह "घ" पदों और समूह "ग" में वेबर-हार्जसिंग सहायक ग्रेड-2 के पदों की वरिष्ठता क्षेत्रीय आधार पर बनायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: पैराग्राफ (3) के प्रयोजन के लिए नियम के प्रधान कार्यालय को एक प्रलग सेल के रूप में समझा जाएगा।

15. प्रोन्नति पर वरिष्ठता:—सूक्ष्मतर चयन पर प्रोन्नति के लिए चुने गए अधिकारियों बाद में चुने गए अधिकारियों से, पद ग्रहण की तारीखों को विचार में लाये बिना वरिष्ठ होंगे। यदि प्रोन्नति आदेश में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं उनकी वरिष्ठता संगत प्रोन्नति नियमों के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार होगी।

16. स्थानान्तरण पर वरिष्ठता:—क्षेत्रीय वरिष्ठता वाले पदों पर यदि कर्मचारी का नियम के हित में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण किया जाता है, तो कर्मचारी की वरिष्ठता, प्रवर्षावधि, ग्रेड में प्रोन्नति/नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में विनियमित की जाएगी, तथापि, यदि कर्मचारी के पदोत्तरी पर स्थानान्तरण होता है तो ग्रेड में अन्तरित कर्मचारी की सेवा अवधि का विचार किए बिना नये क्षेत्र में संगत ग्रेड में कर्मचारियों से नीचे निर्धारित की जाएगी।

17. श्रांति के कारण वरिष्ठता में भवन्ति:—(1) उस कर्मचारी की वरिष्ठता जिसका वेतन अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसी काल वेतनमान में कम कर दिया जाता है, ऐसा आदेश द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

(2) किसी कर्मचारी की वरिष्ठता जिसकी अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी निम्नतर ग्रेड या पद पर भवन्ति की जाती है और श्रांति अधिरोचित करने वाले आदेश में ऐसी भवन्ति की अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे कर्मचारी को पुनः प्रोन्नति के लिए विचारार्थ पात्र होने के लिए भवन्ति ग्रेड/पद में विहित भर्तूक सेवा करनी अपेक्षित होगी। पुनः प्रोन्नति होने पर ऐसे किसी कर्मचारी की वरिष्ठता अपनी भवन्ति से पूर्व ऐसी सेवा/विध में उसके द्वारा की गई सेवा

के बारे में ध्यान रखे बिना पुनः प्रोन्नति की तारीख से भवन्ति की जाएगी वहाँ किसी निम्नतर ग्रेड या पद या निम्नतर काल वेतनमान में भवन्ति की श्रांति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए है, वहाँ संबंधित कर्मचारी जिस पद से उसकी भवन्ति हुई थी, उस पर अपने भाष ही पुनः प्रोन्नति हो जाएगी और मूल ग्रेड या पद या काल वेतनमान में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। यदि उससे उसकी भवन्ति न हुई होती।

18. धामेलन पर प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की वरिष्ठता:—

(1) यदि प्रतिनियुक्त कर्मचारी उसी ग्रेड में धामेलित होता है जिसमें प्रतिनियुक्ति पर मूलतः नियुक्ति हुई थी तो उसकी वरिष्ठता-नियम में उस ग्रेड में प्रतिनियुक्ति पर उसकी मूल नियुक्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

(2) एक ही ग्रेड में सीधी भर्ती या प्रोन्नत हुए कर्मचारी के मुकाबले में धामेलन पर प्रतिनियुक्ति कर्मचारी की वरिष्ठता ग्रेड में नियुक्ति की तारीख के आधार पर निरिपत की जाएगी। जब सीधी भर्तियों, प्रोन्नतियों के मामले में नियुक्ति के आदेश की तारीख और प्रतिनियुक्ति पर भाए कर्मचारियों के मामले में धामेलन की तारीख एक ही पट्टि होती है तब प्रतिनियुक्ति पर भाए कर्मचारियों को सीधी भर्तियों से ऊपर रखा जाएगा लेकिन चयन के समय तैयार सीधी भर्तियों की भाषती वरिष्ठता के अधीन प्रोन्नतियों के नीचे रखा जाएगा।

19. पदत्याग:—(1) कोई भी कर्मचारी नियम की सेवा से बिना लिखित में उचित सूचना दिए जो नियमित कर्मचारी के मामले में तीन मास और परिवोक्षा पर व्यक्त के मामले में एक मास होंगे, पद त्याग नहीं कर सकेगा। नियमित कर्मचारी को सीधी भर्ती के प्रति या तो प्रोन्नति पर भयवा नियुक्ति पर परिवोक्षा पर उच्चतर पद धारण कर रहा है, को भी तीन मास की सूचना देना अपेक्षित होगा। परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी सूचना कर अधिव्यजन करने की स्वतन्त्रता होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पद त्याग की सुरक्षा प्रभावों रूप से स्वीकार कर सकेगा भयवा सूचना की अवधि के भवजन के पूर्व किसी भी समय स्वीकार कर सकेगा।

(3) कोई भी कर्मचारी जिसने पद त्याग करने की सूचना दी है, बिना प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुमोदन के उसे वापस नहीं ले सकेगा।

(4) कर्मचारी द्वारा किया गया पद त्याग सीधी भर्तियों होगा जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है और कर्मचारी को कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाता है।

(5) बिना उचित सूचना दिए और प्रबन्ध द्वारा उसने पद त्याग की स्वीकार किए बिना और बिना औपचारिक रूप से अपने कर्तव्यों से मुक्त नियम की सेवा छोड़ने वाला कर्मचारी इन विनियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का पात्रो होगा।

(6) जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट भवधि के लिए नियम की सेवा करने के लिए बंधन के अधीन है, उसे सूचना भवधि के प्रतिरिक्त प्रतिभूति बंधन के अधीन यथा विनिर्दिष्ट राशि को नियम को सतिपूर्ति करनी होगी। परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक प्रत्येक मामले के गुणवत्तियों पर निर्भर करते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसी सतिपूर्ति की अपेक्षा का सारा या भागवत भवित्यजन कर सकता है या अन्यथा निदेश दे सकता है।

20. सेवा को समाप्त और सेवोन्मुखितः—(1) जैसी सेवा की संविदा में विनिर्दिष्ट रूप से व्यवस्था की गई है, को छोड़कर नियम निम्नलिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले वेतन का भुगतान कर किसी कर्मचारी को किसी समय सेवोन्मुखित या कर्मचारी को सेवा समाप्त कर सकता है :—

कर्मचारी का प्रवर्ग	सूचना की भवधि
(क) नियमित कर्मचारी	तीस मास
(ख) अस्थायी कर्मचारी	एक मास

(2) नियम द्वारा अन्य बातों के साथ निम्नलिखित आधारों पर भी कर्मचारी को सेवा को समाप्त की जा सकेगी :

- (क) पद की समाप्ति पर ;
- (ख) चिकित्सीय आधार पर प्राये सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर ;
- (ग) दिवालिया ;
- (घ) किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक अपराध जिसमें नैतिक अवयवता हो, सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
- (ङ) प्रबन्ध की बिना लिखित में अनुमति से किसी अन्य जगह नौकरी करता हो या कर्तव्य से छूटो की भवधि के दौरान अन्यत्र काम करता हुआ पाया गया हो ;
- (च) नियम द्वारा किसी कर्मचारी को विश्वसनीयता या विश्वास का पद या उसके कर्तव्यों के स्वरूप के कारण पद सम्भारत रहा है, में विश्वास की हानि ;
- (छ) यदि कोई कर्मचारी तपेदिक, कुष्ठ, मानसिक या परिदृष्टि रोगों या निचले/ऊपरी भाग के भंग के कारण पीड़ित है तो उसको 24 मास से अधिक की सजातार भवधि के लिए बीमारी के आधार पर अनुपस्थिति।
- (ज) छूटो देने वाले सक्षम प्राधिकारी की विज्ञा लिखित अनुमति से एक मास से अधिक अवधि के लिए भवधिकृत अनुपस्थिति।

21. अधिर्वापिता और सेवा-निवृत्ति :—(1) नियम की सेवा में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी जिस मास में उसकी 58 वर्ष की आयु होती है, उसके अन्तिम दिन को सेवा-निवृत्त हो जाएगा, परन्तु यह कि यदि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि मास को पहली तारीख है तो वह 58 वर्ष की आयु होने पर पिछले मास के अन्तिम दिन के अन्तर्गत को सेवा से निवृत्त हो जाएगा।

(2) ऊपर खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी नियुक्त प्राधिकारी को यदि राय हो कि ऐसा करना नियम के हित में है, तो उसे इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्रवर्ग "क", "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारी को यदि उसकी आयु 50 वर्ष हो गयी है तो कम से कम स्पष्ट तीन मास की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर सेवा-निवृत्त कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रवर्ग से संबंधित कोई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु का हो जाने के पश्चात् नियुक्त प्राधिकारी को कम से कम स्पष्ट तीन मास की लिखित सूचना देकर नियम की सेवा से स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो सकेगा।

स्पष्टीकरण : 1. उप नियम (2) के अधीन दी गई सूचना को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य होगा, बशर्ते कि स्वेच्छया सेवा निवृत्त के लिए अनुज्ञा के किसी प्रकार की अनुपस्थिति में, वह नोटिस की भवधि के अवसान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

स्पष्टीकरण : 2. जिस कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त का पत्र दिया है और उप नियम (2) के अधीन एक सूचना दी है, वह बिना नियुक्त प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अपनी सूचना वापस नहीं ले पायेगा।

(3) ऊपर खण्ड (1) और (2) में दी गई कोई बात सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को सम्पूर्ण सूचना देकर या उसने बदले में वेतन देकर उस दशा में सेवा-निवृत्त कर देने के अधिकार पर प्रभाव डालने वाली होगी जब किसी ऐसे स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा जिसे प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट कर ऐसा प्रमाणित किया जाए कि वह कर्मचारी सजातार बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण और प्राये निरन्तर सेवा करने योग्य नहीं रह गया।

(4) सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि कोई कर्मचारी सजातार बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण और प्राये निरन्तर सेवा करने के योग्य नहीं रह गया है, उप कर्मचारी को उसके अपने अनुरोध पर सेवा निवृत्त होने की आज्ञा दे सकेगा।

अध्याय 3

22. वेतनमान : (1) नियम के विभिन्न प्रवर्गों के पदों के लिए लागू होने वाले वेतनमान परिशिष्ट-2 सारणी के इत्तम संख्या 4 में वर्णित है।

(2) नियम में विभिन्न पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के अधिकारों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के वेतन और शर्तों का नियम और उधारदाता संघटन के बीच घापस में तयशुदा विदेश सेवा की ऐसी शर्तों और निबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

23. (1) मंहगार्दी भत्ता : अब तक नौकरी की शर्तों और निबन्धों में धन्यभा न बताया गया हो, प्रत्येक कर्मचारी भारत सरकार अथवा मंत्रालय में अथवा व्यूरो द्वारा 1960=100 श्रृंखला या सरकार द्वारा विहित की गई ऐसी धन्य श्रृंखला पर प्रकाशित अधिस भारतीय उद्योगोत्पाद मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यास्त की गई दरों पर औद्योगिक मंहगार्दी भत्ता लेने के लिए पात्र होगा।

(2) धन्य भत्ते : नियम, निदेशक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, समय-समय पर किन्हीं धन्य भत्तों की किस्में और शर्तों और निबन्धन विहित कर सकेंगा जिनके अनुसार ऐसे भत्त मंजूर किए जा सकेंगे। मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता की धदधकी को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए नगरों और शहरों का वर्गीकरण यही होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

परन्तु यह कि इस विनियम के बारे में निदेशक बोर्ड को विहित अधिकारों का प्रयोग, ऐसे निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों और अनुदेशों के अधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे, निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

24. प्रथम नियुक्ति पर वेतन : नियम की सेवा में किसी पद पर नवी नियुक्ति की दशा में कर्मचारी का प्रथम मूल वेतन जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया हो उस पद के वेतनकाल के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा लेकिन निम्नलिखित मामले धनपाद होंगे।

(1) छुले विज्ञापन पर उच्चतर पदों के लिए पुनः गए विभागीय उम्मीदवारों का वेतन प्रोन्नत पर वेतन के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

(2) धारागतिक कर्मोसंध/भस्व सेवा कर्मोसंध अधिकारियों और कर्मचारियों के धन्य प्रवर्ग के मामले में जिन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष धादेश जारी किए गए हैं, नियम के वेतनमान में ऐसे

कर्मचारी का वेतन निर्धारित करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

(3) उन व्यक्तियों के मामले में जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, सरकारी संस्थान, में पहले नौकरी कर रहे हैं, नियम में किसी पद पर नियुक्ति पर उनका वेतन, वेतनमान में उस प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा जिससे पिछली नौकरी में जो गई अन्तिम कुल परिलब्धियों (जिनमें वेतन और मंहगार्दी भत्ता शामिल है) को सुरक्षित किया जा सके और यदि वेतनमान में तत्संबंधी प्रक्रम नहीं है तो अगले उच्चतर प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

(4) प्रथम नियुक्ति पर सुपात्र मामलों में अथवा समिति द्वारा अधिस्तावित और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में पद पर लागू वेतनमान में अधिक से अधिक पांच वेतन वृद्धि देकर उच्चतर वेतन देने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, निदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मसाधारण परिस्थितियों में और योग्यता पर पांच वेतनवृद्धि से अधिक की अनुमति दी जा सकती है।

25. प्रोन्नति होने पर वेतन : (1) जब कोई कर्मचारी उच्चतर पद अध्या ग्रेड में प्रोन्नत किया जाए तब उसका प्रारम्भिक वेतन नये काल मान में निम्नतर पद के बारे में उसके वेतन में उस प्रक्रम पर एक वेतनवृद्धि देकर जिस पर ऐसा वेतन प्रोद्भूत हुआ है, यदि वह उच्चतर वेतनमान के न्यूनतम की अपेक्षा निम्नतर होता है, तो संद्वान्तिक रूप से पहुंचे वेतन के अगले ऊपर के प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

(2) जब कोई कर्मचारी अपनी प्रोन्नति के ठीक पहले निम्नतर पद के कालमान के अधिकतम पर वेतन ले रहा था तब उसका प्रारम्भिक वेतन उच्चतर पद के कालमान में, निम्नतर पद के कालमान की अन्तिम वेतनवृद्धि के समतुल्य राशि, द्वारा निम्नतर पद में उसका वेतन बढ़ाकर संद्वान्तिक रूप से पहुंचे वेतन के अगले ऊपर के प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी इस प्रक्रम पर वेतन ले रहा है जहां वेतनवृद्धि द्विबाधिक है, तब संद्वान्तिक वेतनवृद्धि का लाभ केवल उस दशा में दिया जाएगा यदि उस प्रक्रम पर एक वर्ष या अधिक समय के लिए सेवा की गई हो।

(4) यदि किसी कर्मचारी ने उच्चतर वेतनमान में पहले स्थापनापत्र रूप में काम किया था या तदर्थ धाधार पर प्रोन्नत किया गया है, तो उसी वेतनमान पर या धन्य समान वेतनमान वाले पद पर पुनः प्रोन्नति होने पर निर्धारित

प्रारम्भिक वेतन उच्चतर वेतनमान के अन्तिम चार दिवसों तक वेतन से कम नहीं होगा और जिस (प्रवर्धियों) के लिए यह वेतन लिया गया था, उसे उच्चतर वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि लेने के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(5) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी से अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी उच्चतर पद का प्रभार धारण करने की विनिर्दिष्ट प्रतीक्षा करे, तब वह उस उच्चतर पद पर प्रोन्नत हुआ नहीं माना जाएगा और वह प्रोन्नति पर होने के रूप में वेतन निर्धारण के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, वह कर्मचारी निदेशक बोर्ड द्वारा समय, समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रभार भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

26. प्रोन्नति पर विशेष वेतन-प्रभार भत्ता /व्यक्तिक वेतन पर विचार: (1) उच्चतर ग्रेड में वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए विशेष वेतन की व्यवस्था तब तक नहीं की जाएगी जब तक यह तीन वर्षों की अवधि के लिए लगातार लिया गया है या यह उच्चतर ग्रेड के बदले में अनुज्ञात है।

(2) प्रोन्नति पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रभार भत्ते को नहीं गिना जाएगा।

(3) वैयक्तिक वेतन जिन दशाओं में लागू होता है, को उससे सम्बद्ध निवन्धनों के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा।

27. प्रतिवर्ष पर वेतन निर्धारण: उच्चतर ग्रेड भयवा पद से निम्नतर ग्रेड-अथवा पद पर प्रतिवर्षित कर्मचारी का वेतन इस प्रकार से निम्नतर ग्रेड में निर्धारित किया जाएगा कि वह निम्नतर वेतनमान में उस वेतन के बराबर होता रहता यदि उच्चतर वेतनमान में उसकी प्रोन्नति न हुई होती।

28. प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों का वेतन निर्धारण: प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों का वेतन, उसकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार, जिन पर मूल प्राधिकारी और नियम परस्पर सहमत हों, विनियमित होगा लेकिन यह शर्त रहेगी कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मिलने वाले फायदे किसी भी दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विहित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

29. वेतन वृद्धियां: (1) जिस पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उसके काल वेतनमान में वेतनवृद्धियां सामान्य अनुक्रम में की जाती रहेंगी सिवाय उन मामलों के जिनमें इन विनियमों के अन्तर्गत अधिरोपित किसी भास्ति के फलस्वरूप ऐसी वेतनवृद्धियां रोक दी गई हों।

(2) जिन कर्मचारियों की वास्तविक वेतनवृद्धि तारीख पहली जनवरी और 30 जून के बीच पड़ती है उनके मामले में सभी वेतनवृद्धियां प्रत्येक वर्ष की पूर्ववर्ती प्रथम जनवरी से शोध्य होंगी और जिन कर्मचारियों की वास्तविक वेतनवृद्धि राय, छहली जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच पड़ती है,

उनके मामले में सभी वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पूर्ववर्ती प्रथम जुलाई को शोध्य होंगी।

(3) परिवीक्षा पर कर्मचारियों के मामले में परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं होगी। पहली वेतनवृद्धि उस मास की पहली तारीख जिस में परिवीक्षा की अवधि पूरी होती है या बारह मास पूरे होते हैं, इनमें जो बाद में है, से शोध्य होगी। जब परिवीक्षा की अवधि बढ़ायी जाती है तब परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने तक कोई वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं होगी और ऐसी अवधि के पूरा होने पर पहली वेतनवृद्धि उस मास की पहली तारीख से जिस में परिवीक्षा की प्रारम्भिक अवधि पूरी हुई है या बारह मास पूरे हुए हैं, जो भी बाद में हो, पूर्ववर्ती प्रभाव से दी जाएगी यद्यपि परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि के लिए उस मास की पहली तारीख तक जिसमें यह पूरी हुई है, किसी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि ऊपर-उप विनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(4) प्रवर्ग 'ख' या 'ग' या 'घ' का वह कर्मचारी जो दो वर्ष या उससे अधिक समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर भवच्छ है, उसे उसके विद्यमान वेतनमान में उसके द्वारा प्राप्त की गई अन्तिम वेतनवृद्धि की दर के समतुल्य एक तदर्थ वेतनवृद्धि मंजूर की जा सकती है। किन्तु किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक मामला चल रहा हो उसको तब तक ऐसी वेतनवृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि उसके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता है।

30. वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए सेवा की गणना: (1) काल वेतनमान में एक पद में सारे कर्तव्यों को उस काल वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी।

(2) नियम में समतुल्य या उच्चतर पदों में सभी सेवाओं की वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी।

(3) सिवाय असाधारण छुट्टी, बीमारी का असाधारण चिकित्सीय प्रमाणपत्र से समर्थित होने के अलावा अन्यथा नहीं यदि सारी छुट्टी को जिस पद पर कर्मचारी छुट्टी पर जाने के समय कार्य कर रहा था, उस पद पर लागू काल वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गिना जाएगा।

परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक यदि उसका यह समाधान हो जाए कि कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण के लिए अथवा उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन शुरू करने के लिए असाधारण छुट्टी ली गई हो, यह निदेश दे तो ऐसी असाधारण छुट्टी की भी वेतनवृद्धि के लिए गणना की जाएगी।

(4) नियम में कर्मचारी विदेश सेवा पर स्थानान्तरण से पूर्व जिस पद पर कार्य कर रहा था, उस पर लागू काल वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए सारी विदेश सेवा की गणना की जाएगी।

31. छुट्टी: प्रत्येक कर्मचारी छुट्टी के मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, में दिए गए उपबन्धों द्वारा शासित होगा।

32. आकस्मिक छुट्टी: (1) कर्मचारी एक वर्ष में पूरे वेतन पर बाह्य दिन तक आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र होगा।

(2) एक ही समय में आठ दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी सामान्यतया मंजूर नहीं की जाएगी।

(3) आकस्मिक छुट्टी को किसी अन्य छुट्टी के साथ गिनाया नहीं जाएगा।

(4) आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान पूर्व ग्रथवा पश्चात् पड़ने वाले रविवारों और छुट्टियों को ली गई आकस्मिक छुट्टी की अवधि की गणना करने में जोड़ा नहीं जाएगा।

33. छुट्टी मंजूरी के लिए प्राधिकारी: निदेशक बोर्ड समय-समय पर विभिन्न प्रवर्गों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित कर सकेगा।

34. स्थानान्तरण पर पद ग्रहण काल और पद ग्रहण काल के दौरान वेतन: केन्द्रीय सिविल सेवा (पदग्रहण समय) नियम, 1979 जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, में दिए गए उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरण पर ऐसे पद ग्रहण समय और पद ग्रहण की अवधि के दौरान ऐसे वेतन के लिए पात्र होगा।

35. दीरे और स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता: निदेशक बोर्ड समय-समय पर वे दरें और शर्तें विहित कर सकेगा जिसके अधीन नियम की सेवा में कर्मचारियों द्वारा दीरे या स्थानान्तरण पर की गई यात्राओं के संबंध में उसे यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

36. छुट्टी यात्रा रियायत को भुनाना: निम्न के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर छुट्टी यात्रा रियायत को भुनाने की अनुमति होगी।

37. उपदान: (1) निम्न के कर्मचारी, उपदान का संदाय अधिनियम, 1972 जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, में दिए गए उपबन्धों द्वारा शासित होंगे।

(2) ऐसे कर्मचारी जो उक्त अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्दर नहीं आते हैं, केन्द्रीय भाण्डालार नियम मूल्य-एवं-निवृत्त उपदान योजना और इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होंगे।

1632 GI/85-2

38. निगम के कर्मचारी की अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति: निगम के कर्मचारियों को प्रबन्ध निदेशों के अनुमोदन से और ऐसे अनुदेशों, जो समय-समय पर निदेशक बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे, के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकारी संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकेगा। ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति नियम और उधार लेने वाले प्राधिकारी के बीच आपस में तयशुदा शर्तों द्वारा शासित होगी।

अध्याय 4

आचार, अनुशासन और शील

39. साधारण: (1) निगम का प्रत्येक कर्मचारी सर्वत्र:

(क) पूर्णरूपेण सत्यनिष्ठ रहेगा;

(ख) कर्तव्य परायण रहेगा; और

(ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है।

(2) निगम का प्रत्येक कर्मचारी जो पर्यवेक्षक पद धारक है अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव पथ उठायेगा।

40. अवचार: "अवचार" पद के अर्थ की व्यापता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित लोप के कार्यो को अवचार के रूप में माना जाएगा;

(1) निगम के कारखाने या सम्पत्ति या निगम के परिसरों के अन्दर अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के सम्बन्ध में चोरी, कपट या बेईमानी।

(2) रिश्वत लेना या देना या कोई अवैध परितोषण।

(3) कर्मचारी या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा दाय के ज्ञात-स्रोत से-मेल न खाने वाले उन आर्थिक स्रोतों या सम्पत्ति का अधिकार में होना जिसका कर्मचारी सन्तोषजनक ढंग से हिसाब-किताब नहीं दे सकता है।

(4) नौकरी के समय या नौकरी के दौरान नौकरी से सुसंगत नाम, आयु, पिता-का नाम, अर्हता, योग्यता या पिछली सेवा या किसी अन्य मामले के बारे में यलत सूचना देना।

(5) इस ढंग से कार्य करना जो निगम के हितों के प्रतिकूल हो।

(6) वरिष्ठ के किसी विधिपूर्वक और युक्तियुक्त आदेशों को जान-बूझकर अनधीनता या अवज्ञा चाहे वह अकेले की गई हो या दूसरों के साथ मिलकर।

- (7) बिना छूटी धनुपस्थिति रहना या बिना पर्याप्त कारणों या उचित श्रयवा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण के लगातार चार दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत छूटी के उपरान्त धनुपस्थित रहना।
- (8) श्रम्यात्मिक रूप से देर या अनियमित हाजिरी।
- (9) कार्य की उपेक्षा या कर्तव्य के निष्पादन में उपेक्षा जिसमें कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बन जाना या काम की गति कम कर देना शामिल है।
- (10) नियम की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।
- (11) नियम के परिसरों में या उनके बारे में स्थापित किन्हीं सुरक्षा मुक्तियों में विघ्न डालना या उन्हें बिगाड़ना।
- (12) नियम के परिसरों या बाहर ऐसे परिसरों में मत्तता या बलवात्मक या विच्छृंखलता या श्रमद्र व्यवहार जहाँ ऐसा व्यवहार रोजगार से सम्बन्धित या सम्बद्ध है।
- (13) स्थापन के परिसरों के अन्दर जुआ खेलना।
- (14) स्थापन के भीतर उन स्थानों में धूम्रपान करना जहाँ ऐसा करना प्रतिषिद्ध है।
- (15) सिवाए इस समय लागू देश की किसी विधि या नियम के नियमों, द्वारा संस्वीकृत नियम के परिसरों के भीतर विभा सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के धन का संग्रह करना।
- (16) काम पर होते हुए सोना।
- (17) ऐसा कोई कार्य करना जो आपराधिक अपराध हो जिसमें नैतिक श्रमभङ्गा अन्तर्बलित है।
- (18) बिना इजाजत या प्रयाप्त कारण से कर्मचारी के कार्य के नियत स्थान से धनुपस्थित।
- (19) बिना सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुमति के नियम से सम्पत्तियों, मशीनरी, सामान आदि खरीदना श्रयवा निगम को सम्पत्तियाँ, मशीनरी, स्टोर आदि बेचना।
- (20) अनुज्ञासन या अच्छे व्यवहार की दृष्टि से ध्वंसात्मक कोई कार्य करना।
- (21) किसी ऐसे कार्य को करने के लिए अवश्रेरित होना या अवश्रेरित करने की कोशिश करना जिसे श्रवचार माना जाता हो।

टिप्पणी : श्रवचार के ऊपर बताये गए उदाहरण प्रकृति को समझाने के उदाहरण हैं और या वे सर्वांगीण नहीं हैं।

41. नियम का प्रथम प्राप्त किसी कम्पनी या फर्म में नियम के कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन:

(1) कोई भी कर्मचारी किसी सम्बन्धित व्यक्ति को चाहे

वह कर्मचारी से रक्त द्वारा या विवाह द्वारा या कर्मचारी की पत्नी या पति से सम्बन्धित हो चाहे वह कर्मचारी पर भाश्रित हो या नहीं, रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्षतः श्रयवा अप्रत्यक्षतः अपनी हैसियत या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व संस्वीकृति के सिवाए अपने पुत्र, पुत्री या परिवार के किसी सदस्य को किसी कम्पनी या फर्म में जिसके साथ उसका पदीय सम्बन्ध हो श्रयवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म जिसके साथ नियम का पदीय सम्बन्ध हो, रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

परन्तु यह कि जहाँ रोजगार की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुज्ञा की प्रतीक्षा न की जा सके वहाँ सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के अधीन रहते हुए वह रोजगार अनन्तित रूप से स्वीकार किया जा सकेगा। उसे यह श्रमला तुरन्त सूचित किया जाएगा।

(3) कोई कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी ऐसे विषय में कार्रवाई नहीं करेगा श्रयवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई ठेका नहीं देगा श्रयवा ठेके की मंजूरी नहीं देगा जिस कम्पनी या फर्म में या जिस व्यक्ति के अधीन उस कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य नियोजित है श्रयवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य उस विषय में या ठेका में किसी भी अन्य प्रकार से हितबद्ध है और कर्मचारी ऐसे प्रत्येक विषय या ठेका को अपने वरिष्ठ अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और तत्पश्चात् उस विषय या ठेका का निषटारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट किया गया हो।

42. प्रदर्शन में भाग लेना : निगम का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा श्रयवा भाग नहीं लेगा जिससे किसी अपराध का उद्दीपन होता हो।

43. प्रेस या आकाशवाणी से सम्बन्ध : (1) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय किसी समाचार पत्र श्रयवा अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः श्रयवा अंशतः न तो स्वामी होगा और न उसका सम्पादन श्रयवा प्रबन्ध संचालन ही करेगा श्रयवा उसमें भाग लेगा।

(2) निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी या विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन या अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में, के सिवाय न तो किसी आकाशवाणी प्रसारण में भाग लेगा, न ही किसी समाचार पत्र श्रयवा पत्र-पत्रिका में स्वयं अपने नाम से या भनाम या छद्मनाम से श्रयवा किसी व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या पत्र लिखेगा।

परन्तु यह कि ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी होगी। यदि ऐसा प्रसारण या ऐसा लेख वस्तुतः साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है।

44. सरकार और नियम की आलोचना : कोई भी कर्मचारी या कर्मचारी के किसी प्रसारण में अथवा अपने नाम से या अन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में अथवा प्रेस को दी गई किसी सूचना में अथवा किसी सार्वजनिक भाषण में कोई वक्तव्य नहीं देगा, जिससे

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या निगम को किसी नीति या कार्यवाही को प्रतिकूल आलोचना होती हो ;

(ख) जिससे निगम, सरकार और जनता के बीच सम्बन्धों में उलझन पैदा होती हो।

परन्तु यह कि इस विनियम के कोई बात किसी कर्मचारी द्वारा अपने पदव्यवहार से अथवा उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सम्यक पालन में दिए गए वक्तव्य या अभिव्यक्त किए गए किन्हीं विचारों को लागू नहीं होगी जो वस्तुतः तथ्यपूर्ण प्रकृति के हैं जो गोपनीय प्रकृति के होने नहीं समझे जाते हैं।

परन्तु चाहे यह कि इस विनियम में दी गई कोई बात ऐसे कर्मचारियों को सेवा की शर्तों की सुरक्षा के प्रयोजन अथवा उनमें सुधार कराने के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधारों के रूप में उसके द्वारा सदाभावपूर्वक अभिव्यक्त विचारों को लागू नहीं होगा।

45. किसी समित्त अथवा अन्य प्राधिकारों के समक्ष साक्ष्य (1) उपविनियम (iii) में यथा उपबन्धित के सिवाए, निगम का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारों के पूर्व अनुमोदन के सिवाए, किसी व्यक्ति समिति या प्राधिकारों द्वारा कंजारहें किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां विनियम (i) के अंतर्गत ऐसी मंजूरी दी जाए, वहां कर्मचारी ऐसे साक्ष्य देते समय केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या निगम की नीति या किसी कार्यवाही की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस विनियम की कोई बात—

(क) सरकार, संसद या किसी राज्य विधान मंडल अथवा निगम द्वारा नियुक्त प्राधिकारों के समक्ष जांच में दिए गए किसी साक्ष्य को लागू नहीं होगा ;

(ख) निगम के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिए गए साक्ष्य को लागू नहीं होगी।

(ग) निगम के अधीनस्थ प्राधिकारों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच के दौरान दिया गया साक्ष्य।

46. जानकारी का अप्राधिकृत रूप से प्रकटकरण (1) कोई कर्मचारी, निगम में किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के अनुसार के सिवाए, अथवा उसे समनुदिष्ट कर्तव्यों के सदाभावपूर्वक अनुपालन में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी शासकीय दस्तावेज को या उसके किसी भाग को किसी प्राधिकारों या अन्य कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसे दस्तावेज या जानकारी प्रकट करने के लिए, वह प्राधिकृत नहीं है, प्रकट नहीं करेगा।

47. उपहार : (1) इन विनियमों में यथा उपबन्धित के सिवाए, निगम का कोई कर्मचारी, न तो स्वयं ही उपहार ग्रहण करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई उपहार ग्रहण करने की अनुज्ञा देगा।

स्पष्टकरण :—'उपहार' पद के अंतर्गत निःशुल्क परिक्हन, भोजन, निवास अथवा अन्य सेवा या अन्य कोई अनसम्बन्धी लाभ सम्मिलित है, जो किसी निकटतम सम्बन्धी अथवा वैयक्तिक मित्र जिसका कर्मचारी के साथ कोई पदेय व्यवहार न हो, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाए।

टिप्पणी : निगम का कोई कर्मचारी किसी व्यक्तिगत या फर्म जिसके साथ उसका कोई पदेय व्यवहार हो, से अत्यधिक अथवा बार-बार आतिथ्य ग्रहण करने से बचेगा।

(2) विवाह, वरती, अन्त्येष्टि अथवा धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर जबकि उपहार देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार हो, निगम का कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से उपहार ग्रहण कर सकेगा किन्तु यदि उपहार का मूल्य 500/- रुपये से अधिक है, तो उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारों को देगा।

(3) उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी अवसर पर निगम का कोई कर्मचारी अपने उन निजी मित्रों से उपहार ग्रहण कर सकेगा जिनके साथ उसका कोई पदेय सम्बन्ध न हो किन्तु यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य 250 रुपए से अधिक है तो उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारों को देगा।

(4) किसी अन्य दशा में निगम का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारों की मंजूरी के बिना न तो स्वयं ही उपहार ग्रहण करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को कोई उपहार ग्रहण करने की अनुज्ञा यदि उसका मूल्य 250 रुपए से अधिक हो, देगा।

परन्तु यह कि जब 12 मास की अवधि के भीतर एक ही फर्म अथवा व्यक्ति से एक से अधिक उपहार प्राप्त हुए हों तब इस मामले का सक्षम प्राधिकारों को सूचना

दी जाएगी यदि उपहारों का संकलित मूल्य 250 रुपए से अधिक हो।

48. नियम का कोई भी कर्मचारी (1) दहेज नहीं देगा या दहेज नहीं लेगा या दहेज देने या लेने के लिए नहीं उकसायेगा।

(2) प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः दुल्हन या दुल्हे, जैसी भी स्थिति हो, के माता पिता या संरक्षक के दहेज को मांग नहीं करेगा। स्पष्टीकरण इस विनियमन के प्रयोजन के लिए "दहेज" से वही अर्थ ग्रहणित है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।

49. निजी व्यापार अथवा रोजगार (1) नियम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के सिवाए, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं करेगा अथवा कोई रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

परन्तु यह कि कर्मचारी ऐसी मंजूरी के बिना भी सामाजिक अथवा परोपकारी प्रकृति का कोई अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक अथवा कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का कोई यदाकदा कार्य इस शर्त पर कर सकेगा कि उससे उसके पदीय कर्तव्यों में कोई व्यवधान न हो।

(2) यदि कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यवसाय या व्यापार में संलग्न हो या किसी बीमा अधिकरण या कमीशन अधिकरण का स्वामी या प्रबन्धकर्ता हो तो नियम का प्रत्येक कर्मचारी इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(3) नियम का कोई कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी का पूर्व मंजूरी के बिना एवं अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहण में के सिवाए किसी ऐसे बैंक अथवा अन्य कम्पनी के जिसका रजिस्ट्रेशन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या उत्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित है, अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों वाले किसी सरकारी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन, अथवा अथवा प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा।

परन्तु यह कि नियम का कोई कर्मचारी नियम के कर्मचारियों के फायदे के लिए किसी उपभोक्ता या कोई भवन निर्माण सहकारी समिति जो सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा उत्तमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रेशन हो, अथवा किसी ऐसे साहित्यिक, वैज्ञानिक या खेती संस्था के जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा किसी अन्य प्रवृत्त प्रस्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रेशन हो रजिस्ट्रेशन, अथवा अथवा प्रबन्ध में भाग ले सकेगा।

(4) नियम का कोई कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक विधाय या किसी

प्राइवेट व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई मुफ्त या अन्य धन सम्बन्धी लाभ ग्रहण नहीं कर सकेगा।

5. विनिधान, उधार देना और उधार लेना कोई भी कर्मचारी, बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम या स्थायी फर्म के साथ कारोबार में मामूली अनुक्रम में के सिवाए, न तो धन उधार लेगा, न उधार देगा या स्वयं को ऐसे किसी व्यक्ति को आर्थिक बाध्यता के अधीन अन्यथा रखेगा जिनके साथ उसका पदीय व्यवहार संभाव्य हो या अपने नाम में या अपने फायदे के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के फायदे के लिए ऐसे किसी उधार लेने, उधार देने या आर्थिक बाध्यता की अनुज्ञा देगा।

51. दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता: (1) नियम का कोई भी कर्मचारी आभ्यासिक ऋणग्रस्तता से बचेगा। यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होगा कि ऐसी ऋणग्रस्तता या दिवाला उन परिस्थितियों का परिणाम है जो उसके नियंत्रण के बाहर हैं और फिजूल खर्ची अथवा दुर्व्यवसनों से उत्पन्न नहीं हुई हैं।

(2) नियम का कोई भी कर्मचारी जो दिवाला के लिए आवेदन करता है या न्याय निर्णीत है या घोषित दिवालिया है, तत्क्षण उस तथ्य को रिपोर्ट अपने सक्षम प्राधिकारी को देगा।

52. जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति: (1) नियम का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, किसी स्थावर सम्पत्ति का पट्टे-बन्धक, क्रय-विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा अर्जन या निपटान न तो अपने से और न अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से करेगा।

(2) नियम का कोई भी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी को पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति या फर्म जिसका कर्मचारी या उसके अधीनस्थ के साथ पदीय व्यवहार हो, के साथ किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार नहीं करेगा।

(3) नियम का प्रत्येक कर्मचारी अपने स्वामित्वधीन या अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 2500/-रुपये से अधिक है, के प्रत्येक संव्यवहार की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा।

(4) नियम प्रत्येक कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय निम्नलिखित के बारे में व्योरे देते हुए दायित्वों का विहित फार्म में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

(क) अपने स्वामित्वधीन या स्वयं धारित या धारित में प्राप्त या उसके पास पट्टे पर या बंधक में चाहे उसके नाम से हो या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो।

(ख) बैंक निक्षेपों सहित ऐसे शेयरों, डिबेंचरों और नकदी के बारे में जो उसे विरासत में प्राप्त हों या इस रूप में उसके स्वामित्व में हों या उसने अर्जित किए हों या जो उसके पास हों।

(ग) अन्य जंगम सम्पत्ति के बारे में जो उसे विरासत में प्राप्त हो या इस रूप में उसके स्वामित्व में हो, या उसने अर्जित की हो, या उसके पास हो यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 2,500/- रुपये से अधिक है।

(घ) ऐसे ऋणों और अन्य दायित्वों के बारे में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसने उभगत किए हों।

(3.) प्रत्येक कर्मचारी पहली जनवरी से प्रारम्भ कर प्रत्येक वर्ष विरासत, स्वामित्व अथवा अर्जित जंगम सम्पत्ति की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(5) सक्षम अधिकारी किसी कर्मचारी से साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं या अपनी ओर से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पूर्ण और व्योरेवार विवरण, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की गई हो तो उस विवरण में उन साधनों के जिनके द्वारा या वे स्रोत जिनसे वह सम्पत्ति अर्जित की गई है, व्योरे देने होंगे।

53. गैर पदीय या अन्य प्रभाव का उपयोग :—कोई कर्मचारी, नियम में अपनी सेवा से संबंधित मामलों के बारे में अपने हितों में वृद्धि करने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर बाहरी प्रभाव न तो डलवाएगा और न डलवाने का प्रयत्न करेगा।

54. विवाह के बारे में पंजीकरण :—(1) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह या ठेका नहीं करेगा जिसकी पत्नी या जिसका पति जीवित है; और

(2) कोई कर्मचारी अपनी पत्नी या अपने पति के जीवित होते हुए किसी अन्य से विवाह या ठेका नहीं करेगा। परन्तु यह कि यदि निदेशक बोर्ड का ऊपर उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में उल्लिखित के बारे में यह समाधान हो जाए तो कर्मचारी को ऐसा विवाह या ठेका करने की अनुज्ञा दे सकेगा कि—

(क) ऐसे कर्मचारी तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है; और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता से छिन्न अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह किया है, नियम को इस तथ्य की तुरन्त सूचना देगा।

55. भादक पेयों और द्रव्यों का प्रयोग :—नियम का वह अपने कर्तव्यों के अनुपालन के दौरान किसी आदक पेय या द्रव्य से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है।

56. निलम्बन :—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कोई प्राधिकारी जो नियुक्त प्राधिकारी के अधीनस्थ है, अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी या प्रबन्ध द्वारा या इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा :

(क) जहां उस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार हो अथवा कार्रवाई तन्वित हो, या

(ख) जहां उसके विरुद्ध कोई दण्डक अपराध का मामला अन्वेषण या परीक्षणधीन है।

(2) कोई भी कर्मचारी यदि उसे किसी अपराधिक आरोप के आधार पर अथवा अन्यथा अज्ञात घण्टे से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए तो उसके विरोध की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बित किया गया समझा जाएगा और अगले आदेशों तक निलम्बित रहेगा।

(3) जहां किसी निलम्बित कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने या हटाने की कोई अधिरोपित शास्ति इन विनियमों के अधीन अधीन में या पुनर्विलोकन पर उपास्त कर दी जाए और मामला आगे जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया जाए तो वहां उस कर्मचारी का निलम्बन पदच्युत किए जाने, हटाये जाने के मूल आदेश की तारीख की ओर से प्रवृत्त रहा अथवा समझा जाएगा और आगे और आदेश होने तक प्रवृत्त रहा जाएगा।

(4) जहां किसी कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने या हटाने की कोई अधिरोपित शास्ति न्यायालय के किसी विनियम के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा उपास्त कर दी जाए या शून्य घोषित कर दी जाए या हटाए जाए और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उस कर्मचारी के विरुद्ध, उन अधिरोपितों पर जिन पर पदच्युत करने, हटाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, आगे और जांच करने का निश्चय की वहां कर्मचारी को पदच्युत किए जाने या हटाये जाने के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया समझा जाएगा तथा आगे और आदेश होने तक निलम्बित रहा जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलम्बन आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने वह आदेश किया था या जिसके द्वारा वह आदेश किया गया समझा गया अथवा वह प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ है, ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

57. निर्वाह भत्ता:—(1) निलम्बनाधीन कर्मचारी अपने मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा बशर्त कि अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी किसी अन्य रोजगार या कारखार या वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा है। इसके अतिरिक्त वह ऐसे निर्वाह भत्ते पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ता और कोई अन्य प्रतिकारत्मक भत्ता जो निलम्बन की तारीख को प्राप्त कर रहा था, प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्त कि निलम्बन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी जिसके लिए प्रतिकारत्मक भत्ता प्रदान किया गया था; उसके खर्च को पूरा करता रहेगा।

(2) जहाँ निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक होती है वहाँ प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश किया या किया गया समझा गया, पहले तीन मास की अवधि के उपरान्त किसी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि में निम्नलिखित के अनुसार परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा:—

- (क) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जिनका दायित्व प्रत्यक्षतः निलम्बनाधीन कर्मचारी पर नहीं माना जा सकता है, जिन कारणों को लेखवद्ध किया जाएगा, वहाँ निर्वाह भत्ते की राशि मूल वेतन और उस पर भत्तों के 75 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकेगी।
- (ख) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि किन्हीं ऐसे कारणों से हुई हो जिनका दायित्व प्रत्यक्षतः निलम्बनाधीन कर्मचारी पर ही है, जिन कारणों को लेखवद्ध किया जाएगा, वहाँ निर्वाह भत्ते की राशि मूल वेतन और उस पर भत्तों के 25 प्रतिशत तक घटाई जा सकेगी।

58. निलम्बन की अवधि की गणना:—(1) जब निलम्बनाधीन कर्मचारी को बहाल किया जाता है तब संशय प्राधिकारी निलम्बन की अवधि के लिए उसे निम्नलिखित वेतन और भत्ते मन्जूर कर सकेगा:

(क) यदि कर्मचारी को विनियम 59 में उल्लिखित कोई भी शास्तियां प्रदान नहीं की जाए, तो पूरा वेतन और भत्ते जिनका कि वह निलम्बित न किए जाने की दशा में हकदार होता, किन्तु उनमें से पहले से संशय निर्वाह भत्ते कम करके; और

(ख) यदि अन्यथा, वेतन और भत्तों का ऐसा अनुपात जिसे सक्षम प्राधिकारी विहित कर सकेगा।

(2) उपखण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में कर्तव्य से अनुपस्थित की अवधि कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि समझी जायेंगी। उपखण्ड (ख) के अधीन आने वाले

मामलों में उक्त अवधि तब तक कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं समझी जायेंगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा निर्देश न दे।

59. शास्तियां: किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां जो इतने मागे दी गई हैं, उसके द्वारा किए गए भवचार या किसी अन्य ठीक तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी।

छोटों शास्तियां

- (क) परिनिन्दा;
- (ख) सहित या बिना संवयी प्रभाव वेतन वृद्धि को रोकना;
- (ग) प्रोन्नति रोकना;
- (घ) उपेक्षा या आदेश भंग के कारण नियम को पहुंचाई गई किसी घन सम्बन्धी हानि की वेतन या ऐसी अन्य राशि जो उसे देय हो, में से पूर्णतः या भागतः कसूली।

बड़ी शास्तियां

- (ङ) किसी निम्नतर ग्रेड या पद या कालचेतनमान में निम्नतम प्रक्रम पर अवनति
- (च) अनिवार्य सेवा निवृत्ति
- (छ) सेवा से हटाना जो भावी नियोजन के लिए निरहंता नहीं होगी;
- (ज) पदच्युति।

स्वीकरण:— निम्नलिखित इस विनियमन के अर्थ में शास्ति की कौटि में नहीं आयेंगे; अर्थात्

- (1) कर्मचारी की उसका कार्य असन्तोषजनक पाये जाने या अप्रशिक्षित स्तर का न होने या विहित किसी परीक्षा अथवा परीक्षण में अनुत्तीर्ण होने के कारण, वेतनवृद्धि रोकना;
- (2) दक्षतारोच को पार करने के लिए कर्मचारी की अयोग्यता के आधार पर काल वेतनमान में दक्षता रोच पर रोक;
- (3) किसी कर्मचारी को किसी ऐसे उच्चतर पद पर उसके मामले पर विचार के पश्चात वह अनुपयुक्त पाया जाए जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार का वह पात्र था, चाहे स्थानापन्न हैसियत या अन्यथा प्रोन्नति न करना;
- (4) किसी उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न कर्मचारी का निम्नतर ग्रेड या पद पर इस आधार पर प्रत्यावर्तन करना कि वह परीक्षण के पश्चात् ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद के लिए या उसके अन्वेषण से पत्रम्बद्ध प्रशासनिक कारणों पर अनुपयुक्त होना विचार किया जाता है;

- (5) अन्य ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी का परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसके पिछले ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तन।
- (6) सेवा की समाप्ति :—
- (क) परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ;
- (ख) संविदा या करार के अंतर्गत वे भिन्न अन्यथा प्रस्थापी हेतियत में नियुक्त कर्मचारी की उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जिस अवधि के लिए नियुक्त किया गया था उसकी समाप्ति पर या पूर्व ;
- (ग) संविदा या करार के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी की, ऐसी संविदा या करार की शर्तों के अनुसार; और
- (घ) स्वाध्यायी की कटौती पर किसी कर्मचारी की।

60. अनुशासनिक प्राधिकारी : अनुशासनिक प्राधिकारी जैसा परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट या उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उच्चतर कोई प्राधिकारी विनियम 59 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी भी कर्मचारी पर अधिरोपित कर सकेगा।

61. बड़ी शक्तिशाली अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया :

(1) विनियम 59 के खण्ड (ड), (च), (छ), और (ज) में विनिर्दिष्ट शक्तिशाली में से कोई शक्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस विनियम के अनुसार जांच न कर ली जाए।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी को यह पता हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध अव्यवहार या दुर्व्यवहार के किसी आरोप को सत्यता के बारे में जांच करने के अधीन है तो वह उसकी सत्यता की जांच या तो स्वयं कर सकेगा या उसके लिए लोक सेवक (जिसे इसमें प्रायः जांच प्राधिकारी कहा गया है) नियुक्त कर सकेगा।

(3) जहाँ जांच करना प्रस्तावित है, हा अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभिचयनों के आधार पर निश्चित आरोप तैयार करेगा। अभिचयनों का एक विवरण तैयार यह आरोप आशयित है, दस्तावेजों की एक सूची और उद्देश्यों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप को मर्दों को उद्देश्य जन्म और प्रमाणित किए जाने का प्रस्ताव है, के साथ ये आरोप लिखित रूप में कर्मचारी को सूचित

हिए जायें जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अधिक से अधिक 15 दिन के समय के भीतर लिखित रूप में इस बात का एक विवरण देगा कि वह आरोप की मर्दों में से किसी एक मर्द या समस्त मर्दों को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण : इस अवस्था में कर्मचारी को आरोप पत्र में तैयार गए दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज को दिखाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) कर्मचारी के लिखित कथन की प्राप्ति पर या यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई कथन प्राप्त नहीं होता तो अनुशासनिक प्राधिकारी जांच स्वयं करेगा अथवा खण्ड (11) के अंतर्गत एक जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जांच की जायेगी परन्तु यह कि कर्मचारी द्वारा लिखित कथन में यह स्वीकार किए गए आरोपों के बारे में जांच करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(5) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, स्वयं जांच करता है या जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहाँ वह आदेश द्वारा नियम के किसी कर्मचारी को या किसी लोक सेवक को, जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहलाएगा, आरोपों की मर्दों के समर्थन में अर्पण और से माफ़वे को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(6) कर्मचारी नियम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता के अभाव में ही इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसाय का नहीं रख सकेगा किन्तु तब के जब अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति विधि व्यवसायी न हो।

(7) कर्मचारी जांच प्राधिकारी द्वारा निर्वाचित तारीख को सूचना में विनिर्दिष्ट समय स्वयं और तारीख को जांच प्राधिकारी के सम्मुख पेश होगा। जांच अधिकारी कर्मचारी से यह पूछेगा कि क्या वह दोषी है अथवा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत करना चाहता है और यदि वह आरोप के व्योमों में किसी के दोषी होने का अभिवचन करे तो जांच प्राधिकारी अपना अभिवाहक लेख तैयार करेगा, उन अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर सम्बन्धित कर्मचारी का हस्ताक्षर लेगा। सम्बन्धित कर्मचारी आरोप के जिन व्योमों का दोषी होने का अभिवचन करे उनके बारे में जांच प्राधिकारी दोषी के निष्कर्ष लौटा देगा।

(8) यदि कर्मचारी दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है तो जांच प्राधिकारी मामले को अतिरिक्त से अतिरिक्त। तीस दिन पश्चातकर्ता तारीख के लिए यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात स्थगित कर देगा कि कर्मचारी अपना प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिए—

(क) आरोप पत्र में निर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा,

(ख) प्रतिरिक्त दस्तावेजों और साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा जिनकी वह परीक्षा करना चाहता है और

(ग) आरोप पत्र में विदिष्ट, यदि कोई, साक्षियों के बयानों की प्रतियों के लिए वह कह सकेगा और उसे सुलभ की जाएगी।

टिप्पणी—सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा विनियम 8 (ख) में उल्लिखित प्रतिरिक्त दस्तावेज और साक्षियों की सुसंगतता स्पष्ट करने होगी और यदि जांच प्राधिकारी का जांच के अधीन आरोप के लिए उनकी सुसंगतता के बारे में सभाधान हो जाता है तो दस्तावेजों और साक्षियों को बुलाया जाएगा।

(9) जांच प्राधिकारी उस प्राधिकारी से जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज हैं, ऐसी तारीख को जो विनिदिष्ट की जाए, दस्तावेजों को पेश करने के लिए होगा।

(10) वह प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यक्षित दस्तावेज हैं, अध्यक्ष सूचना में विनिदिष्ट तारीख, स्थान और समय को जांच प्राधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा। परन्तु यह कि यदि ऐसे दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना लोक हित या नियम के हित के विरुद्ध होगा तो अध्यक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जे में रखने वाला प्राधिकारी विशेषाधिकार का दायर कर सकेगा। उस स्थिति में वह इसके अनुसार जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(11) जांच के लिए नियत तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा श्रयवा उसकी ओर से वह मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाएगा जिसके द्वारा आरोप के व्योरे साबित किए जाने हों। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रति परीक्षा की जाएगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को उन में से किसी भी विषय पर जिनपर साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की गई हो, पुनः परीक्षा करने का हक होगा किन्तु उसे जांच प्राधिकारी की इजाजत के बिना किसी नये विषय पर पुनः परीक्षा का हक नहीं होगा। जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे।

(12) अभियोजन मामले के बन्द होने से पूर्व जांच प्राधिकारी स्वविवेक अनुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो कर्मचारी को दो गई आरोप सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं ही नया साक्ष्य मांग सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा। ऐसी दशा में कर्मचारी को दस्तावेजों को अभिलेख में सम्मिलित करने से पूर्व दस्तावेजी साक्ष्य का निरीक्षण करने या किसी साक्षी जिसे इस तरह बुलाया गया है, की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर देगा।

(13) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बन्द कर दिया जाता है, तब कर्मचारी से शपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित में, जैसा वह चाहे, कथित करने की प्रपेक्षा की जाएगी। यदि प्रतिवाद का कथन मौखिक किया जाए तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और कर्मचारी से उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की प्रपेक्षा की जाएगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद के कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।

(14) तब कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। यदि कर्मचारी अपनी ओर से स्वयं ही परीक्षा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। तदनन्तर कर्मचारी की ओर से पेश किए गए साक्षियों का परीक्षण होगा और उनका जांच प्राधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण, पुनः परीक्षण और परीक्षण अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

(15) कर्मचारी की ओर से अपने मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी कर्मचारी से उन परिस्थितियों के बारे में जो साक्ष्य से उसके विरुद्ध प्रकट हों, स्पष्ट करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन से सामान्यतः प्रश्न कर सकेगा तथा उस दशा में जब कर्मचारी ने अपनी परीक्षा न की हो, जांच प्राधिकारी ऐसा अवश्य ही करेगा।

(16) साक्ष्य की पेश पूरी हो जाने के पश्चात् कर्मचारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपने अपने मामलों में लिखित पक्ष पत्र साक्ष्य की पेश पूरी हो जाने की तारीख के 15 दिनों के भीतर दाखिल कर सकेंगे।

(17) यदि कर्मचारी उपविनियम (3) में निर्देशित प्रतिवाद का लिखित कथन इस प्रयोजन के लिए विनिदिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करता श्रयवा जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं या सहायता करने वाले अधिकारी के माध्यम से उपस्थित नहीं होता श्रयवा इस विनियमों के किसी भी उपबन्ध के अनुपालन में श्रयवा प्रसमर्थ रहता है श्रयवा अनुपालन से इन्कार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा।

(18) किसी जांच में सम्पूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् जब कभी भी किसी जांच प्राधिकारी को अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसी जांच प्राधिकारी का पदग्रहण कर के जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार से स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित श्रयवा अंगतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और अंगतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर भाग कार्रवाई कर सकेगा।

यह राय ही कि उन शक्तियों में से किनका साक्ष्य उहले परिमलिखित किया जा चुका है, किती का भागे और परीक्षण न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किन्हीं शक्तियों को जेताकि इसमें इसके पूर्व उपबन्धित है, पुनः वृत्ता सकेगा तथा परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण कर सकेगा ।

(19) जांच पूरी हो जाने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

- (क) आरोप के व्योरे उन शक्तों और अवतार या दुर्व्यवहार के तांछनों का कथन,
- (ख) आरोप के प्रत्येक व्योरे की वास्तव कर्मचारी के प्रतिवाद का साक्ष्य,
- (ग) आरोप के प्रत्येक व्योरे की वास्तव साक्ष्य का निव्वारण,
- (घ) आरोप के प्रत्येक व्योरे की वास्तव निष्कर्ष तथा निष्कर्ष के कारण ।

स्पष्टीकरण—यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाहियों में मूल आरोप व्योरे में निम्न कोई अन्य आरोप व्योरा सिद्ध होता हो तो वह आरोप के ऐसे व्योरे की वास्तव अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । परन्तु यह कि आरोप के ऐसे व्योरे की वास्तव कोई निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि याता कर्मचारी उन तथ्यों को, जिन पर वह आरोप का व्योरा आधारित है, स्वीकार न कर ले अथवा जब तक कि उस आरोप की उस व्योरे के विरुद्ध अपना प्रतिवाद करने का युक्ति युक्त अवसर न दे दिया जाए ।

- (2) जहाँ जांच प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी न हो वहाँ वह जांच के अभिलेख, जिसमें निम्नलिखित होंगे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा :
 - (क) उसके द्वारा उपखण्ड (1) के अधीन तैयार की गई जांच की रिपोर्ट,
 - (ख) उपविनियम (8) में निर्दिष्ट कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो,
 - (ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,
 - (घ) उपविनियम (16) में निर्दिष्ट लिखित पक्ष पत्र यदि कोई हो, और
 - (ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की वास्तव किए गए आदेश, यदि कोई हों ।

62. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी न हो, तो उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले की जांच प्राधिकारी के पास नये सिरे से या भागे और जांच तथा रिपोर्ट के लिए विनियमित कर अकेला और जांच प्राधिकारी वास्तविक व्यवहारा विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार और भागे जांच करने के लिए अवसर होगा ।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी व्योरे पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो वह असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा तथा अभिलिखित साक्ष्य इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो तां, ऐसे आरोप के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(3) आरोप के सभी अथवा किन्हीं व्योरे पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि विनियम 59 में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह विनियम 63 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश दे सकेगा ।

(4) आरोप के सभी अथवा किन्हीं व्योरे पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जानी है तो वह सम्बन्धित कर्मचारी को विनियमित करने का आदेश पारित कर सकेगा ।

63. छात्रे शास्तियों अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

(1) जहाँ विनियम 59 के खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, वहाँ सम्बन्धित कर्मचारी को उसके विरुद्ध अवचार या दुर्व्यवहार के तांछनों की लिखित में सूचना दी जाएगी और अधिक से अधिक 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिवाद का अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा । कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवाद कथन पर, यदि कोई हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों की कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

- (क) कर्मचारी को अवचार या दुर्व्यवहार के तांछनों के विवरण की दी गई एक प्रति,
- (ख) उसका प्रतिवाद कथन यदि कोई हो तो, और
- (ग) अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश और उसके कारण ।

64. आदेश की संसूचना

विनियम 61, 62 या विनियम 63 के अधीन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश सम्बन्धित कर्मचारी को संसूचित किया जाएगा जिसे जांच की रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो तो, भी दी जाएगी।

65. एक साथ कार्यवाही

जहां किसी मामले का सम्बन्ध दो या अधिक कर्मचारियों से हो, वहां जो प्राधिकारी जो ऐसे सभी कर्मचारियों को बड़ी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि ऐसे सभी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां एक ही साथ की जाएंगी और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एक साथ कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा।

66. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया

विनियम 61, 62 या 63 में किसी बात के होते हुए भी अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के अधीन विनियम 59 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :—

(1) कर्मचारियों को कियी न्यायिक परीक्षण द्वारा प्राप्ता निष्कर्ष या तथ्यों के बल के आधार पर या किसी अपराधिक आरोप पर दोष सिद्ध ठहराया गया है, या

(2) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का, उन कारणों से जिन्हें वह लेखबंद करेगा, यह समाधान हो जाए कि इन विनियमों में उपबन्धित रीति से कोई जांच करना युक्तिपूर्वक तौर पर साध्य नहीं है।

67. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदि से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

(1) जहां नितम्बन का कोई आदेश अथवा कोई अनुशासनिक कार्यवाही किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध की जाती है जो नियम में केन्द्रीय या राज्य सरकार या अन्य सार्वजनिक उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर है, वहां सेवाएं सौंपने वाले प्राधिकारियों को (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् 'मूल प्राधिकारी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) यथास्थिति उन परिस्थितियों की जिनमें नितम्बन का आदेश किया गया है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत जो जानकारी अविलम्ब दी जाएगी।

(2) कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए

(क) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर छोटी शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह मूल प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे,

परन्तु यह कि अनुशासनिक और मूल प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में कर्मचारी को सेवाएं मूल प्राधिकारी को वापिस सौंप दी जाएंगी।

(ख) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर बड़ी शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं और जांच कार्रवाई से संबंधित कागजात मूल प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए सौंप देगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(3) यदि कर्मचारी उपविनियम (ii) (क) के अधीन उस पर अधिरोपित किसी छोटी शास्ति वाले आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है तो उसका निपटारा मूल प्राधिकारी के परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा,

परन्तु यह कि यदि अपील प्राधिकारी और मूल प्राधिकारी के बीच मतभेद है तो कर्मचारी की सेवाएं और मामले को कार्यवाहियां उस प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए सौंप दी जाएंगी जैसे वह आवश्यक समझे।

68. अपील

(1) कर्मचारी विनियम 59 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। अपील परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दी जाएगी।

(2) अपील जिस आदेश के विरुद्ध करती है, उसकी संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर दायर की जाएगी। अपील परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी को सम्बोधित की जाएगी और उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, मामले के अभिलेख और अपनी टिप्पणी के साथ अपील को 15 दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी के पास भेज देगा। अपीली प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या निष्कर्ष न्यायोचित हैं या क्या शास्ति अधिक है या अपर्याप्त है और अपील की तारीख से तीन मास के भीतर उपयुक्त आदेश पास कर देगा। अपीली प्राधिकारी शास्ति को पुष्टि बढ़ाने, कम करने या अपस्त करने का आदेश पास कर सकेगा या मामले को उस प्राधिकारी को भेज सकेगा जिसने शास्ति अधिरोपित की या ऐसे निदेश के साथ किसी अन्य प्राधिकारी को भेज सकेगा जैसे वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।

परन्तु यह कि यदि दवाई गई शास्ति जिसे अपीली प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्तावना करता है वह विनियम 59 के खण्ड (ड), (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्ति है और उस मामले में विनियम 61 में उपबन्धित जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपीली प्राधिकारी यह निदेश दे कि ऐसी जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी और उसके बाद जांच के

अधिलेख पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पास करेगा जैसा वह उचित समझेगा। यदि अपीली प्राधिकारी सजा बढ़ाने का विनिश्चय करता है, लेकिन विनियम 61 में उप-व्यक्ति रूप में पहले ही जांच की जा चुकी है तो अपीली प्राधिकारी कर्मचारी को इस बात का कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न बढ़ाया गई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए। अपीली प्राधिकारी, यदि कर्मचारी द्वारा कोई अन्यायवेदन दिया जाता है, तो उस पर विचार करने के बाद अन्तिम आदेश पास करेगा।

69. पुनर्विलोकन

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट पुनर्विलोकन प्राधिकारी अन्तिम आदेश की तारीख के छ मास के भीतर मामले के अभिलेख पंगा सकेगा और मासों का पुनर्विलोकन करने के बाद उस पर ऐसे आदेश पास कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे। परन्तु यह कि यदि बढ़ाया गई शास्ति जिसे पुनर्विलोकन प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्तावना करता है, विनियम 59 के खण्ड (ड), (च), (छ), (ज) में विनिर्दिष्ट नहीं शास्ति है और विनियम 61 के अधीन उपव्यक्ति रूप में मामले की पहले ही जांच नहीं की गई है, पुनर्विलोकन प्राधिकारी यह निदेश देगा कि ऐसी कोई जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पास करेगा जैसा वह उचित समझेगा। यदि अपीली प्राधिकारी सजा बढ़ाने का विनिश्चय करता है लेकिन जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार पहले ही की जा चुकी है, तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी कर्मचारी को इस बात का कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न बढ़ाया गई शास्ति उस पर अधिरोपित की

जानी चाहिए। पुनर्विलोकन प्राधिकारी, यदि कर्मचारी द्वारा कोई अन्यायवेदन दिया जाता है तो उस पर विचार करने के बाद अन्तिम आदेश पास करेगा।

70. आदेशों, सूचनाओं आदि की तामील

इन विनियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया हर आदेश सूचना और अन्य आदेशिका की तामील सम्बन्धित कर्मचारी पर स्वयं की जाएगी या उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा समूचित की जाएगी।

71. समय सीमा शिथिल करने, विलम्ब को माफ करने की शक्ति

इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपव्यक्ति के सिवाए, इन विनियमों के अधीन कोई आदेश करने के लिए सक्षम कोई भी प्राधिकारी सहो और पर्याप्त कारणों से अवकाश प्राप्त हेतुक दिखाये जाने की दशा में, इन विनियमों के अधीन किसी बात के किए जाने के लिए अपेक्षित समय सीमा को जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट है, बढ़ा सकेगा अथवा विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा।

72. निरसन और व्यावृत्ति

(1) केन्द्रीय आण्डाधारण कर्मचारीवृन्द विनियम, 1966 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस तरह निरसित विनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाईयां, किया गया तात्पर्यित कार्य या की गई कार्रवाई अब तक कि वह इन विनियमों के उपबन्धों से अतंगत नहीं है तब तक कि वह इन विनियमों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई सञ्जा जाएगा।

विद्युतिंग, यमुनासाहित्य अकादमी के लिए अर्द्ध-वृत्तिकाओं के लिए सहाय प्राधिकारी।

परिशिष्ट-1

(देखें विनियम 8, 60, 68 और 69)

क्रम संख्या	वर्ग	नियुक्ति प्राधिकारी	मानित अधिरोचित करने के लिए सहाय प्राधिकारी	अधीन प्राधिकारी	वृत्तिकाओं के प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1. समूह "अ"					
क. क्षेत्रीय कार्यालय		क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
ख. प्रधान कार्यालय		संयुक्त प्रबन्धक (कार्यक)	संयुक्त प्रबन्धक (कार्यक)	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
2. समूह "ग"					
(I) केसर हाउस सहकारी बैंक-1		क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
(क) क्षेत्रीय कार्यालय		कार्यक	कार्यक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
(ख) प्रधान कार्यालय		कार्यक	कार्यक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
(II) सती चयन		महा प्रबन्धक	महा प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
3. समूह "ब"					
4. समूह "क"					
5. (I) प्रबन्धकों के लिए के क्षेत्र के अधिकारी		प्रबन्धक	प्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
(II) प्रबन्धकों के लिए के क्षेत्र के अधिकारी		निदेशक बोर्ड	निदेशक बोर्ड	क्षेत्रीय प्रबन्धक	महा प्रबन्धक
(1500-1800 रुपये प्रति इन्से चक्रिक के क्षेत्रगत होते हैं)					

तारिख-2

(बड़े टिप्पण 8, 9 और 10)

विराम चूने के लिए भर्ती की पद्धति, संसाधन तालिका

पद का नाम	वर्ग/कारण	वर्ग की संख्या	चयन प्रणाली	वैतनमान	चयन पद्धति	भर्ती की पद्धति	प्रोत्ति/प्रतिनिधित्व	संशोधन प्रणाली	सीपी भर्ती	सीपी भर्ती के लिए लागू होने वाली शर्तें	सीपी भर्ती के लिए लागू नहीं होने वाली शर्तें	नोटिफिकेशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. सहायक प्रबन्धक	श्री 1	1	5, 2000-125/2	चयन	प्रोत्ति/प्रतिनिधित्व पर आधारित प्रणाली	45 वर्ष	अनुभव/कार्य/प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना	अनुभव/कार्य/प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना	नोटिफिकेशन			
2. सचिव	श्री 1	1	5, 1800-100-2000-125/2-2250	चयन	प्रोत्ति/प्रतिनिधित्व पर आधारित प्रणाली	45 वर्ष	अनुभव/कार्य/प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना	अनुभव/कार्य/प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना	नोटिफिकेशन			

सीपी भर्ती :
अनुभव/कार्य/प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना

सीपी भर्ती :
अनुभव/कार्य/प्रशासन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में लगातार उपाधि प्राप्त करना या अनुभव या कार्य में लगातार उपाधि प्राप्त करना

कम 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं या सरकारी संस्थान के वे अधिकारी जो भय प्रवर्धक स्तर पर 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं।

5. संयुक्त प्रयोजन	श्रेणियाँ	1A	₹. 1,300-50-1,800	समय	75 प्रतिशत शोन्मति द्वारा समयवा सीधी नहीं द्वारा	शोन्मति : सामान्य प्रवर्ध संवर्ग में उप-प्रवर्धक जो निगम में तीन वर्ष से कम कर चुके हैं।	40 वर्ष	सामग्री	पुरुष
					प्रत्येक प्रति-निर्दिष्ट द्वारा 25 प्रतिशत सीधी शोन्मति द्वारा।	प्रतिनिर्दिष्ट : केन्द्रीय सरकार में 1100-1600 ₹. या इससे ऊपर के वेतनमान में वर्षों पर काम कर रहे उपयुक्त अधिकारी या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष एवं पर कार्य कर रहे वे अधिकारी जो 1600/- रुपये प्रति मास जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है। से कम वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।		विशेषतया संपदाश/ वाणिज्य/ कारोबार प्रशासन/ दौरोपिक संबंध में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।	

6. उप-प्रवर्धक (सामान्य)	श्रेणियाँ	3A	₹. 1,200-50-1,600	समय	75 प्रतिशत शोन्मति द्वारा समयवा सीधी नहीं द्वारा	शोन्मति : सामान्य प्रवर्ध संवर्ग में वरिष्ठ सहायक प्रबंधक/ वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी जिनकी संचय जो 700-1300 रुपये के वेतनमान में 5 वर्षों का कर चुके हैं।	30 वर्ष	विशेषतया संपदाश/ वाणिज्य/ कारोबार प्रशासन/ दौरोपिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री।	पुरुष
					प्रत्येक प्रति-निर्दिष्ट द्वारा 25 प्रतिशत शोन्मति द्वारा।	नोट : सामान्य प्रवर्ध संवर्ग में उप-प्रवर्धक के ज्ञान में शोन्मति के लिए विचार किए जाने के लिए शक्यता के लिए, जिनकी संचय जो सामान्य प्रवर्ध संवर्ग में वरिष्ठ सहायक के रूप में कम से कम एक वर्ष कार्य किया होता चाहिए।		अनुभव : केन्द्रीय सरकार में उस वेतनमान में 4 वर्ष या अनुभव जिसका व्युत्पत्त 700/- रुपये से कम नहीं है या केन्द्रीय सरकार में उस वेतनमान में 6 वर्ष का अनुभव जिसका व्युत्पत्त 650/- रुपये से कम नहीं है या सरकारी संस्थात या वाणिज्य संगठनों में समकक्ष स्तरों पर शोन्मति प्रकार के अनुभव वाले जो 1300/- रुपये प्रतिमास जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. वरिष्ठ विदेशिक	ग्रेड "ग"	1	₹. 1,200-1,600	चयन	75 प्रतिशत आयु प्रतिशत शरीर अथवा मोठी यकी शरीर अथवा प्रति-निमित्त द्वारा और 2.5% मोठी अती द्वारा अथवा प्रति-निमित्त द्वारा।	प्रोमोसि: विश्वेश्वर सिन्हा 5, 700-1300 से वेतनमान में 5 वर्ष सेवा की है। प्रतिनिधित्त: केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने उस वेतनमान में जिसका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है, 4 वर्ष की सेवा है या सरकारी संस्थान के से उपयुक्त अधिकारी जिन्हें साकार अनुसंधान, शैक्षिक सूचना एकत्रित करने/वर्गीकरण और व्याख्या करने का 4 वर्ष का अनुभव है और जो 1300 रुपये प्रतिमास जिसमें मंहगाई पना शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।	लैंगिक अर्हता: 5 वर्षावास/साक्षिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री, कम्प्यूटर प्रोग्राम बनाने का अनुभव रखने वाले को सखी है। अनुभव: जिन्होंने केन्द्रीय सरकार में उस वेतनमान में जिसका न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है, 4 वर्ष सेवा की है और जिन्हें साकार अनुसंधान, शैक्षिक सूचना एकत्रित करने और उसकी व्याख्या करने का अनुभव है या सरकारी संस्थान में वाणिज्य संगठन में इस प्रकार का 4 वर्ष का अनुभव है और जो 1300 रुपये प्रतिमास जिसमें मंहगाई पना शामिल है, से कम नहीं ले रहे हैं।	40 वर्ष	सामू नहीं	रूप
15. विदेशिक	ग्रेड "क"	1	₹. 700-1,000	चयन	राशि: चयन	—	लैंगिक अर्हता: केन्द्रीय सरकार/साक्षिकी में के साथ अध्यापक/साक्षिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। अनुभव: केन्द्रीय सरकार, सरकारी संस्थान, या वाणिज्य संगठन में परीक्षक स्तर पर शैक्षिक सेवा की 500 घण्टे और उच्चको शिक्षण करने का 3 वर्ष का अनुभव।	30 वर्ष	सामू नहीं	रूप
16. वरिष्ठ साक्षिकी अधिकारी	ग्रेड "क"	1	₹. 700-1,300	चयन	प्रतिनिधित्त पर स्थानान्तरण अथवा प्राप्ति: नहीं प्राप्त।	प्रतिनिधित्त पर स्थानान्तरण/प्रोमोसि: केन्द्रीय सरकार में उस वेतनमान में 3 वर्ष सेवा कर चुके साक्षिकी अधिकारी जिन्होंने न्यूनतम 700 रुपये से कम नहीं है और सरकारी संस्थान वाणिज्य संगठनों में परीक्षक स्तर पर 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले उपयुक्त अधिकारी जो 1300 रुपये प्रतिमास जिसमें मंहगाई	लैंगिक अर्हता: साक्षिकी/गणतंत्रशास/साक्षिकी के साथ अध्यापक/साक्षिकी के साथ वाणिज्य/शैक्षिक साक्षिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री। अनुभव: केन्द्रीय सरकार में परीक्षक स्तर पर 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले उपयुक्त अधिकारी जो 1300 रुपये प्रतिमास जिसमें मंहगाई	30 वर्ष	सामू नहीं	रूप

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

आश्रित स्तर पर विधियों के रूप में दिल्ली और अरिजी महिला संस्कृत में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिप्लो।

(ख) दिल्ली और अरिजी में प्रयोगता होनी चाहिए और डिप्लोमा तथा मास्टर का काम करते की योग्यता होनी चाहिए।

(ग) दिल्ली में राधावल्लो काम और अरिजी से दिल्ली समा दिल्ली से अरिजी में अनुसंधान कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव।

दिल्ली से पी. एच. डी. की डिग्री वाले उम्मीदवार के मामले में अनुसंधान में नियमितता।

20. निजी नॉन	श्रेण "क" 2	8, 700--1000	प्रति	श्रीमति : अनुसंधान, सहायक जिन्होंने 450--900 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है।	शून्य
21. अष्टम वैयक्तिक सहायक	श्रेण "ख" 6	8, 650--960	प्रति	श्रीमति : वैयक्तिक सहायक जिन्होंने 425--800 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा की है।	शून्य
22. वैयक्तिक सहायक	श्रेण "ग" 27	5, 425--800	प्रति	5 वर्ष की सेवा वाले शून्य निधिकों में से उपेक्षित की आधार पर श्रेणति द्वारा लेकिन प्रत्येक की नियति में न संभूर।	शून्य
23. पुस्तकालयसूत्र	श्रेण "ग" 1	5, 425--800	प्रति	—	शून्य
24. कनिष्ठ पंजीक	श्रेण "ग" 515	8, 425-15-500- द.से.-15-500-20- 700 द.से.-25-	प्रति	रकम, ए.सी.-1/कनिष्ठ जिन्होंने उस श्रेण में कम से कम 4 वर्ष सेवा की है, में से श्रेणति	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. रोकथाम	सेर 'ग'	(1) ₹. 330-500 (2) ₹. 425-800 रुपये	प्रतिरक्षित मूल वेतन के 20 प्रतिशत तक विरोध वेतन लेकिन मूल वेतन 0.5 ₹. और अधिकतम 50 ₹.	---	---	प्रशिक्षणतः लेखा या वाणिज्य योग्यता वाले वेतन/हाउस सहायक पेड-1 सशिक्षित प्रवीणता/सहायक में से उपयुक्त कर्मचारी की नियुक्ति।	---	---	जागू नहीं	अतिरिक्त असीमित कर्मचारी सहायक पक / सहायक प्रदत्तक के पद के लिए प्रोत्तति के प्रयोजन के लिए रोकथाम को अंशो में नियुक्ति होगी वेतन/हाउस सहायक पेड-1/क सशिक्षित कर्मचारी सहायक के रूप प्रयत्नो अव्यथा निश्चयी।
31. वेतन/हाउस सहायक पेड-II	सेर 'ग'	1870 ₹. 260-8-290-क. री. 0-326-8-366-क. री. 8-390-10-400	---	---	प्रोत्तति: 20 प्रतिशत सीधी सती 80 प्रतिशत	शुद्ध वेतनी नियमित कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेण में 3 वर्ष सेवा की है में से प्रोत्तति। यह नियुक्ति उनके विहित समय सीमा शर्तों पर टैन्ट प्राप्त करने पर होगी।	30 र. 8. नि. दाखल करने की गति सहित वैदिक प्रशिक्षणतः कर्मचारी का अनुभव (व्यक्ति, प्रत्यक्षा उपयुक्त पदों पर जारी किए हुए) से विकल्पीय उम्मीदवारों के लिए दाखिल की गति की एक सत पूर्व निर्णय नहीं होगी।	25 वर्ष	जागू नहीं	सिधे प्रती किए गए सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रशिक्षण द्वारा निश्चित/दाखिल टैन्ट में सहायक प्रा.क. काली होगी।
32. हिन्दी टाईपस्ट (सेर. वेत. हाउस सहायक पेड-II)	सेर 'ग'	1870 ₹. 260-400	चयन	---	100 प्रतिशत सीधी सती	---	30 र. 8. नि. की गुणवत्ता गति वाले एक विषय में हिन्दी के सांग स्नातक, अतिमानतः हिन्दी टाईप का कार्य करने का अनुभव	25 वर्ष	जागू नहीं	गती उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रशिक्षण द्वारा निश्चित/दाखिल टैन्ट द्वारा प्रती. प्रती. योग्यता में सहायक सेवा होगा।

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पता	व्यय	100 प्रतिशत की सीमा	सीमा	30 वर्ष	लागू नहीं	निष्पत्ति के विषय
33.	स्वायंभूव शंकर प्रसाद	बैठ 'ग'	18	र. 200-400	व्यय	100 प्रतिशत की सीमा नहीं	--	सीमा नहीं शैक्षणिक नहीं है 1. शिक्षित स्तर उच्च 2. हुल्की नोट्स परीक्षा पास की लाइसेंस 3. बालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव कोटनोग 1. भारी मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिए लाइसेंस
34.	विप्लव शंकर	बैठ 'ग'	6	र. 200-400	व्यय	100 प्रतिशत शीघ्रता	--	व्यय शीघ्रता से निर्धारित नहीं होती है वही कम से कम 3 वर्ष की सेवा वाले कार्यरत व्यक्तियों से है (प्रधान कार्यरत को एक अलग शीघ्रता से मना जाएगा)। व्यय की रूप में कम से कम 10 वर्ष सेवा वाले शीघ्रता से कार्यरत व्यक्तियों से है रत व्ययों से से अर्द्ध शिक्षा प्राप्त निर्धारित नहीं होती है (प्रधान कार्यरत को एक अलग शीघ्रता मना जाएगा)
35.	श्यामी	बैठ 'घ'	32	र. 200-250	व्यय	अर्द्ध-व्यय-व्यय पुस्तकालय द्वारा 100 प्रतिशत शीघ्रता	--	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
36.	व्यय	बैठ 'घ'	46	र. 196-232	व्यय	सीमा नहीं 100 प्रतिशत	25 वर्ष	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
37.	व्यय	बैठ 'घ'	1	र. 200-250	व्यय	100 प्रतिशत शीघ्रता	--	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं

निम्न स्तर उच्च सीमा निर्धारित नहीं है
श्री व्ययों जिन्हें शीघ्रता से
शिक्षित/कार्यरत भाग का कुछ
भाग है।

बैतनगत में कम से कम 10 वर्ष
सेवा वाले व्यक्तियों (र. 196-
232) से है।

1632 GI/85-5

संस्कृत/की संकाय

संस्कृत/की संकाय
 1. 1500-1600 ई. 4 वर्ष
 प्रतिक्रिया/संस्कृत/की संकाय
 स्थानांतरण, 1500-1600 ई. 4 वर्ष
 प्रतिक्रिया/की संकाय
 1500-1600 ई. 4 वर्ष
 प्रतिक्रिया/की संकाय
 1500-1600 ई. 4 वर्ष

संस्कृत/की संकाय
 45 वर्ष
 संस्कृत/की संकाय

संस्कृत/की संकाय
 45 वर्ष
 संस्कृत/की संकाय
 45 वर्ष

संस्कृत/की संकाय
 75 प्रतिक्रिया/की संकाय
 संस्कृत/की संकाय
 1500-1600 ई. 4 वर्ष
 संस्कृत/की संकाय
 1500-1600 ई. 4 वर्ष

संस्कृत/की संकाय
 40 वर्ष
 संस्कृत/की संकाय

संस्कृत/की संकाय
 40 वर्ष
 संस्कृत/की संकाय
 40 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. उप-सहायक (सहायकी)	रिट (ए)	र. 1,200—1,600	चपत 75	अभियांत, प्रोफेसि	प्रोफेसि:	सहायकी सेवा में अष्ट लहायक प्रवक्तृक जो 700-1300 रुपये रुपये के वेतनमात्र में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं प्रतिनिधि।	सोचो नहीं शैक्षिक शैली। कोट, विमान, संहिता कृषि या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या जीव रसायन या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या कोट विमान संहिता प्राथमिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।	40 वर्ष	सात नहीं	सूच्य
4. अष्ट लहायक प्रवक्तृक (सहायकी)	रिट (ए)	र. 700—1,200	चपत 50	अभियांत प्रोफेसि	प्रोफेसि:	सहायकी सेवा में अष्ट लहायक प्रवक्तृक जो 700-1300 रुपये रुपये के वेतनमात्र में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं प्रतिनिधि।	सोचो नहीं शैक्षिक शैली। कोट, विमान, संहिता कृषि या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या जीव रसायन या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या कोट विमान संहिता प्राथमिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।	30 वर्ष	सात नहीं	सूच्य
5. संवर्ण निरीक्षण सहायकी (सहायकी)	रिट (ए)	र. 650—1,200	चपत 100	अभियांत प्रोफेसि	प्रोफेसि:	सहायकी सेवा में अष्ट लहायक प्रवक्तृक जो 700-1300 रुपये रुपये के वेतनमात्र में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं प्रतिनिधि।	सोचो नहीं शैक्षिक शैली। कोट, विमान, संहिता कृषि या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या जीव रसायन या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या कोट विमान संहिता प्राथमिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।	—	सात नहीं	सूच्य
6. सहायक (सहायकी)	रिट (ए)	र. 550—900	चपत 100	अभियांत प्रोफेसि	प्रोफेसि:	सहायकी सेवा में अष्ट लहायक प्रवक्तृक जो 700-1300 रुपये रुपये के वेतनमात्र में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं प्रतिनिधि।	सोचो नहीं शैक्षिक शैली। कोट, विमान, संहिता कृषि या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या जीव रसायन या प्रायुजीय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या कोट विमान संहिता प्राथमिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।	—	सात नहीं	सूच्य

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1986

No. CWC[XIV-4]Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER—I

1. Short Title, Commencement and Application.—

(1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986.

(2) These shall come into force at once.

(3) These shall apply to all the employees of the Corporation and all persons employed by the Corporation on contract or on deputation in respect of all matters not regulated by the contract or by the terms of deputation, as the case may be.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Appendix" means an Appendix to these regulations;
- (b) "Board of Directors" means the Board of Directors of the Corporation;
- (c) "Corporation" means the Central Warehousing Corporation established under Section 3 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962);
- (d) "Disciplinary Authority" in relation to the imposition of a penalty on an employee means the authority competent under these Regulations to impose on him that penalty;
- (e) "Employee" means a person who is in the whole-time service of the Corporation but does not include a person employed by the Corporation on daily wages;
- (f) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Corporation;
- (g) "General Manager" means the General Manager of the Corporation;
- (h) "Joint Manager (Personnel)" means the Joint Manager (Personnel) of the Corporation at Head Office;
- (i) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation;
- (j) "Pay" means the amount drawn by an employee as pay, special pay, personnel pay and any other emoluments excluding allowances, which may be specifically classified as pay by the Board of Directors;

(k) "Personnel Manager" means the Personnel Manager of the Corporation.

(l) "Public Institution" means a body, incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government;

(m) "Regional Manager" means the Officer-in-charge of a Regional Office of the Corporation;

(n) "Regular Employee" means an employee who has been declared to have completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority;

(o) "Selection Committee" means a Committee appointed by the Board of Directors of the Corporation or the appointing authority for selecting persons for various posts in the Corporation and shall include Departmental Promotion Committee;

(p) "Temporary Employee" means an employee on probation on initial appointment;

3. Interpretation.—If any doubt or difficulty arises in interpreting these regulations or in giving effect to them or if any lacuna, inconsistency or anomaly is discovered in their applications, it shall be open to the Board of Directors to issue general instructions not inconsistent with the Act and the rules and regulations made hereunder or any instructions issued by the Government from time to time to the extent it is applicable to the Corporation for the purposes of removing such doubt, difficulty, lacuna, inconsistency or anomaly.

CHAPTER—II

GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

4. Classification of Posts.—The posts under the Corporation shall be classified as given below :—

Group—A : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1,300.

Group—B : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 900 but less than Rs. 1,300.

Group—C : Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 290 but less than Rs. 900.

Group—D : Posts carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 290 or less.

Note :—The above classification is based on the existing scales of pay and shall correspondingly be revised on revision of pay scales.

5. Creation of Posts.—The Board of Directors shall, from time to time, determine the strength of staff under various categories required for carrying out its functions.

The following authorities shall be empowered to create new or additional posts in the Corporation.

Authority	Category of post
Board of Directors	Any post below the Board of Directors level.
Managing Director	Any post in any Group the maximum pay of which does not exceed Rs. 1600 per month subject to the norms and guidelines laid down by the Board of Directors from time to time.

6. Appointing Authority.—The authorities competent to make appointments to the categories of posts indicated in column 2 of the Appendix-I will be those specified in the corresponding entries in column 3 of that Appendix.

7. General conditions relating to Appointment.—The following general conditions shall apply to all appointments to the service of the Corporation :—

- (a) No person shall be eligible for initial appointment unless he has attained the age of 18 years.
- (b) A candidate for appointment in the service of the Corporation shall be :
 - (i) a citizen of India, or
 - (ii) a subject of Nepal, or
 - (iii) a subject of Bhutan, or
 - (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or
 - (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government.

- (c) A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview and may also be appointed provisionally subject to the necessary certificate being given to him by the Government.
- (d) No person shall be initially appointed unless he has been certified by a qualified registered medical practitioner approved by

the appointing authority to be of sound constitution and medically fit to discharge his duties.

Explanation : Unless the appointing authority otherwise directs, the application of this provision shall be limited to regular appointments by direct recruitment.

- (e) No person shall be eligible for appointment who has previously been dismissed, or compulsorily retired from the service of the Corporation, a State Government, the Central Government or any Public Sector Undertaking.
- (f) No person shall be eligible for appointment who has been convicted in a court of law for any offence involving moral turpitude.
- (g) No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment in the service of the Corporation :

Provided that the Managing Director may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- (h) Without prejudice to the generality of the provisions of clauses (d), (e), (f) and (g), no person shall be appointed unless the appointing authority is satisfied that the person is fit for appointment in all respects.

8. Mode of Appointment.—(1) Regular appointments in the service of the Corporation can only be made to the posts specified in Appendix-II sanctioned for a period of not less than one year and shall be made:

- (a) in accordance with any of the modes specified against each in the said Appendix-II or
- (b) by permanent absorption of deputationists in the service of the Corporation.

(2) Where any qualification, or age limits, have been specified in the said Appendix-II in respect of any post with reference to any mode of appointment thereto, only persons satisfying such qualifications and within the age limits so specified shall be appointed to that category through such mode :

Provided that the Board may relax, by order, any of the provisions of the recruitment rules contained in Appendix-II for a class or category of persons, if in their opinion it is necessary or expedient so to do.

(3) Notwithstanding anything contained in these regulations and subject to instructions of the Central

Government issued from time to time, appointments may be made to any post in the Corporation ;

- (a) by deputation of suitable officers from the Central Government or from any State Government or from any public sector undertaking or with the prior approval of the Board of Directors from any private sector undertaking for an initial period of three years ;
- (b) by re-employment of personnel superannuated from service of the Central or any State Government or of the Corporation for a period not exceeding two years : such re-employment being sanctioned by an authority not lower in rank than the Board of Directors, and with the approval of the Central Government ;
- (c) on a purely temporary basis for a period not exceeding one year ;
- (d) on special contract subject to such terms and conditions as may be decided by the Board of Directors.

9. Procedure for Recruitment and Promotion.—

(A) Procedure for direct recruitment :

- (i) Direct recruitment shall be regulated by the general instructions issued by the Board of Director from time to time.
- (ii) Selected candidates shall be required before appointment to submit themselves to a medical test by a qualified medical practitioner approved in this behalf by the appointing authority. The fee payable for the medical test shall be borne by the Corporation.

(B) Procedure for promotion :

- (i) Promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in respect of non-selection posts indicated in Appendix-II.
- (ii) Promotion in respect of selection posts indicated in Appendix-II, shall be made on the basis of merit, seniority being considered only when the merit of contending candidates is the same.
- (iii) All promotions shall be considered by a Selection Committee duly constituted for this purpose and shall be regulated by the general instructions to be issued by the Board of Directors, in regard to the field of choice of candidates, the size of the panel and the validity of the panel.

(C) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in services under the Corporation :

In making appointments in the services of the Corporation, reservations, relaxation of age limits and other concessions would be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other

categories of persons as directed by the Central Government from time to time. The Managing Director may issue detailed administrative instructions accordingly.

10. Probation :

- (i) Every person regularly appointed to any post either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a minimum period of one year from the date of assumption of charge.
- (ii) The Appointing Authority may, in its discretion, extend the period of probation upto a further period not exceeding one year.
- (iii) During the period of probation, an employee directly recruited shall be liable to be discharged from the service without assigning any reason by giving him a notice of one month or pay in lieu thereof. A departmental candidate appointed to any higher post through direct recruitment shall during the period of probation be liable to be reverted to the original post held by him prior to such appointment, without any notice and without assigning any reason.
- (iv) During the period of probation, an employee promoted to a higher post from a lower post shall be liable to be reverted to the lower post without notice and without assigning any reason.
- (v) Where an employee has rendered continuous temporary or officiating or ad-hoc service or continuous service in the post on deputation immediately preceding his regular appointment to such post, the period of service so rendered, may be counted against the period of probation if the appointing authority so directs. This will, however, not affect the seniority which will be governed by the normal rules of seniority in the grade.

11. Declaration of fidelity and secrecy.—Every person on first appointment to service of the Corporation shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form at Appendix-III. Such declaration shall be made by him before the Officer to whom he reports for duty and it shall be duly countersigned.

12. Liability for Service.—A person recruited to any post under the Corporation shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Training.—All employees are liable to undergo such training for such period and undertake such examinations as may be prescribed by the Corporation from time to time.

14. Seniority.—Seniority of the employees appointed in the Corporation shall be determined as follows :

- (i) The relative seniority of direct recruits will be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment. When two or more candidates are

declared to be of equal merit at one and the same selection, their relative seniority will be determined by the date of birth the older candidate being the senior. Persons appointed as a result of earlier selection shall rank senior to those appointed as a result of subsequent selection.

(ii) In categories of post partially filled by direct recruitment and partially by promotion, criteria for determination of seniority shall be the order in which the select list has been drawn by the Selection Committee for promotion in the case of promotees and the order of merit drawn by the Selection Committee for appointment in the case of direct recruits subject to maintenance of inter-se seniority of promotees and direct recruits among themselves. In determining the seniority, the promotee shall be placed over the direct recruit in the ratio in which the recruitment is made.

(iii) Seniority for all Group 'D' posts and posts of Warehouse Assistant Grade-II in Group 'C' shall be maintained on Regional basis.

Explanation : For the purposes of paragraph (iii), Head Office of the Corporation shall be deemed to be a separate Region.

15. Seniority on Promotion.—Candidates selected for promotion at an earlier selection shall be senior to those selected later irrespective of the dates of joining. If a promotion order contains names of more than one person, their seniority shall be according to the merit list drawn by the Selection Committee in accordance with the relevant promotion rules.

16. Seniority on Transfer.—Seniority of employee on post having regional seniority if transferred from one region of the Corporation to the other region, in the interest of the Corporation will be regulated with reference to the date of promotion/appointment to the grade as the case may be. If, however, the transfer is at request of the employee seniority will be fixed below those in the relevant grade in the new region irrespective of length of service of the transferred employee in the grade.

17. Seniority on reduction as penalty.—(i) The seniority of an employee whose pay is reduced in the same time scale as a result of disciplinary action will not be affected by such order.

(ii) The seniority of an employee who is reduced to a lower grade or post as a result of disciplinary action and the period of such reduction is not specified in the order imposing the penalty shall be lost entirely. Such employee shall be required to render prescribed qualifying service in the reduced grade/post for being eligible for consideration for re-promotion. On re-promotion the seniority of such an employee shall be determined by the date of re-promotion without regard to the service rendered by him

in such service/grade prior to his reduction. Where the penalty of reduction to a lower grade or post or lower time scale is for specified period the employee concerned shall be re-promoted automatically to the post from which he was reduced and the seniority in the original grade or post or time scale shall be fixed at which it would have been but for his reduction.

18. Seniority of deputationists—*de. absorption.*—

(i) Seniority of deputationist absorbed in the same grade in which he was originally appointed on deputation shall count from the date of his original appointment on deputation in that grade in the Corporation.

(ii) Seniority of the deputationist on absorption vis-a-vis those directly recruited or promoted in the same grade will be decided based on the date of appointment to the grade. When the date of order of appointment in the case of direct recruits, promotees and the date of absorption in the case of deputationists happens to be the same, the deputationists will be placed above the direct recruits but below the promotees subject to inter-se seniority of direct recruits, drawn at the time of selection.

19. Resignation.—(i) No employee shall resign from the service of the Corporation except by giving due notice in writing which shall be three months in the case of regular employee and one month in case of person on probation. A regular employee holding a higher post on probation either on promotion or on appointment against direct recruitment shall also be required to give three months' notice :

Provided that it shall be open to appointing authority to waive such notice period.

(ii) Resignation may be accepted by appointing authority with immediate effect or at any time before the expiry of the period of notice.

(iii) No employee who has submitted his resignation shall be allowed to withdraw it except with the prior approval of the Managing Director.

(iv) Resignation submitted by an employee will become effective only when it is accepted and the employee is relieved of his duties.

(v) An employee leaving the service of the Corporation without giving a proper notice and without acceptance of his resignation by the management and without being formally relieved of his duties shall be liable to disciplinary action under these Regulations.

(vi) An employee who is under bond to serve the Corporation for a specified period shall, in addition to the notice period, compensate

the Corporation by an amount as specified under the Surety Bond :

Provided that the Managing Director may, by an order in writing, waive wholly or in part, the requirement of such compensation or direct otherwise, depending on the merits of each case.

20. Termination of service and discharge.—
(i) Except as may be specifically provided in the contract of service, the Corporation may at any time discharge an employee or terminate the service of an employee by giving the following notice or by payment of pay and allowances in lieu of such notice :—

Category of employee—	Period of notice
-----------------------	------------------

(a) Regular employee	Three months
----------------------	--------------

(b) Temporary employee	One month
------------------------	-----------

- (ii) The service of an employee may also be terminated by the Corporation on the following grounds among others :—

- (a) on abolition of the post ;
- (b) on being declared unfit for further service on medical grounds ;
- (c) insolvency ;
- (d) Conviction by a Court of Law for criminal offence amounting to moral turpitude ;
- (e) engaging himself in any other employment without the written permission of the management or found to have been working elsewhere during the period of leave of duty ;
- (f) loss of confidence by the Corporation in an employee holding position of trust or confidence or by virtue of his nature of duties ;
- (g) absence of an employee on grounds of sickness for a continuous period of more than 24 months if suffering from tuberculosis, leprosy, mental or malignant diseases or fracture of lower/upper extremity ;
- (h) unauthorised absence for a period exceeding one month without written permission of the competent authority to grant leave.

21. Superannuation and retirement.—(i) Every employee appointed to the service of the Corporation shall retire on the last day of the month in which he/she attains the age of 58 years :

Provided that an employee whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of 58 years.

- (ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) above, the appointing authority shall, if it is of the opinion that it is in the interest of the Corporation to do so, have the absolute right to retire a Group A, B, C and D employee if he has attained the age of 50 years by giving him a notice of not less than three clear months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice :

Provided that an employee belonging to the above Groups may, by giving a notice of not less than three clear months in writing to the appointing authority, voluntarily retire from the service of the Corporation after he has attained the age of 50 years.

Explanation 1.—Notice given under Sub-Regulation (ii) shall require acceptance by the appointing authority provided that in the absence of any refusal of permission for voluntary retirement, the same shall become effective from the date of the expiry of the period of notice.

Explanation 2.—An employee who has elected to voluntarily retire and has given a notice under sub-regulation (ii) shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of the appointing authority.

- (iii) Nothing contained in clauses (i) and (ii) above shall effect the right of the competent authority to retire an employee with due notice or pay in lieu thereof on his being certified by a Medical Examiner to be nominated for the purpose by such authority as being incapacitated for a further period of continuous service due to his continued illness or accident.
- (iv) An employee may be permitted to retire on his own request on the appointing authority being satisfied that such an employee is incapacitated for a further period of continuous service due to his continued illness or accident.

CHAPTER—III

22. Scales of Pay.—(i) The scales of pay applicable to various categories of posts in the Corporation are as indicated in column 4 in Appendix-II.
- (ii) The powers to revise the scales of pay of various posts in the Corporation shall be exercised by the Board of Directors with the prior approval of the Central Government :

Provident that the pay and allowances of an employee on deputation shall be regulated in accordance with such terms and conditions of foreign service as may be mutually decided between the Corporation and the lending organisation.

23. (i) Dearness Allowance.—Unless otherwise stipulated in the terms and conditions of employment, every employee shall be entitled to Industrial Dearness Allowances at the rates as determined by the Central Government on the basis of All India Consumer Price-Index published by the Labour Bureau in the Ministry of Labour, Government of India, 1960=100 series or such other series as may be prescribed by the Government.

(ii) Other Allowances.—The Corporation may, with the prior approval of the Board of Directors, prescribe from time to time the kinds of any other allowances and the terms and conditions on which such allowances may be granted. For the purposes of regulating payment of House Rent Allowance and City Compensatory Allowances, the classification of cities and towns shall be the same as notified by the Central Government for its employees for this purpose from time to time.

Provided that the powers vested in the Board of Directors in respect of this Regulation shall be exercised by the Board of Directors subject to such directives, guidelines and instructions as may be issued by the Central Government from time to time.

24. Pay on Initial Appointment.—The initial basic pay of an employee newly appointed to a post under the Corporation shall be fixed at the minimum of the time scale of the post to which he is appointed except in the following cases:—

- (i) Pay of departmental candidates selected for higher posts against open advertisement will be fixed as on promotion.
- (ii) In the case of emergency commissioned, short service commissioned officers and other category of employees for which special orders are issued by the Central Government the same shall be kept in view while fixing the pay of such employee in the Corporation's scale of pay.
- (iii) In the case of persons who are already in employment with the Central Government or a State Government or a Public Institution, pay on appointment to a post under the Corporation will be fixed at the stage in the scale so that total emoluments (comprising pay and Dearness Allowance) last drawn in the previous employment are protected and if there is no corresponding stage in the scale, at the next higher stage.
- (iv) Higher pay not exceeding five increments in the scale applicable to the post, as may

be recommended by the Selection Committee in deserving cases and accepted by the appointing authority, may be allowed on initial appointment. However, in exceptional circumstances and on merits more than five increments can be allowed with the prior approval of the Board of Directors.

25. Pay on Promotion.—(i) Where an employee is promoted to a higher post or grade, his initial pay in the new time scale shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment at the stage at which such pay has accrued, in case this happens to be lower than the minimum of the higher scale.

(ii) Where an employee immediately before his promotion was drawing pay at the maximum of the time scale of the lower post, his initial pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in the lower post by an amount equal to the last increment of the time scale of the lower post.

(iii) If an employee is drawing pay at a stage where the increment is biennial, the benefit of notional increment will be given only if the service rendered in that stage is for one year or more.

(iv) If an employee had previously officiated for or has been promoted on ad hoc basis to a higher scale, the initial pay fixed on re-promotion at the same scale or another post having an identical scale of pay will not be less than that drawn on the last occasion in the higher scale and the period (s) for which it had been drawn shall count for the purpose of drawal of annual increment in the higher scale.

(v) Where an employee is specifically required by the competent authority to hold charge of a higher post in addition to his own duties, he shall not be deemed to have been promoted to that higher post and shall not be eligible for benefit of pay fixation as on promotion. He shall, however, be eligible to draw charge allowance in accordance with the instructions issued by the Board of Directors from time to time.

26. Treatment of Special Pay/Charge Allowance/Personal pay on promotion.—(i) Special pay shall be ignored for purposes of fixation of pay in the higher grade unless it has been continuously drawn for a period of three years or it is allowed in lieu of higher grade.

(ii) Charge allowance shall not count for purposes of fixation of pay on promotion.

(iii). Personal Pay whenever applicable shall be protected in accordance with the conditions attached to it.

27. Pay Fixation on Reversion.—The pay of an employee reverted from a higher grade to a post to a lower grade or post shall be fixed in the lower grade in such a manner that he does not draw less than what he should have drawn had he continued in the lower scale but for his promotion to the higher scale.

28. Pay Fixation of Deputationists.—The pay of a deputationist shall be regulated in accordance with his terms of deputation as mutually agreed upon between the Lending authority and the Corporation subject to the condition that in no case the benefit accruing to a deputationist shall exceed the limits prescribed by the Central Government in this regard, from time to time.

29. Increment.—(i) Increments in the time scale of a post to which a person is appointed shall be drawn as a matter of course except where such increments have been withheld as a result of penalty imposed under these regulations.

(ii) All increments shall fall due on the preceding 1st day of January of every year in case of those employees whose actual increment dates fall between 1st January and 30th June and all increments shall fall due on the preceding 1st day of July of every year in case of those employees whose actual increment dates fall due between 1st July and 31st December.

(iii) In the case of employees who are on probation no increment shall be allowed during the period of probation. The first increment shall be allowed to be drawn with effect from the first of the month in which the probation is completed or twelve months are completed, whichever is later. Where the period of probation is extended no increment shall be allowed till the probation is successfully completed, and on such completion the first increment shall be granted with retrospective effect from the first of the month in which the initial period of probation has come to an end or twelve months are completed, whichever is later, although no arrears will be paid for the extended period of probation upto the first of the month in which it is completed. Subsequent increment shall be regulated in accordance with the provisions of sub-regulation (ii).

(iv) An employee in Group 'B' or 'C' or 'D' who has been stagnating or put at the maximum of the scale of his pay for two years or more may be granted an adhoc increment equivalent to the rate of increment last drawn by him in his existing

scale. An employee against whom a disciplinary case is pending shall not be granted such increment till the finalization of disciplinary proceedings started against him.

30. Counting of Service for the Purpose of Increment.—(i) All duty in a post in a time scale shall count for increment in that time scale.

(ii) All services in the Corporation in equivalent or higher posts shall count for increment.

(iii) All leave, except extra-ordinary leave taken otherwise than on the ground of sickness supported by a medical certificate, shall count for increment in the time scale applicable to the post in which the employee was working at the time he proceeded on leave :

Provided that the Managing Director may, if he is satisfied that the extra-ordinary leave was taken for any cause beyond the employee's control or for prosecuting higher scientific and technical studies, may direct that such extraordinary leave shall also be counted for increment.

(iv) All foreign service shall count for increment in the time scale applicable to the post in the Corporation which the employee was holding before his transfer on foreign service.

31. Leave.—Every employee shall be governed in the matter of leave by the provisions contained in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

32. Casual Leave.—(i) An employee shall be eligible for casual leave to the extent of twelve days on full pay in a year.

(ii) Not more than eight days' casual leave will normally be granted at a time.

(iii) Casual leave shall not be combined with any other leave.

(iv) Sundays and holidays preceding or following or occurring during the period of casual leave shall be omitted in calculating the period of casual leave availed of.

33. Authority To Grant Leave.—The Board of Directors may, from time to time, specify the competent authority for grant of various kinds of leave for classes of employees.

34. Joining time on transfer and pay during joining time.—Every employee on transfer from one station to another shall be entitled to such joining time and to such pay during the period of joining as per provisions contained in Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, as amended from time to time.

35. Travelling Allowances on Tour and Transfer.—The Board of Directors may prescribe from time to

time the rates at which and the conditions subject to which travelling allowance may be paid to the employees in connection with journeys undertaken by them on tour or transfer in the service of the Corporation.

36. Leave Travel Concession Encashment.—Encashment of Leave Travel Concession shall be admissible to the employees of the Corporation on the basis of the guidelines laid down by the Central Government from time to time.

37. Gratuity.—(i) The employees of the Corporation shall be governed by the provisions contained in the Payment of Gratuity Act, 1972, as amended from time to time.

(ii) Such of the employees who do not come within the purview of the said Act, shall be governed by the Central Warehousing Corporation Death-cum-Retirement Gratuity Scheme and the guidelines issued by the Central Government in this regard, from time to time.

38. Deputation of Employee of the Corporation to other organisations.—Employees of the Corporation may be sent on deputation to the Central Government, a State Government & a Public Institution with the approval of the Managing Director and subject to such instructions as may be issued by the Board of Directors from time to time. The deputation of such employees shall be governed by the terms to be mutually agreed upon between the Corporation and the borrowing authority.

CHAPTER—IV

CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEAL

39. General.—(i) Every employee of the Corporation shall at all times :

- (a) maintain absolute integrity;
- (b) maintain devotion to duty; and
- (c) do nothing which is unbecoming of a public servant.

(ii) Every employee of the Corporation holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees working under his control and authority.

40. Misconduct.—Without prejudice to the generality of the term 'misconduct', the following acts of omission shall be treated as misconduct :—

- (i) Theft, fraud or dishonesty in connection with the business or property of the Corporation or of property of another person within the premises of the Corporation.
- (ii) Taking or giving bribes or any illegal gratification.
- (iii) Possession of pecuniary resources or property disproportionate to the known source of income by the employee or on his behalf by another person, which the employee cannot satisfactorily account for.

- (iv) Furnishing false information regarding name, age, father's name, qualification, ability or previous service or any other matter germane to the employment at the time of employment or during the course of employment.
- (v) Acting in a manner prejudicial to the interests of the Corporation.
- (vi) Wilful insubordination or disobedience whether or not in combination with others or any lawful and reasonable order of superior.
- (vii) Absence without leave or overstaying the sanctioned leave for more than four consecutive days without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation.
- (viii) Habitual late or irregular attendance.
- (ix) Neglect of work or negligence in the performance of duty including malingering or slowing down of work.
- (x) Damage to any property of the Corporation.
- (xi) Interference or tampering with any safety devices installed in or about the premises of the Corporation.
- (xii) Drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour in the premises of the Corporation or outside such premises where such behaviour is related to or connected with the employment.
- (xiii) Gambling within the premises of the establishment.
- (xiv) Smoking within the premises of the establishment where it is prohibited.
- (xv) Collection without the permission of the competent authority of any money within the premises of the Corporation except as sanctioned by any law of the land for the time being in force or rules of the Corporation.
- (xvi) Sleeping while on duty.
- (xvii) Commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude.
- (xviii) Absence from the employee's appointed place of work without permission or sufficient cause.
- (xix) Purchasing properties, machinery, stores, etc. from or selling properties, machinery, stores, etc. to the Corporation without express permission in writing from the competent authority.
- (xx) Commission of any act subversive of discipline or good behaviour.
- (xix) Abetment of or attempt at abetment of any act which amounts to misconduct.

Note :—The above instances of misconduct are illustrative in nature and are not exhaustive.

41. Employment of near relatives of the Employees of the Corporation in any Company or Firm enjoying patronage of the Corporation.—(i) No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any person related, whether by blood or marriage, to the employee or to the employee's wife or husband, whether such a person is dependent on the employee or not.

(ii) No employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority permit his son, daughter or any member of the family to accept employment with any company or firm with which he has official dealings, or with any company or firm, having official dealings with the Corporation:

Provided that where the acceptance of the employment cannot await the prior permission of the competent authority, the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the competent authority, to whom the matter shall be reported forthwith.

(iii) No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other matter and the employee shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or the contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

42. Taking part in Demonstration.—No employee of the Corporation shall engage himself or participate in any demonstration which involves incitement to an offence.

43. Connection with Press or Radio.—(i) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication.

(ii) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority or the prescribed authority, or in the bonafide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person to any newspaper or periodical:

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

44. Criticism of Government and the Corporation.—No employee shall, in any radio broadcast or in any document published under his name or in the name of any other person or in any communication to the press, or any public utterances, make any statement which—

(a) has the effect of adverse criticism of any policy or action of the Central or a State Government, or of the Corporation;

(b) is capable of embarrassing the relations between the Corporation, Government and the public:

Provided that nothing in these Regulations shall apply to any statement made or views expressed by an employee of purely factual nature and which is of a confidential nature in his official capacity or in due performance of the duties assigned to him:

Provided further that nothing contained in this regulation shall apply to bonafide expression of views by him as an office bearer of a registered trade union for the purpose of safeguarding the conditions of service of such employees or for securing an improvement thereof.

45. Evidence before committee or any other authority.—(i) Save as provided in sub-regulation (iii) no employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of competent authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(ii) Where any sanction has been accorded under sub-regulation (i), no employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government or of the Corporation.

(iii) Nothing in this regulation shall apply to—

(a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the Government, Parliament or a State legislature or the Corporation.

(b) evidence given in any judicial enquiry, or

(c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities subordinate to the Corporation.

46. Unauthorised Communication of Information.—(i) No employee shall, except in accordance with any general or special order of the Corporation or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof to any officer or other employee, or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

47. Gifts.—(i) Save as otherwise provided in these regulations, no employee of the Corporation shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf, to accept any gift.

Explanation: The expression "gift" shall include free transport, board, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or a personal friend.

having no official dealings with the employee.

Note : An employee of the Corporation shall avoid acceptance of lavish or frequent hospitality from any individual or firm having official dealings with him.

(ii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practices, an employee of the Corporation may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the competent authority if the value of the gift exceeds Rs. 500/-.

(iii) On such occasions as are specified in sub-regulation (ii) an employee of the Corporation may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report to the competent authority if the value of any such gift exceeds Rs. 250/-.

(iv) In any other case, an employee of the Corporation shall not accept or permit any other member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift without the sanction of the competent authority if the value thereof exceeds Rs. 250/-.

Provided that when more than one gift has been received from the same person or firm within a period of 12 months, the matter shall be reported to the competent authority if the aggregate value of the gifts exceed Rs. 250/-.

48. No Employee of the Corporation shall—(i) give or take or abet the giving or taking of dowry ; or

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation : For the purpose of this regulation 'Dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

49. Private trade or Employment.—(i) No employee of the Corporation shall except with the previous sanction of the competent authority, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment :

Provided that an employee may without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of literary, artistic or scientific character subject to the condition that his official duties do not thereby suffer.

(ii) Every employee of the Corporation shall report to the competent authority if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(iii) No employee of the Corporation shall, without the previous sanction of the competent authority except in the discharge of his official duty, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or

any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purposes :

Provided that an employee of the Corporation may take part in the registration, promotion or management of a consumer or a house building co-operative society substantially for the benefit of employees of the Corporation registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in force.

(iv) No employee of the Corporation may accept any fee or any pecuniary advantage for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority.

50. Investment, Lending and Borrowing.—No employee shall, save in the ordinary course of business with a bank, the Life Insurance Corporation of India or a firm of standing, borrow money from or land money to or otherwise place himself under pecuniary obligation to any person with whom he has or is likely to have official dealings or permit any such borrowing, lending or pecuniary obligation in his name or for his benefit or for the benefit of any member of his family.

51. Insolvency and Habitual Indebtedness.—(i) An employee of the Corporation shall avoid habitual indebtedness unless he proves that such indebtedness or insolvency is the result of circumstances beyond his control and does not proceed from extravagance or dissipation.

(ii) An employee of the Corporation who applies to be, or is adjudged or declared insolvent shall forthwith report the fact to his competent authority.

52. Movable, Immovable and Valuable Property.—(i) No employee of the Corporation shall, except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family.

(ii) No employee of the Corporation shall, except with the previous sanction of the competent authority, enter into any transaction concerning any immovable or movable property with a person or a firm having official dealings with the employee or his subordinate.

(iii) Every employee of the Corporation shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him in his own name or in the name of a member of his family if the value of such property exceeds Rs. 2,500.

(iv) Every employee shall on first appointment in the Corporation submit a return of assets and liabilities in the prescribed form giving the particulars regarding :—

(a) the immovable property inherited by him or owned or acquired by him, held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

- (b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned acquired or held by him;
- (c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him if the value of such property exceeds Rs. 2,500/-.
- (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly;
- (e) every employee shall beginning 1st January, submit a return of immovable property inherited, owned or acquired every year.

(v) The competent authority may, at any time by general or special order, require an employee to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall if so required by the competent authority include details of the means by which or the source from which such property was acquired.

53. Canvassing of non official or other Influence.— No employee shall bring or attempt to bring any outside influence to bear upon any Superior Authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Corporation.

54. Restriction Regarding Marriage.—(i) No employee shall enter into or contract a marriage with a person having a spouse living; and

(ii) No employee, having a spouse living, shall enter into or contract a marriage with any person :

Provided that the Board of Directors may permit an employee to enter into or contract any such marriage as is referred to in sub-regulation (i) or sub-regulation (ii) above if it is satisfied that :—

- (a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and
- (b) there are other grounds for so doing.

(iii) An employee who has married or marries a person other than that of Indian nationality, shall forthwith intimate the fact to the Corporation.

55. Consumption of Intoxicating Drinks and Drugs.—An employee of the Corporation shall take due care that the performance of his duties is not affected in any way by the influence of any intoxicating drinks or drug.

56. Suspension.—(i) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any authority empowered in that behalf by the management by general or special order may place an employee under suspension :—

- (a) where disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (b) where case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial.

(ii) An employee who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding 48 hours shall be deemed to have been suspended with effect from the date of detention, by an order of the appointing authority, and shall remain under suspension until further orders.

(iii) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee under suspension is set aside on appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal and shall remain in force until further orders.

(iv) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on consideration of the circumstances of the case, decided to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal or removal and shall continue to remain under suspension until further orders.

(v) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

57. Subsistence Allowance.—An employee under suspension shall be entitled to draw subsistence allowance equal to 50 per cent of his basic pay provided that the disciplinary authority is satisfied that the employee is not engaged in any other employment or business or profession or vocation. In addition, he shall be entitled to Dearness allowance admissible on such subsistence allowance and any other compensatory allowance of which he was in receipt on the date of suspension provided the suspending authority is satisfied that the employee continues to meet the expenditure for which such compensatory allowance was granted.

(ii) Where the period of suspension exceeds three months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows :—

- (a) the amount of subsistence allowance may be increased to 75 per cent of basic pay and allowances thereon if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the employee under suspension.
- (b) the amount of subsistence allowance may be reduced to 25 per cent of basic pay and allowance thereon if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to the reasons to be

recorded in writing, directly attributable to the employee under suspension.

58. Treatment of the period of suspension.—(i) When the employee under suspension is reinstated, the competent authority may grant to him the following pay and allowances for the period of suspension:—

(a) If the employee is not awarded any of the penalties mentioned in regulation 59 the full pay and allowances which he would have been entitled to if he had not been suspended, less the subsistence allowance already paid to him; and

(b) if otherwise, such proportion of pay and allowances as the competent authority may prescribe.

(ii) In cases falling under sub-clause (a), the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In cases falling under sub-clause (b), it will not be treated as a period spent on duty unless the Competent authority so directs.

59. Penalties.—The following penalties may be imposed on an employee as hereinafter provided for misconduct committed by him or for any other good and sufficient reason.

Minor Penalties :

- (a) Censure;
- (b) with-holding of increments of pay with or without cumulative effect;
- (c) with-holding of promotion;
- (d) recovery from pay of such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation by negligence or breach of orders.

Major Penalties :

- (e) Reduction to a lower grade or post or to a lower stage in a time scale;
- (f) compulsory retirement;
- (g) removal from service which shall not be a disqualification for future employment.
- (h) dismissal.

Explanation : The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation :—

- (i) With-holding of increment of an employee on account of his work being found unsatisfactory or not being of the required standard or for failure to pass a prescribed test or examination;
- (ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in a time scale on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion, whether in an officiating capacity or otherwise, of an employee to a higher post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case;

(iv) reversion to a lower grade or post of an employee officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered after trial to be unsuitable for such higher grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct;

(v) reversion to his previous grade or post of an employee appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment;

(vi) termination of services

(a) of an employee appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment;

(b) of an employee appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment;

(c) of an employee appointed under a contract or agreement in accordance with the terms of such contract or agreement; and

(d) of an employee on reduction of establishment.

60. Disciplinary Authority.—The disciplinary authority as specified in the Appendix-I or any authority higher than it may impose any of the penalties specified in regulation 59 on any employee.

61. Procedure for Imposing Major Penalties.—

(i) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (c), (f), (g) and (h) of regulation 59 shall be made except after an inquiry is held in accordance with this regulation.

(ii) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself enquire into, or appoint any public servant (hereinafter called the inquiring authority) to inquire into the truth thereof.

(iii) Where it is proposed to hold an inquiry, the disciplinary authority shall frame definite charges on the basis of the allegations against the employee. The charges together with a statement of the allegations on which they are based, a list of documents by which and a list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be sustained shall be communicated in writing to the employee who shall be required to submit within such time, not exceeding 15 days, as may be specified by the disciplinary authority a written statement whether he admits or denies any or all of the article of charges.

Explanation :—It will not be necessary to show the documents listed with the charge-sheet or any other document to the employee at this stage.

(iv) On receipt of the written statement of the employee or if no such statement is received within the time specified, an enquiry may be held by the disciplinary authority itself, or by any other public servant appointed as an inquiry authority under sub-clause (ii):

Provided that it may not be necessary to hold an inquiry in respect of the charges admitted by the employee in his written statement. The disciplinary authority shall, however, record its findings on each such charge.

(v) Where the disciplinary authority itself inquires or appoints an inquiring authority for holding an inquiry, it may, by an order, appoint any employee of the Corporation or a public servant to be known as the Presenting Officer to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(vi) The employees may take the assistance of any other employee of the Corporation but shall not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner.

(vii) On the date fixed by the inquiring authority, the employee shall appear before the inquiring authority at the time, place and date specified in the notice. The inquiring authority shall ask the employee whether he pleads guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee concerned thereon. The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee concerned pleads guilty.

(viii) If the employee does not plead guilty, the inquiring authority shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days after recording an order that the employee may, for the purpose prepare his defence,—

- (a) inspect the documents listed with the charge-sheet;
- (b) submit a list of additional documents and witnesses that he wants to examine; and
- (c) ask for and be supplied with the copies of the statements of witnesses, if any, listed in the charge-sheet.

Note : Relevancy of the additional document and the witnesses referred to in regulation viii(b) above will have to be explained by the employee concerned and the documents and the witnesses shall be summoned if the inquiring authority is satisfied about their relevance to the charges under inquiry.

(ix) The inquiring authority shall ask the authority in whose custody or possession the documents are kept for the production of the documents on such date as may be specified.

(x) The authority in whose custody or possession the requisitioned documents are shall arrange to produce the same before the inquiring authority on

the date, place and time specified in the requisition notice :

Provided that the authority having the custody or possession of the requisitioned documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interest or the interest of the Corporation. In that event, he shall inform the inquiring authority accordingly.

(xi) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on a new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(xii) Before the close of the prosecution case, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the charge-sheet or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case, the employee shall be given opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record or to cross-examine a witness who has been so summoned.

(xiii) When the case for the disciplinary authority is closed, the employee may be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any appointed.

(xiv) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf, if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provision applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(xv) The inquiring authority may after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(xvi) After the completion of the production of the evidence, the employee and the Presenting Officer may file written briefs of their respective cases within 15 days of the date of completion of the production of evidence.

(xvii) If the employee does not submit the written statement of defence, referred to in sub-regulation (ii) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person or through

the Assisting Officer or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these regulations, the inquiring authority may hold the enquiry ex-parte.

(xviii) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(xix) (1) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

- (a) a gist of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;
- (b) a gist of the defence of the employee in respect of each article of charge ;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge ;
- (d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation : If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge :

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(2) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include :—

- (a) the report of the enquiry prepared by it under sub-regulation (1) ;
- (b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee referred to in sub-regulation (xiii) ;
- (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry ;
- (d) written briefs referred to in sub-regulation (xvii), if any ; and
- (e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

62. Action on the Inquiry Report.—(i) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority, may, for reasons, to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for fresh or further inquiry and report and the inquiring authority shall there upon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of regulation 61 as far as may be practicable.

(ii) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(iii) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in regulation 59 should be imposed on the employee, he shall notwithstanding anything contained in regulation 63, make an order imposing such penalty.

(iv) If the disciplinary authority having regard to his finding on all or any of the article of charge, is of the opinion that no penalty is called for, he may pass an order exonerating the employee concerned.

63. Procedure for Imposing Minor Penalties.—(i) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in clause (a) to (d) of regulation 59, the employee concerned shall be informed in writing of the imputations of misconduct or misbehaviour against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days. The defence statement, if any, submitted by the employee shall be taken into consideration by the disciplinary authority before passing orders.

(ii) The record of the proceedings shall include :—

- (a) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to the employee ;
- (b) his defence statement, if any, and
- (c) the orders of the disciplinary authority together with the reason thereof.

64. Communication of Orders.—Orders made by the disciplinary authority under regulation 61, 62 or 63 shall be communicated to the employee concerned who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any.

65. Common Proceedings.—Where two or more employees are concerned in a case, the authority competent to impose a major penalty on all such employees may make an order directing that disciplinary proceedings against all of them may be taken in a common proceedings and the specified authority may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings.

66. Special Procedure in Certain Cases.—Notwithstanding anything contained in regulation 61, 62 or 63, the disciplinary authority may impose any

of the penalties specified in regulation 59 under any of the following circumstances:—

- (i) the employee has been convicted on a criminal charge, or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial; or
- (ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold an enquiry in the manner provided in these regulations;

67. Employees on Deputation from the Central Government or the State Government.—(i) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is taken against an employee who is on deputation to the Corporation from the Central or State Government or another public undertaking or a local authority, the authority lending his services (hereinafter referred to as the "Lending Authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(ii) In the light of the findings of the disciplinary proceedings taken against the employee:—

- (a) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the minor penalties should be imposed on him, he may pass such orders on the case as he deems necessary after consultation with the Lending Authority;

Provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority.

- (b) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it should place his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it deems necessary.

- (iii) If the employee submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under sub-regulation (ii)(a), it will be disposed of after consultation with the Lending Authority:

Provided that if there is a difference of opinion between the Appellate Authority and the Lending Authority, the services of the employee shall be placed at the disposal of the Lending Authority, and the proceedings of the case shall be transmitted to that authority for such action as it deems necessary.

68. Appeals.—(i) An employee may appeal against an order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 59. The appeal shall lie to the authority specified in Appendix-I.

1632 G/85—8

(ii) An appeal shall be preferred within one month from the date of communication of the order appealed against. The appeal shall be addressed to appellate authority specified in Appendix-I and submitted to the authority whose order is appealed against. The authority whose order is appealed against shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the appellate authority within fifteen days. The appellate authority shall consider whether the findings, are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders within three months of the date of appeal. The appellate authority may pass order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of regulation 59 and an inquiry as provided in regulation 61 has not already been held in the case, the appellate authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 61 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in regulation 61, the appellate authority shall give a show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The Appellate Authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee.

69. Review.—Notwithstanding anything contained in these regulations, the reviewing authority as specified in the Appendix-I may call for the records of the case within six months of the date of the final order and after reviewing the case pass such orders thereon as it may deem fit.

Provided that if the enhanced penalty which the reviewing authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of regulation 59 and an inquiry as provided under regulation 61 has not already been held in the case, the reviewing authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 61 and thereafter, consider the record of the inquiry and pass such order as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 61, the reviewing authority shall issue show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The reviewing authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee.

70. Service of Orders, Notices, etc.—Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post at his last known address.

71. Power to relax time limit and condone delay.—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.

72. Repeal and Saving.—(i) The Central Ware-

housing Corporation (Staff) Regulations, 1966 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the regulations so repealed shall in so far as it is not inconsistent with the provisions of these regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

APPENDIX-I

Competent Authorities for Appointment, Disciplinary Action and Appeals/Review

(See Regulations 6, 60, 68 and 69)

S. No.	Posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties		Appellate Authority	Reviewing Authority
			Authority	Penalty		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Group 'D'					
(a)	Regional Offices	Regional Manager	Regional Manager	all	Secretary	General Manager
(b)	Head Office	Joint Manager (Personnel)	Joint Manager (Personnel)	all	Secretary	General Manager
2.	Group 'C'					
(i)	Warehouse Assistant Grade-II					
(a)	Regional Offices	Regional Manager	Regional Manager	all	General Manager	Managing Director
(b)	Head Office	Personnel Manager	Personnel Manager	all	General Manager	Managing Director
(ii)	All other posts	Personnel Manager	Personnel Manager	all	General Manager	Managing Director
3.	Group 'B'	General Manager	General Manager	all	Managing Director	Executive Committee
4.	Group 'A'					
(i)	Officers below the level of Managers	Managing Director	Managing Director	all	Executive Committee	Board of Directors
(ii)	Officers of the level of Managers and above (posts with the scale of pay of Rs. 1500-1800 and above).	Board of Directors	Board of Directors	all	Board of Directors	Board of Directors

Method of Recruitment, Qualifications etc. for Different Posts
(See Regulations 8, 9 and 22)

Name of the post	Classification	No. of posts	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Method of recruitment
1	2	3	4	5	6
GENERAL MANAGEMENT CADRE					
1. General Manager	Group 'A'	1	Rs. 2000-125/2-2500	Selection	Promotion direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion
2. Secretary	Group 'A'	1	Rs. 1800-100-2000-125/2-2250.	Selection	Promotion/direct recruitment transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion.

In case of recruitment by promotion/deputation, post from which to be made	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Age limit for direct recruitment	Whether age limit & other qualifications will apply to promotees.	Remarks
7	8	9	10	11
<p>Promotion : Officers of the Corporation in the scale of Rs. 1800-2250 with 4 years service in the scale in general management cadre.</p> <p>Deputation: Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I with 6 years in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1500. Officers of Public Institutions at senior management level with 6 years of service may also be considered for appointment alongwith other candidates.</p>	<p>Direct recruitment: A post-graduate degree in Hind Division preferably in Economics/Commerce/Business Administration with atleast 6 years experience in a Public Institution or a Commercial Organisation in senior managerial position or 6 years service in the Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1500.</p>	45 years	Not applicable	Nil
<p>Promotion: All Managers with 3 years service in the scale of Rs. 1500-1800/1500-2000 in the general management cadre.</p> <p>Deputation: Officers of the All India Services/Central Services and Central Secretariat Service Class-I Public Institutions/Commercial Organisations holding analogous posts or with 5 years service in posts in the scale of pay the minimum of which is not less than Rs. 1200.</p>	<p>Direct recruitment: Degree from a recognised University in Hind Division in Economics/Commerce/Business Administration/Law. Preference will be given to members of Institute of Company Secretaries/Institute of Chartered Accountants.</p> <p>Experience: Should have atleast 5 years experience in the Secretarial Department of a large company/Public Institutions handling secretarial and administration matters of which not less than 3 years shall be as Company Secretary.</p>	45 years	Not applicable	Nil

1	2	3	4	5	6
3.	Commercial Manager Group 'A'	1	Rs. 1800-100-2000-125/2-2250.	Selection	Promotion/direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by the Board on each occasion.
4.	Manager (General) Group 'A'	3	Rs. 1500-60-1800	Selection	By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation.
7	8	9	10	11	
<p>Promotion: All Managers with 3 years service in the scale of Rs. 1500-1800 or above.</p> <p>Deputation: Officers from All India Services or Central Services/Central Secretariat Service Class-I with at least 6 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1200 or Officers of Public Institutions with 5 years service at management level drawing not less than Rs. 2000 per month inclusive of Dearness Allowance.</p>	<p>Direct recruitment: Educational qualification A second class post-graduate degree preferably in Economics/Commerce/Business Administration or a qualified Chartered Accountant.</p> <p>Experience: About 6 years service in All India Services or Central Services Class-I/Central Secretariat Service Class-I in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1200 or 6 years experience in the Public Institutions or Commercial organisations at senior management level drawing not less than Rs. 2000 per month inclusive of Dearness Allowance.</p>	45 years	Not applicable	Nil	
<p>Promotion: Joint Managers in the general management cadre with 3 years service in the scale of Rs. 1300-1700 or above.</p> <p>Deputation: Suitable Officers from the Central Government with at least 3 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 1200 or Officers from Public Institutions with 3 years service at the middle management level.</p>	<p>Direct recruitment: Educational qualification: A second class post-graduate degree preferably in Economics/Commerce/Business Administration/Industrial Relations.</p> <p>Experience: Three years experience in Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1200 or 3 years experience in a Public Institution or Commercial organisation at the middle management level.</p>	45 years	Not applicable	Nil.	

1	2	3	4	5	6
5. Joint Manager (General)	Group 'A'	13	Rs. 1300-50-1700.	Selection	By promotion 75%, failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation.
6. Deputy Manager (General)	Group 'A'	34	Rs. 1200-50-1600.	Selection	By promotion 75%, failing which by direct recruitment failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation.
7	8	9	10	11	
Promotion: Deputy Managers in the general management cadre with three years service in the Corporation.	Direct Recruitment Educational Qualifications: A post-graduate degree in second Class preferably in Economics/Commerce/Business Administration/Industrial Relations.	40 years	Not applicable	Nil	
Deputation: Suitable Officers from Central Government holding posts in the scale of Rs. 1100-1600 or above or Officers of Public Institutions holding posts at equivalent level drawing not less than Rs. 1600 per month inclusive of Dearness Allowance.	Experience: 6 years service in Government of which at least 3 years should be in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100 or 6 years experience in a Public Institution or a Commercial organisation drawing for three years not less than Rs. 1600 per month inclusive of Dearness Allowance.				
Promotion: Senior Assistant Managers/Senior Statistical Officer in general management cadre/Private Secretaries with 5 years service in the scale of Rs. 700-1300.	Direct Recruitment Educational Qualification: A post-graduate degree preferably in Economics/Commerce/Business Administration/Industrial Relations.	40 years	Not applicable	Nil	
NOTE : Private Secretary should have worked at least for one year as Senior Assistant Manager in general management cadre for eligibility for consideration for promotion as Deputy Manager in the general management cadre.	Experience: 4 years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 700 or 6 years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650 or similar experience at equivalent levels in Public Institutions or commercial organisations, drawing not less than Rs. 1300 per month inclusive of Dearness Allowance.			Nil	
Deputation : Suitable Officers from Central Government with 4 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 700 or 6 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650 or suitable officers from Public Institutions with similar experience at equivalent level drawing not less than Rs. 1300 per month inclusive of Dearness Allowance.					

1	2	3	4	5	6
7. Senior Assistant Manager (General)	Group 'A'	97	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Selection	Promotion 50%, direct recruitment 50%.
8. Assistant Manager (General)	Group 'B'	23	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Promotion 100%
9. Storage and Inspection Officer (General)	Group 'B'	79	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Promotion 100%
10. Executive Assistant.	Group 'B'	28	Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960.	Selection	Promotion 100%
11. Superintendent (General)	Group 'B'	377	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	Promotion 100%

7	8	9	10	11
Promotion : Assistant Managers/Storage and Inspection Officers in the general cadre with 3 years service in the scale of Rs. 650-1200. Promotion will be made from a combined seniority list. Assistant Managers will be eligible for consideration, provided they have 2 years experience in a Warehouse as Assistant Manager.	Direct recruitment: Essential Qualifications: A post-graduate degree or a post graduate diploma in personnel management or industrial relations or journalism or advertisement.	30 years	Not applicable	Nil
Promotion: Promotion from a common eligibility list of Executive Assistants and Senior Personnel Assistants with four years experience to be prepared with reference to dates of appointment to their respective posts.		—	Not applicable	Nil
Promotion: Superintendents in the general management cadre with 5 years service in the scale of Rs. 550-900.		—	Not applicable	Nil
Promotion: Assistants with 5 years service in the post.		—	Not applicable	Nil
Promotion: Junior Superintendent with 5 years service in the scale of Rs. 425-800.		—	Not applicable	Nil

1	2	3	4	5	6
12. Manager (Research & Development)	Group 'A'	1	Rs. 1500-60-1800.	Selection	Deputation.
13. Senior Economist	Group 'A'	1	Rs. 1100-50-1700.	Selection	Promotion/direct recruitment/transfer on deputation, to be determined by Board on each occasion.

7	8	9	10	11
Deputation :	—	—	Not applicable	Nil

Suitable Officers from Central Services Class-I with at least 6 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1300 per month having 1st Class post-graduate degree in Economics/Commerce, Business Administration/Statistics/Operation Research/Agricultural Statistics or Officers of Public Institutions with 6 years experience in developing, planning and organising research in market survey and investigation and drawing not less than Rs. 2,000 per month inclusive of Dearness Allowance.

Preference will be given to the persons having doctorate in any subjects mentioned above. Officers of the Corporation in the next below grade would also be eligible for a fixed tenure provided they fulfil the aforementioned qualifications.

Promotion :
Senior analyst with 3 years service in the scale of Rs. 1200-1600.
Deputation :
Suitable Officers from Central Government with 3 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100 or suitable officers from Public Institutions with experience in market research, collecting, classification and interpretation of economic information, and drawing not less than Rs. 1600 per month inclusive of Dearness Allowance.

Direct Recruitment
Educational qualification:
A post-graduate degree in 1st Class in Economics/Statistics.
Desirable :
Experience in computer programming.
Experience :
3 years experience in collection and interpretation of economic/statistical information in any Central Government or Public Institutions or Commercial Organisations at middle management level.

40 years

Not applicable

Nil

1	2	3	4	5	6
20. Private Secretary	Group 'A'	2	Rs. 700-40-900-EB- 40-1100-50-1300.	Selection	Promotion
21. Senior Personal Assistant	Group 'B'	6	Rs. 650-30-740-35- 880-EB-40-960. 550 - 900 - 580	Selection	Promotion
22. Personal Assistant	Group 'C'	27	Rs. 425-15-500-EB- 15-560-20-700-EB- 25-800.	Non-Selection	Promotion
23. Librarian	Group 'C'	1	Rs. 425-15-500-EB- 15-560-20-700-EB- 25-800.	Selection	Direct recruitment 100%
24. Junior Superintendent	Group 'C'	515	Rs. 425-15-500-EB- 15-560-20-700-EB- 25-800.	Non-selection	Promotion
25. Hindi Translator	Group 'C'	14	Rs. 425-15-500-EB-15- 15-560-20-700-EB- 25-800.	Selection	100% direct recruitment
7	8	9	10	11	
Promotion:					
Senior Personal Assistant with 5 years service in the scale of Rs. 650-960.				Not applicable	Nil
Promotion:					
Personal Assistant with 5 years service in the scale of Rs. 425-800.	Not applicable			Not applicable	Nil
By promotion from amongst the Stenographers who have put in 5 years in that grade on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.				Not applicable	Nil
	Degree from a recognised University. Diploma in Library Science.		30 yrs.	Not applicable	Nil
Promotion from Warehouse Assistant Grade-I/Comptist who have put in at least 4 years service in that grade.				Not applicable	Nil
	(a) Master's degree in Hindi or in English with Hindi as a subject at degree level, or Master's degree in Sanskrit with Hindi and English as subjects at degree level.		35 yrs.	Not applicable	Nil
	(b) About 3 years experience of Terminology work in Hindi and translation work from English to Hindi and vice versa.				

1	2	3	4	5	6	
30	Cashier	Group 'C'	1	(i) Rs. 330-10-380- EB-12-500-EB- 15-560. (ii) Rs. 425-15-500- EB-15-560-20- 700-EB-25-800. In addition Special Pay amounting to 20% of the basic pay Subject to minimum of Rs. 35 and maximum of Rs. 50/-	Selection	
31.	Warehouse Assistant Grade-II	Group 'C'	1879	Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB- 8-390-10-400.	—	Promotion 20% , direct recruitment 80%.
32.	Hind Typist (Warehouse Assistant Grade-II)	Group 'C'	16	Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8- 390-10-400.	Selection	100% direct recruitment
33.	Staff Car Driver	Group 'C'	18	Rs. 260-6-290-EB-6- 326-8-366-EB-8- 390-10-400.	Selection	Direct recruitment 100%.
7	8	9	10	11		
Appointment of suitable officials from amongst Warehouse Assistant Grade-I/Junior Superintendent/Assistant. Preferably with Accounts or Commerce qualification.	—	—	Not applicable	For the purpose of promotion to the post of Junior Superintendent/Superintendent/Executive Assistant/Assistant Manager, the Cashier will take his seniority as Warehouse Assistant Grade-I/Junior Superintendent, Assistant as the case may be.		
Promotion : Promotion from amongst matriculate Class-IV employees with 3 years regular service in that grade. The appointment would be subject to their passing the required typing speed within the prescribed time limit.	Matric with a minimum typing speed of 30 words per minute preferably with experience of office work (typing speed will, however, be not a condition precedent for physically handicapped candidates found otherwise suitable).	25 yrs.	Not applicable	All candidates, by direct recruitment, will have to compete in written/typing tests prescribed by the appointing authority.		
	Graduate with Hindi as one of the subjects with a minimum speed of 30 words per minute in Hindi typing preferably with experience of Hindi typing work.	25 yrs.	Not applicable	All candidates will have to compete in written/typing tests prescribed by the appointing authority.		
	Direct recruitment Educational qualification (i) Middle School standard pass (ii) Licence for driving light motor vehicles. (iii) Three years experience as Driver. Desirable : (i) Licence for driving heavy motor vehicles.	30 yrs.	Not applicable	Preference will be given to regular appointed Class-IV employees/Despatch Rider of the Corporation who possess the qualification prescribed in col. 8. If no suitable persons from amongst them available, posts may be filled by direct recruitment.		

1	2	3	4	5	6
34. Lift Attendant	Group 'C'	6	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Selection	Promotion 100% Selection basis
35. Daftry	Group 'D'	32	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Non-Selection	Promotion 100% by seniority cum-fitness basis.
36. Peon	Group 'D'	46	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Selection	Direct recruitment 100%
37. Senior Gardener, Gardener Grade-I	Group 'D'	1	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	—	100% promotion
38. Gardener	Group 'D'	17	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Selection	Direct recruitment 100%
39. Chowkidar Grade-I	Group 'D'	385	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	—	Promotion 100% by seniority-cum-fitness basis.
40. Chowkidar Grade-II	Group 'D'	2180	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Selection	Direct recruitment 100%

7	8	9	10	11
From amongst Peons with at least 3 years service working in the region where the vacancy in question has arisen (Head Office would be treated as a separate region).	—	—	Not applicable	Nil
From amongst Peons working in the region (Head Office will be treated as a separate region) where the vacancy in question, has arisen with at least 3 years service as Peon.	—	—	Not applicable	Nil
—	Middle school standard pass, preference will be given to those with some knowledge of English and Hindi/Local language.	25 yrs.	Not applicable	Nil
From amongst Gardeners (Rs. 196—232) with at least 10 years service in the scale.	—	—	Not applicable	Nil
—	Should have experience of working as a Mali in a nursery or a garden for at least one year.	25 yrs.	Not applicable	Nil
From amongst Chowkidars Grade-II (Scale Rs. 196—232) in the region where the vacancy in question has arisen with at least 3 years experience	—	—	Not applicable	Nil
—	Direct recruitment (i) Middle school standard pass. (ii) Experience of working as Chowkidar for 2 years.	25 yrs.	Not applicable	Every person appointed as Chowkidar shall undergo requisite training as prescribed by the Corporation.

1	2	3	4	5	6
2. Joint Manager (Technical)	Group 'A'	1	Rs. 1300-50-1700	Selection	By promotion 75% failing which by direct recruitment, failing, which by deputation; direct recruitment 25%, failing which by deputation.
3. Deputy Manager (Technical)	Group 'A'	11	Rs. 1200-50-1600	Selection	By promotion 75% failing which by direct recruitment, failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation.

7	8	9	10	11
<p>Promotion Deputy Managers in Technical cadre with three years service in the scale of Rs. 1200-1600.</p> <p>Deputation : Suitable officers from Central Government with 3 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or officers from Public Institutions or commercial organisations with 3 years experience and drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance.</p>	<p>Direct recruitment</p> <p>Educational qualification A post graduate degree in Second Class in Agriculture with Entomology or Micro-biology or Bio-Chemistry or a Post Graduate Degree in Second Class in Bio-Chemistry or Micro-Biology or a Post Graduate Degree in Second Class in Zoology with Entomology.</p> <p>Experience 6 years service in Central Government, of which three years should be in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1100/- or six years experience in a Public Institution or Commercial Organisation; drawing not less than Rs. 1600/- per month inclusive of Dearness Allowance for three years.</p>	40 yrs	Not applicable	Nil
<p>Promotion Senior Assistant Managers in Technical Cadre with 5 years service in the scale of Rs. 700-1300.</p> <p>Deputation Suitable officers from Central Government with 4 years service in the scale, the minimum of which is not less than Rs. 650/-</p> <p>Or Officers from Public Institutions or Commercial Organisations with similar experience and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance.</p>	<p>Direct recruitment</p> <p>A Post Graduate Degree in Second Class in Agriculture with Entomology or Micro-Biology or a Post Graduate Degree in second class in Bio-Chemistry or Micro-Biology or a Post Graduate Degree in Second Class in Zoology with Entomology.</p> <p>Experience Four years service in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650/- or officers from Public Institutions or Commercial Organisations with similar experience and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance.</p>	40 yrs.	Not applicable	Nil

1	2	3	4	5	6
3. Executive Engineer/ Surveyor of Works.	Group 'A'	19	Rs. 1100-50-1600	Selection	By promotion 75%, failing which by direct recruitment failing which by deputation; by direct recruitment 25%, failing which by deputation.
4. Assistant Engineer/ Assistant Surveyor of Works.	Group 'B'	123	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Promotion 50% Direct recruitment 50%.
5. Assistant Architect	Group 'B'	—	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Promotion 50%, direct recruitment 50%.
6. Architectural Assistant	Group 'B'	1	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	Promotion
7. Draftsman Grade-I	Group 'C'	8	Rs. 550-20-650-EB-25-750	Selection	Promotion

7	8	9	10	11
Promotion Assistant Engineers, Assistant Surveyor of Works (Civil) with 6 years service in the scale of Rs. 650-1200.	Direct recruitment A degree in Civil Engineering or Structural Engineering.	40 years	Not applicable	Nil
Deputation Suitable officers from Central Government with 4 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650/- or the officers from public institutions/Commercial organisations with similar experience and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance.	Experience Four years experience relating to Civil Engineering Construction work/structural engineering in Government, Public Institution/Commercial Organisation and drawing not less than Rs. 1300/- per month inclusive of Dearness Allowance.			
Promotion Graduate Sectional Officers with three years service and Diploma Holder Sectional Officers with five years service in the post.	Direct recruitment A degree in Civil/Electrical, Architectural Engineering.	30 years	Not applicable	Nil
Promotion Degree Holder Architectural Assistant with four years service in that post.	Direct recruitment A degree in Architecture.	30 years	Not applicable	Nil
From amongst the Draftsmen Grade-I who have put in at least 5 years service in that grade.	—	—	Not applicable	Nil
From amongst Draftsmen Grade-II who have put in at least 8 years service in that grade.	—	—	Not applicable	Nil

1	2	3	4	5	6
8. Sectional Officer (Overseer)	Group 'C'	326	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	—	100% direct recruitment.
9. Draftsman Grade-II	Group 'C'	25	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Selection	100% by direct recruitment.
10. Senior Operator	Group 'C'	3	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	—	100% by direct recruitment.
11. Junior Operator	Group 'C'	3	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	—	100% by direct recruitment.
12. Mistry (Electrical)	Group 'C'	16	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	—	100% direct recruitment.
13. Mistry (Works).	Group 'C'	—	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	—	100% direct recruitment.
7	8	7	10	11	
—	Diploma in Civil/Mechanical Electrical Engineering from any recognised Institution.	30 years	Not applicable	Nil	
—	Diploma in Draftsmanship or in Civil Engineering preferably with proficiency in drafting plans and preparing estimates, with two years experience in a drawing office of standing.	30 years	Not applicable	Nil	
—	Direct recruitment: The candidate should have: (i) Pass Matric, (ii) A valid Electrical Licence as conducted by the State Government. (iii) Working experience of at least three years in refrigeration or air-conditioning plant.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
—	Direct recruitment: The candidate should have: (i) Pass Matric; (ii) Practical knowledge and experience of running electric generators and motors; (iii) At least two years experience in any refrigeration or air-conditioning plant.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
—	Direct recruitment: Matric or possessing equivalent qualification, holding electrical wireman's licence issued by the State Government and with at least two years experience.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
—	Should be 1st class Mason and should be able to read elementary plans and execute works. Have to undergo Trade Test before appointment.	30 years.	Not applicable.	Nil.	

1	2	3	4	5	6
14. Wireman-cum-Pump-Operator.	Group 'C'	6	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	—	100% direct recruitment.
15. Carpenter	Group 'C'	1	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	—	100% direct recruitment.
16. Plumber	Group 'C'	2	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	—	100% direct recruitment.
17. Assistant Pump Operator.	Group 'D'	2	Rs. 210-4-226-4-250-EB-5-290.	—	100% direct recruitment.
1. Financial Adviser.	Group 'A'	1	Rs. 1800-100-2000-1252-2250.	FINANCE AND ACCOUNTS CADRE Selection	Promotion/Direct Recruitment/transfer on deputation, to be determined by Board on each occasion.
7	8	9	10	11	
—	Matric or equivalent qualification having at least two years experience. Must be possessing Wireman's licence from Industrial Training Institute or any other Government Institute.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
—	A recognised trade certificate or licence with two years experience in the field.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
—	A recognised trade certificate or licence with two years experience in the field.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
—	Matric or equivalent qualification. Having at least two years experience of running refrigerators, electric generators, motors etc.	30 years.	Not applicable.	Nil.	
Promotion: Deputy Financial Adviser and Manager in Finance and Accounts Cadre with three years service in the scale of Rs. 1500-1800.	Direct Recruitment: Educational qualification: A Fellow of the Institute of Chartered Accountants or Institute of the Costs and Works Accountants.	45 years.	Not applicable.	Nil.	
Deputation: Officers from All India Services or Central Services Class-I with at least 5 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1200/- or officers of Public Institutions with 5 years similar experience drawing not less than Rs. 2000/- per month inclusive of Dearness Allowance.	Experience: Five years experience in Central Government in the scale the minimum of which is not less than Rs. 1200/- or five years similar experience in Public Institutions/commercial organisations drawing pay not less than Rs. 2,000/- per month inclusive of Dearness Allowances.				

1	2	3	4	5	6
ISOLATED CADRE					
1. Chief Vigilance Officer.	Group 'A'	1	Rs. 1800-100-2000-125/2-2250.	Selection	Deputation.
2. Manager (Security).	Group 'A'	1	Rs. 1800-100-2000-125/2-2250.	Selection	Deputation.
3. Manager (Custom Bonding).	Group 'A'	1	Rs. 1500-60-1800.	Selection	Deputation.
4. Security Officer.	Group 'A'	2	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Selection	Deputation, failing which by direct recruitment.

7	8	9	10	11
ISOLATED CADRE				
Deputation: Suitable Officers from All India Services or Central Services Class-I eligible for appointment as Deputy Secretary and above under Central Government with experience in vigilance work.	—	—	Not applicable.	Nil.
Deputation: Suitable officers from Indian Police Service/Defence Services with at least 6 years service in the post the minimum of which is not less than Rs. 1300/-.	—	—	Not applicable.	Nil.
Deputation: Suitable Officers from the Indian Customs & Excise Department with at least 3 years experience as Assistant Collector (Customs).	—	—	Not applicable.	Nil.
Deputation: Suitable officers from Police force/armed forces with 5 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 550/- or suitable officers from Public Institutions with 5 years experience of dealing with security matters at supervisory level.	Education qualification: A University degree or equivalent.	40 years.	Not applicable.	Nil.
	Experience: 5 years service in Police/Armed Forces in the scale the minimum of which is not less than Rs. 550/- dealing with security matters or 5 years experience at supervisory level in a Public Institution or a Commercial Organisation.			

Note:—The number of posts specified in column-3 shows the position as on 1-1-1986 and is subject to change from time to time.

APPENDIX-III

(see regulation 11)

(Declaration of Fidelity and Secrecy)

I _____ declare that I will faithfully, truly and to the best of my judgment, skill and ability execute and perform the duties which are required of me as an employee of the Central Warehousing Corporation and which properly relate to any office or position in the said Corporation held by me.

I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the said Corporation nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to, or in the possession of, the Corporation and relating to the business of the Corporation.

Signature _____

Signature _____

Signed before me

Signature _____

Designation _____

Date _____

Date: _____

V.K. PARTHASARATHY, (Personnel Manager).

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—Sec 4]

(2) ये 28 फरवरी, 1986 से प्रवृत्त माने जायेंगे।

2. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के विनियम 4 में दिए गए नोट को द्वारा अंकित कर नोट-1 कर दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित नोट सामिल किया जाएगा :

"नोट 2 : 550-750 रुपये के वेतनमान में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 के केवल वर्तमान परद्वारी ही अपने पहले वाले अर्थात् समूह "ख" कर्मचारियों के स्तर पर बने रहेंगे।"

अध्यात्मक आपन

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इस प्रावधान को 28-2-1986 से लागू करने का निर्णय किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधित स्टाफ विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सेवार्थ ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1 को सेवा शर्तों में परिवर्तन से कोई उनको ग्रहित न हो। यह प्रमाणित किया जाता है कि पहले से ही जानू इन विनियमों से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन पर ये लागू है।

वी.के. प्रसन्नसारी, प्रबन्धक आधिकारिक

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi, the 1st April, 1987

NOTIFICATION

No. CWC/XIV-4/Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff), Amendment Regulations, 1987.
- (2) These shall be deemed to have come into force on the 28th February, 1986.

[भाग III—खण्ड 4]

बिना सं. पत्रपत्र : प्रकाशना

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 4, the Note shall be renumbered as Note 1 thereof and after the Note so renumbered, the following Note shall be inserted, namely :—

“Note 2 : The present incumbents in the post of Draftsman Grade-I in the scale of Rs. 550-750 will continue to enjoy the status as Group ‘B’ employees as personal to them.”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Warehousing Corporation has decided to give effect to the provision w.e.f. 28-2-1986 in order to ensure that the service conditions of the Draftsmen Grade-I who were in position immediately before the publication of the revised Staff Regulations are not changed to their disadvantage. It is certified that the retrospective effect being given to these regulations will not affect adversely any employee to whom these regulations apply.

V. K. PARTHASARTHY, Personnel Manager



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]
No. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 1987/ज्यैष्ठ 29, 1909
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 1987/JYAISTHA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्कार की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

सेंट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली, 19 जून 1987]

प्रविसूचनायें

संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/1987. 1.—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करके हुए सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में संशोधन कर
निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) अधिनियम, 1987 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में एक नव संवर्ग जोड़ने के अंतर्गत नम संख्या 3 पर प्रकरण (कस्टम
ऑफिस) के पद में संबंधित प्रविष्टियों के अंतर्गत 7 में निम्नलिखित अर्थद बदला जये, अर्थात्:—

"कस्टम ऑफिस के अधिकतम गति के अन्तर्गत से संबंधित उप-श्रेणी तथा संगठनात्मक कार्य का काम से इन जोड़ने का अनुभव तथा सम्मान्य प्रवृत्त
होने में 1360-1520 रुपये के वेतनमान में काम करने वाले कारपोरेशन के अधिकारी एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति के पात्र होंगे।"

टिप्पणी: नून विनियम संगठ के राजपत्र प्रकाशक भाग-III खण्ड 4 में पृष्ठ 1 से 60 नम संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/1987 के दिनांक 28
फरवरी, 1986 के द्वारा प्रविष्टित किये गये थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये:

- (1) संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/1987 के दिनांक 1-4-87

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th June, 1987

No. CWC/XIV-4/Estt.1.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Second) Amendment Regulations, 1987.
- (2) These shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the sub-heading "ISOLATED CADRE", the following sentence shall be added to the entry in column 7 in relation to the post of Manager (Custom Bonding) appearing against serial number 3, namely :—

"Officers of the Corporation with at least 3 years' experience in handling and organising work relating to storage of goods under custom bond, who are in the scale of Rs. 1300-1700 and in the general management cadre, shall also be eligible for appointment for a fixed tenure."

Note : The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated the 28th February, 1986 in the Gazette of India—Extraordinary, Part III Section 4 at pages 1 to 80 and subsequently amended vide :

- (i) No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987.

शु. सं. 3887 की 114-4/स्थापना 2.—वेधरहाजसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेंट्रल वेधरहाजसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से सेंट्रल वेधरहाजसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 में एक द्वा-र निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को सेंट्रल वेधरहाजसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) (द्वितीय) संशोधित विनियम, 1987 कहा जायेगा।
- (2) ये संशोधन में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेंट्रल वेधरहाजसिंग कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिशिष्ट (II) में एकल सर्वमं शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या-3 पर प्रवृत्त कस्टन (बॉन्डिंग) के 52 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. सं. नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद है अथवा सर चयन पद	मती की पद्धति	प्रोन्नति/प्रतिनियमित द्वारा मती की दशा में वे किस पर से की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
"3क. दृष्टि तकनीकी पनीलक (निर्माण कार्य)	समूह "क"	1	1200-50-1700	चयन	प्रतिनियमित	प्रतिनियमित : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सेवा/भारत सरकार के सार्वजनिक उपकरणों में प्रविष्टियों परियोजना संस्था समस्त पद पर स्थिति निर्माण कार्य का काम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : पञ्चावसराण

3

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक तथा अन्य शर्तें	सीधी भर्ती के लिये प्राग्-सीमा	प्राग्-सीमा और अन्य शर्तें प्राप्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	शुद्धि
8	9	10	11
		लागू नहीं	शून्य

टिप्पणी:—मूल विनियम भारत के राजपत्र पञ्चावसराण, भाग-III खण्ड-4 में पृष्ठ 1 में 80 तक संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना, दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अशुद्धि किये गये थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये:—

वी. के. पायसास्वी, कानिगा प्रवक्ता

- (1) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना, दिनांक 1-4-87।
- (2) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना, दिनांक 19-6-87।

3rd Amendment

No. CWC/XIV-4/Estt. 2:—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Third) Amendment Regulations, 1987.
- (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading ISOLATED CADRE, after serial number 3 relating to the post of Manager (Custom Bonding) and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Classification	No. of posts	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Method of Recruitment
1	2	3	4	5	6
"3A. Senior Technical Examiner (Works)	Group 'A'	1	Rs. 1200-50-1700.	Selection	Deputation

In case of Recruitment by promotion/deputation, post from which to be made	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Age limit for direct recruitment	Whether age limit and other qualifications will apply to promotees	Remarks
7	8	9	10	11
DEPUTATION : Suitable Officers of the Central Public Works Department/Military Engineering Service/Public Sector Undertakings under the Government of India having atleast three years experience in Civil Construction Works at the level of Executive Engineer or equivalent rank.			Not applicable	NIL

V. K. PARTHASARATHY,
Personnel Manager

Note : The principle regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated the 28th February, 1986 in the Gazette of India—Extraordinary, Part III—Section 4 at pages 1 to 80 and subsequently amended vide —

- (i) No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-87.
- (ii) No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87.

415

संस्कृत सं. (डी एच.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 117



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 1988/माघ 9, 1909
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 1988/MAGHA 9, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

संयुक्त वेअरहाउसिंग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सं. सी. इन्फ्यू. सी./14-4/स्था :—केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से तथा संयुक्त
वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त वेअरहाउसिंग कारपोरेशन, संयुक्त वेअरहाउसिंग कारपोरेशन

(स्टाफ) विनियम, 1986 में पुनः संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात् :-

1. (1) ये विनियम संसदल वेअरहाजसिय कारपोरेसन (स्टाफ) (भतुप संशोडन) विनियम, 1988 कइलवणै ।

(2) ये संसदीय राजपत्र में प्रकाशन होने की विधि से लागू हिये ।

2. संसदल वेअरहाजसिय कारपोरेसन (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिशिष्ट 2 में एकल संवय शीपक के अधीन क्रम संख्या 4 पर सुरक्षा यंत्रणा के पर से संबंधित एव इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

पद का नाम	वर्गीकरण	पद की संख्या	देहनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5	6
"4क. कनिष्ठ तकनीकी परीक्षक (निर्माण)	वर्ग "ख"	2	₹. 650-30-740-35-810-द. रो. -35-880-40-1000-द. रो. -40-1200	चयन	प्रति-नियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित वैशिक च अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु सीमा व अन्य अर्हताएं तथा प्रोन्नति में लागू होंगी
---	--	----------------------------	---

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सिना अभियांत्रिकी सेवा/भारत सरकार के नियंत्रण में सार्वजनिक उपक्रम में	—	—	लागू नहीं	शून्य
---	---	---	-----------	-------

दिनांक: 19-01-88

भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी

3

7

विशेष निदेश: काप
कॉन्ट्रोल काप का
प्राथम्य: खान काप
सहायक वरिष्ठ अधिकारी
संयुक्त स्तर/पद के
सुपरिविजयकारी।

वी. के. पाण्डेयरायणी, कामिनी प्रबन्धक

टिप्पणी:—मुख्य विनियम दिनांक 28-2-1986 की अधिसूचना सं. सी. इस्स्यू. सी./14-4/स्वा.
तथा उत्तरोत्तर संशोधन:—

1. सं. सी. इस्स्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 1-4-87
2. सं. सी. इस्स्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 19-6-87
3. सं. सी. इस्स्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 19-6-87

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi, the 29th January, 1988

NOTIFICATION

No.CWC/XIV-4/Estts.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix II under the heading Inspected Cadre, after serial number 4, relating to the post of Security Officer add the

3 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART III - Sec. 4]

entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Name of the post	Classification	No. of posts	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Method of recruitment
1	2	3	4	5	6
"4A. Junior Technical Examiner (Works)	Group 'B'	2	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation, post from which to be made	Educational and other qualifications required for direct re-ct-	Age limit for direct re-ct.	Whether age limit and other qualifications will apply to promotion	Remarks
7	8	9	10	11
Deputation: Suitable officers from Central Public Works Department/ Military Engineering Service/ Public Sector Undertakings under the Govt. of India having atleast two years experience in Civil Construction Works at the level of Assistant Engineer or equivalent rank.			Not applicable	Nil."

V.K. PARTHASARATHY, Personnel Manager

NOTE:- The Principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:-

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-87.
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87.
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87.

कारो यह विवेक से कि ऐसी जांच विनियम 61 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी और उसके बाद जांच के परिणाम पर विचार करेगा और ऐसे मामले पास करेगा जहां यह उचित समझेगा। यदि प्रपोजी प्राधिकारी सजा बढ़ाने का विनिश्चय करता है, लेकिन विनियम 61 में उपबन्धित रूप में पहले ही जांच की जा चुकी है तो प्रपोजी प्राधिकारी कर्मचारों को इस बात का कारण बताओं नोटिस देगा कि क्यों न बढ़ायी गई शक्ति उस पर प्रयोजित की जाती चाहिए। प्रपोजी प्राधिकारी, यदि कर्मचारी शत्रु कोई सम्भवतः दिया जाता है, तो उस पर विचार करने के बाद प्रपोजी प्राधिकारी पास करेगा।

वी. के. पार्थसारथी, व्यक्ति प्रबन्धक

दिप्पणी—मूल विनियम नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रयोजित किए गए ये तथा तलस्वात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

- (1) नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 1-4-1987
- (2) नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 19-6-1987
- (3) नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 19-6-1987
- (4) नं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्वा. दिनांक 29-1-1988

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

New Delhi, the 24th June, 1988

NOTIFICATION

No. CWC/XIV-4/Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Fifth Amendment) Regulations, 1988.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 68 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, for sub-regulation (ii), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

“(ii) An appeal shall be preferred within forty five days from the date of communication of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the

said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within such time.

“(iii) The appeal shall be addressed to appellate authority specified in Appendix-I and submitted to the authority whose order is appealed against. The appeal shall be treated to have been filed on the day on which it was submitted to the authority whose order is appealed against and such authority shall forward the appeal together with its comments and the records of the case to the appellate authority within fifteen days therefrom. The appellate authority shall consider whether the findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders within three months from the date of the receipt of appeal. The appellate authority may pass order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case”.

Provided that if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is a major penalty specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 59 and an inquiry as provided in Regulation 61 has not already been held in the case, the appellate authority shall direct that such an inquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 61 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper. If the appellate authority decides to enhance the punishment but an inquiry has already been held as provided in Regulation 61, the appellate authority shall give a show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him. The Appellate Authority shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the employee”.

V. K. PARTHASARATHY, Personnel Manager

Note :—The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

- (1) No. CWC/XIV-4/Estt dated 1-4-1987
- (2) No. CWC/XIV-4/Estt dated 19-6-1987
- (3) No. CWC/XIV-4/Estt dated 19-6-1987
- (4) No. CWC/XIV-4/Estt dated 29-1-1988

परीकृतो सं. सी. (सी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (B.N.) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार सं प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18]
No. 18]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1989/ज्यैष्ठ 19, 1911
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1989/JYAISTHA 19, 1911

इस भाग में बिन्दु पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संयुक्त वेपार हार्जिस कारपोरेशन

(प्रायः सरकार का उपकरण)

प्रबन्धक

नई दिल्ली, 9 जून, 1989

सं. सी. 88/सी. 14/1989

वेपारहार्जिस कारपोरेशन विनियम, 1962 (का 58) की धारा 42 द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रयोजन करते हुए संयुक्त वेपारहार्जिस कारपोरेशन केन्द्रीय कार्यालय की पूर्ण सीटिंग के एकात्मक संयुक्त वेपारहार्जिस कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1985 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्—

I. (1) इन विनियमों को संयुक्त वेपारहार्जिस कारपोरेशन (स्टाफ) (छद्म संशोधन) विनियम, 1989 नाम दिया जायगा।

(2) ये विनियम में प्रयोजन की शर्तों से प्रवृत्त होंगे।

II. संयुक्त वेपारहार्जिस कारपोरेशन (स्टाफ) विनियम, 1985 के विनियम 42 के परन्तु निम्नलिखित विनियम जोड़ दिए जायें, अर्थात्—

“42क. राजनीति में भाग लेना—(i) कोई भी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का सदस्य

न तो रहना होगा और न किसी प्रकार इसके सदस्य होगा, किसी राजनीतिक दल के सदस्य अथवा सदस्य के रूप में भाग लेना और न ही सहभाग्य, अथवा देना अथवा किसी अन्य प्रकार में प्रयत्न करना होगा।

(ii) प्रत्येक कर्मचारी को यह सूचना देना कि वह नियत परिवार के किसी भी सदस्य को किसी दल, दलिका, नियम, प्रायः सरकार के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले अथवा कर करने वाले संगठन अथवा कार्यकलाप में भाग लेने, सहभाग्य करना देना, किसी अन्य प्रकार से सहयता देने से दूर रखेगा। जब कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी दल, दलिका अथवा कार्यकलाप में भाग लेने, अथवा सहभाग्य देना, अथवा किसी अन्य प्रकार से सहयता करने से दूर रखेगा तो वह कारपोरेशन का इस प्रायः को लिखित करेगा।

स्वीकारण—यदि यह अमल जहाँ-जहाँ कि किसी भी राजनीतिक दल में अथवा कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है, कोई प्रायः अथवा कार्यकलाप रूप नियम (i) और (ii) के अन्तर्गत आता है तो ऐसी व्यवस्था अथवा प्रायः निर्देशक प्रायः नियम प्रवृत्त होगा।

42B. चुनावों में भाग लेना:—कोई जो कर्मचारी वोट नहीं चोरी करता, वह किसी अन्य प्रकार से विधान संसद या प्रांतिक विधान सभा के चुनावों में हस्तक्षेप करने का शीर न भाग लेगा।

(i) पाल्नु यदि कोई कर्मचारी वोट किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है तो वह अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है लेकिन वह ऐसा करता है तो वह नहीं बताएगा कि वह किस प्रकार वोट देना प्रयत्न में हुआ है।

(ii) उस समय किसी कर्मचारी द्वारा इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना जाएगा जब तक उस समय जहाँ किसी विधि द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी के प्रयोग चुनाव में अनुमति करेगा।

संशोधन:—“जो कर्मचारी प्रत्येक वर्ष 28-2-86 को जहाँ उपरोक्त नियम लागू है वह किसी चुनाव दिवस को प्रभावित करता है वह किसी मत के प्रयोग चुनाव में प्रयोग प्रभाव का प्रयोग करना समझ जाएगा।”

एन. कलेड, जॉनिक प्रमोड

टिप्पणी:—

मुख्य विचार को. उच्च. सो. 14-4/स्था. दिनांक 28-2-86 द्वारा संशोधित किया गया है तथा कर में संशोधित द्वारा संशोधित किया गया है।

1. को. उच्च. सो. /14-4/स्था. दिनांक 2-4-1987
2. को. उच्च. सो. /14-4/स्था. दिनांक 19-6-1987
3. को. उच्च. सो. /14-4/स्था. दिनांक 19-6-1987
4. को. उच्च. सो. /14-4/स्था. दिनांक 29-1-88
5. को. उच्च. सो. /14-4/स्था. दिनांक 24-6-88

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1989

NO. CWC[XIV-4]Rectt.

In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (38 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :-

I. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Sixth Amendment) Regulations, 1989.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

II. After Regulation 42 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, the following regulations shall be inserted, namely :-

“42. A. Taking part in politics — (i) No employee shall be a member of, or otherwise

be associated with, any political party or any Organisation which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(ii) It shall be the duty of every employee to prevent any member of his family from taking part in subscribing in aid of, assisting in any other manner, any movement or activity which is, or tends directly or indirectly, to be subversive of the Corporation or of the Government as by law established, where an employee is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in aid of or assisting in any other manner any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Corporation.

Explanation.—If any question arises whether a party is a political party or whether any organisation takes part in politics, whether any movement or activity falls within scope of sub-regulation (i) and (ii), the decision of the Managing Director thereon shall be final.

42 B. Taking part in elections—No employee shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in an election to any legislature or local authority.

(i) Provided that an employee qualified to vote at such an election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(ii) an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this regulation by reason only that he assists in the conduct of an election in due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation.—The display by an employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this regulation”.

M. MASEEH, Personnel Manager

Note :-

The Principal regulations were notified vide No. CWC[XIV-4]Estt. dated 28-2-86 and subsequently amended vide :-

1. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 1-4-1987.
2. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-6-87.
3. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-6-87.
4. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 29-1-88.
5. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 24-6-88.

संविद्या सं. सं. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 1989/अग्रहायण 3, 1911
No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 1989/AGRAHAYANA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

सेंट्रल वेपस्ट्राजिग कारपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

दिल्ली, भारत

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1989

सं. सं. डब्ल्यू. सी. /14-4/रिजिस्ट्रार-वेपस्ट्राजिग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) का धारा 11 द्वारा प्रस्तुत प्रतिशोध का प्रयोग करते हुए सेंट्रल वेपस्ट्राजिग कारपोरेशन केंद्रिय सरकार का पूर्व स्वीकृति से एकटाया सेंट्रल वेपस्ट्राजिग कारपोरेशन (कर्मचारियों) विनियम, 1986 में प्रोत्साहन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं, प्रस्ताव :-

- (1) इन विनियमों को सेंट्रल वेपस्ट्राजिग कारपोरेशन (कर्मचारियों) (संतोष संसोधन) विनियम, 1989 कहा जाएगा।
- (2) वे मरफरग गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 सेंट्रल वेपस्ट्राजिग कारपोरेशन (कर्मचारियों) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में 'इसल संवर्ग' के अंतर्गत वर्गीकृत नकदीय पदोपदे (विनियम कार्य) से संबंधित सं. सं. 3 के बाद निम्नलिखित सं. सं. 4 का अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिशोध जोड़ी जाएगी प्रस्ताव :-

1	2	3	4	5	6
"3 (क) संसोधन अधिनियम	सं. सं. "क"	4	1200-50 1600	नया	प्रतिनियुक्ति
			(संसोधन पूर्व)		

7	8	9	10	11
प्रतिनिर्वाचितः	सायू नही है	सायू नही	सायू नही	सायू
केंद्रीय सरकार के उपयुक्त अधिकारियों में से जिन्होंने ऐसे				
वैतनमान में जिसका न्यूनतम 650/- रु. (दशोपय पूर्व)				
हो, कम से कम चार वर्ष की सेवा की हो तथा सर्वोच्च एवं				
नायब सायू का अनुभव हो तथा केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों				
में कार्यरत अधिकारियों में से एवं इतना ही अनुभव रखने वाले				
उपयुक्त अधिकारियों में से।				

- एम. मासेह, नायिक इन्चार्ज
- टिप्पणी -- मुख्य विनिर्देश सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 28-2-1986 द्वारा प्रतिष्ठित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए
1. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 1-4-1987
 2. सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
 3. सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
 4. सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 29-1-88
 5. सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 24-6-88
 6. सं. सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/स्था. दिनांक 9-6-89

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1989

No. CWC/XIV-4/Rectt. — In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :-

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Seventh Amendment) Regulations, 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II under the heading "ISOLATED CADRE" after serial number 3 A relating to the post of Senior Technical Examiner (Works), the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :-

1	2	3	4	5	6
3(B)	Group 'A'	4	Rs. 1200-50-1600 (Pre-revised)	Selection	Deputation
Vigilance Officer					
7		8	9	10	11

Deputation :

Suitable Officers from Central Government with 4 years service in the scale the minimum of which is not less than Rs. 650/- (pre-revised) and having experience of vigilance and inquiry work or suitable officers from Central Public Enterprises with similar experience at equivalent level.	N.A.	N.A.	N.A.	nil
---	------	------	------	-----

M. MASBEH, Personnel Manager

Note : — The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :-

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87
4. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-88
5. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-88
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-89



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]
No. 31]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 19, 1990/आश्विन 27, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 1990/ASVINA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

संस्कृत वेधरहाजसिग कारपोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
पट्टिभूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1990

सं. : सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/रिफ्ट. :- वेधरहाजसिग कारपोरेशन
पधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त पधिनियों
का प्रयोग करते हुए संस्कृत वेधरहाजसिग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार के
पूर्व अनुमोदन से संस्कृत वेधरहाजसिग कारपोरेशन (कर्मचारी) विनियम
1986 में संशोधन का निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

1. (i) इन विनियमों को संस्कृत वेधरहाजसिग कारपोरेशन (कर्मचारी)
(8वां संशोधन) विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संस्कृत वेधरहाजसिग कारपोरेशन कर्मचारी विनियम, 1986
के परिशिष्ट - II में (i) "योगाधिकारी संरक्ष" शीर्षक, के प्रस्तावित
क्रम संख्या-5 पर सहायक भास्वविद के पद से सम्बन्धित कालम 7 की
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी,
अर्थात् :-

2799 GI/90

2

"पदोन्नति"

स्थापत्य सहायक जिन्होंने उस पद पर 4 वर्षों की सेवा की है। "

(2) "सामान्य प्रबन्ध संवर्ग" शीर्षक के अधीन :

(क) वेधरहाजसिग सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 22 पर

(i) कालम संख्या 6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

6

"प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी पती द्वारा"

(ii) कालम 8 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित
की जाएगी, अर्थात् :-

8

"सीधी पती"

सोनिपर सेकेण्टरी (10+2) उत्तम श्रेणी शैक्षणिक में 100
अथवा प्रति मिनट तथा टाइपिंग में 40 अथवा प्रति मिनट की
गति होनी चाहिए। "

(iii) कालम 9 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित
की जाएगी, अर्थात् :-

(1)

9
"25 वर्ष";
(ख) पाठ्यलिपि (हिन्दी) के पर से संबंधित क्रम संख्या 27, कॉलम 8 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी भवति :

8
"हिन्दी विषय सहित मैट्रिक हिन्दी पाठ्यलिपि और हिन्दी टाइपिंग में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 40 शब्द प्रति मिनट की गति ।"
(ग) हिन्दी टाइपिस्ट (बैंगलूरुन सहस्यक ग्रेड-II) के पर से संबंधित क्रम संख्या 32 के कॉलम 8 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी भवति :

8
हिन्दी एक विषय के साथ मैट्रिक तथा हिन्दी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति, कार्यालय कार्य करने का अनुभव रखने वाले की प्राथमिकता दी जाएगी । (पन्थपा उपर्युक्त प्राप्त गए प्राथमिकता से विकलांग व्यक्तियों के लिए टाइपिंग की गति की कोई शर्त नहीं होगी ।)
कश्मीर सिंह, प्रबन्धक (कार्यिक)

पाठ टिप्पणी

मुख्य विनियम भारत के राजपत्र प्रकाशक भाग III, खण्ड-4 दिनांक 26-2-86 को परिशुद्धित किये गये थे तथा तत्परचाए निम्नलिखित द्वारा संशोधन किये गये :

1. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 1-4-87
2. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 19-6-87
3. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 19-6-87
4. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 29-1-88
5. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 24-6-88
6. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 9-6-89
7. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 24-11-89

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1990

No. CWC/XIV-4/Rect.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Eighth Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986,—(1) under the heading "Engineering Cadre" against serial No. 5 relating to the post of Assistant Architect, in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

7

"Promotion :

Architectural Assistants with four years' service in the post";

(2) Under the heading "General Management Cadre",

(a) against serial No. 22 relating to the post of Personal Assistant,—

(i) in column 6, from the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

6

"Promotion failing which by direct recruitment";

(ii) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8

"Direct Recruitment Passed Senior Secondary (10+2). Should have 100 words per minute speed in Shorthand and 40 words per minute in type writing".

(iii) in column 9, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

9

"25 Years";

(b) against Serial No. 27 relating to the post of Stenographer (Hindi), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8

"Matric with Hindi as one of the subjects. Should have 80 words per minute and 40 words per minute speed in Hindi Shorthand and Hindi Typing respectively";

(c) against serial No. 32 relating to the post of Hindi Typist (Warehouse Assistant Grade II), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8

"Matric with Hindi as one of the subjects with a minimum speed of 30 words per minute in Hindi [Typing preferably with experience of office work. (Typing speed will however, be not a condition precedent for physically handicapped persons found otherwise suitable)".

KASHMIR SINGH, Manager (Personnel)

Foot Note : The principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
4. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988
5. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988
6. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 9-6-1989
7. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-11-1989



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 1990/कार्तिक 4, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 1990/KARTIKA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भण्डारण नियम
(भारत सरकार का उपक्रम)

अविमोचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1990

सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4 रिज्यूट :- वैद्यसाहसिण
कारपोरेशन अविनियम, 1962 (1962 का 58) को धारा
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण
नियम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा केन्द्रीय
भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन
कर निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण नियम
(कर्मचारी) (नवां संशोधन) विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त
होंगे :

2872GI/90

2. केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम,
1986 के परिशिष्ट-2 में "सामान्य प्रबंध संवर्ग" शीर्षक
के अन्तर्गत महा प्रबन्धक के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के
कालम 7 में "पदोन्नति" शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी
अर्थात्:-

"पदोन्नति"

नियम के 1800-2250 ए, के वेतनमान में ऐसे
अधिकारी जिन्होंने इस वेतनमान में कम से कम चार वर्ष
तगावार सेवा की है।

भार. एन. दास, प्रबंधनिदेशक

पाद टिप्पणी

मुख्य विनियम भारत के राजपत्र भाग 3 खंड 4
दिनांक 28-2-86 में गं. सी. डब्ल्यू. सी. /14/4 अर्थात्

(1)

द्वारा अधिसूचित किये गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा इनमें संशोधन किया गया :—

1. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 1-4-87
2. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 19-6-87
4. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 19-6-87
4. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 29-1-88
5. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 24-6-88
6. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 9-6-89
7. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 24-11-89
8. सं. सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4/मती दिनांक 15-10-90

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1990

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1952 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

I. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Ninth Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, under the heading "General Management Cadre" against Sl. No. 1 relating to the post of General Manager, in Column 7, for the existing entry, under the heading "Promotion" the following entry shall be substituted namely :—

"Promotion.—Officers of the Corporation in the scale of Rs. 1800-2250 with at least 4 years of continuous service in the said scale."

R. N. DAS, Managing Director

FOOT NOTE :

The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Rectt. in the Gazette of India, Extraordinary Part-III Section-4 dt. 23-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 01-04-1987
2. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-06-1987
3. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-06-1987
4. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-01-1988
5. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-06-1988
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-1989
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990.

संस्कृत सं. सं. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1990/अग्राहायण 9, 1912
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1990/AGRAHAYANA 9, 1912

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भंडारण नियम

(भारत सरकार का उपक्रम)

यधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1990

सं. सं. सं. सं./14-4/वर्ती.—वेद्यरहाउसिंग नारसोरेखन यधिनियम, 1962 (1961 का 58) की धारा 42 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण नियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण नियम
(कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती हैं—

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारणनियम (कर्मचारी) (दसवां संशोधित) विनियम, 1990 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) केन्द्रीय भंडारण विभाग (कर्मचारियों) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में "सामान्य प्रवर्ध संवर्ग" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 44 के तहत निम्नलिखित क्रम संख्या एवं इनसे संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी धरति :-

क्रम सं.	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की सं.	वेतनमान	चयन पद है अथवा नहीं चयन पद
1	2	3	4	5	
सामान्य प्रवर्ध संवर्ग					
45.	सेनियो ग्रामपेटर	समूह "ग"	14	ए. 260-6-326- द.सं.-8-350	गैर चयन पद
46.	फैरी प्रिन्टर	समूह "ग"	1	ए. 260-6-326- द.सं.-8-350	गैर चयन पद
47.	वरिष्ठ स्टाफ क्लर ड्राइवर	समूह "ग"	6	ए. 330-8-370- 10-400-द.सं.- 10-480	गैर चयन पद
48.	डिप्टी राइडर	समूह "ग"	1	ए. 260-6-326- द.सं.-8-350	चयन पद
49.	रिकार्ड धर्तरी	समूह "ग"	1	ए. 260-6-326- द.सं.-8-350	गैर चयन पद
50.	चयन ग्रेड स्पातरी	समूह "घ"	6	ए. 210-4-250- द.सं.-5-270	गैर चयन पद
51.	कनिष्ठ कलाकार	समूह "ग"	1	ए. 330-10-380- द.सं.-12-500- द.सं.-15-560	—
52.	कापी होल्डर	समूह "ग"	1	ए. 260-6-250- द.सं.-6-326- 8-366-द.सं.- 8-390-10-460	—

6	7	8	9	10	11
भर्तियों की पद्धति	प्रोत्तति/प्रतिनिधुक्ति शाय भर्तियों की दशा में वे किस पद से की जानी हैं	सीधे भर्तियों किए जाने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षणिक तथा अन्य ग्रहणाएं	सीधे भर्तियों के लिए यादु सीमा	यादु सीमा और अन्य ग्रहणाएं प्रोत्तति की दशा में लागू होगी या नहीं	कंपिशन
प्रोत्तति 100%	सेनियर ग्रेड डीस्टेय यापरे-टर सेनियर ग्रेड स्पातरी जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा पूरी की है तथा गेस्टेटर मशीन चलाने का ज्ञान है ऐसा संभव न होने पर 10	—	—	लागू नहीं	शून्य

6	7	8	9	10	11
	वर्ष की सेवा वाले दफ्तरी/डस्टिंग थापर/चीफ़ीदार ग्रेड-1 में से जिन्हें ग्रेड-2 में प्रमोशन चलाने का अनुभव है।				
प्रोन्नति 100%	सीनियर ग्रेड डस्टिंग थापर/सीनियर ग्रेड दफ्तरी जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा पूरी की है तथा फ़ैरो प्रिन्सिपल बन सकते हैं। ऐसा संभव न होने पर 10 वर्ष की सेवा वाले डस्टिंग थापर/दफ्तरी/चीफ़ीदार ग्रेड-1 जिन्हें फ़ैरो प्रिन्सिपल बनाने का अनुभव है।			लागू नहीं	शून्य
प्रोन्नति 100%	पद पर 8 वर्ष की सेवा वाले स्टाफ़ कार ड्राइवर्स में से			लागू नहीं	शून्य
प्रोन्नति 100%	प्रोन्नति समूह "घ" के कर्मचारियों में से जो गाइड की कक्षा पास हैं एवं उनके पास मोटर गाइड/हल्का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वरतों कि ड्राइविंग टेस्ट में उत्तीर्ण करें।	श्रीवी नहीं (1) गाइड की कक्षा पास (2) मोटर गाइड/हल्का वाहन चलाने का मान्य लाइसेंस (3) मोटर गाइड/हल्का वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव। उम्मीदवार को ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा।	30 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
प्रोन्नति 100%	पद पर 5 वर्ष की सेवा वाले सीनियर ग्रेड दफ्तरी			लागू नहीं	शून्य
प्रोन्नति 100%	पद पर 5 वर्ष की सेवा वाले दफ्तरी			लागू नहीं	शून्य
श्रीवी नहीं 100%		(1) सीनियर स्कूल प्रशासनिक (2) कला/वाणिज्यिक कक्षा में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा	30 वर्ष	लागू नहीं	शून्य
श्रीवी नहीं 100%		(1) सीनियर स्कूल प्रशासनिक (2) प्रकृति विज्ञान एक वर्ष का अनुभव	25 वर्ष	लागू नहीं	प्रोन्नति के उद्देश्य के लिए वेधरहाजिस सहायक ग्रेड-2 के साथ विचार किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम 1986 के परिशिष्ट-II में "अभियोगिकी संवर्ग" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 17 के बाद क्रम संख्या 18 एवं उससे संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात् :-

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की सं.	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद
1	2	3	4	5
अभियोगिकी संवर्ग				
18. मैकेनिकल पर्यवेक्षक	समूह "ग"	1	र. 260-6-326- द.से.-8-1350	चयन

भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे किस पद से की जानी हैं	सोधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अहं- ताएं	सोधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु सीमा और अन्य अहंताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	कैफियत
6	7	8	9	10	11
सीधी भर्ती 100%	—	अनिवार्य : (1) फीटर ट्रेड अथवा मैकेनिक ट्रेड में आई. टी. आई. प्रमाणपत्र (2) ट्रेड का 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय : मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष। ट्रेड टेस्ट के याधार पर चयन किया जाएगा।	35 वर्ष	लागू नहीं	शून्य

कंप्यूटर विट्ट, कार्मिक प्रबन्धक

पाद टिप्पणियां : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खंड 4 दिनांक 28-2-1986 में सी. डब्ल्यू. सी./14-4/त्या. द्वारा अधिसूचित किए गए तथा बाद में निम्न द्वारा इनमें संशोधन किया गया :-

1. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 1-4-1987
2. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 19-6-1987
3. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 19-6-1987
4. सं. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4/भर्ती, दिनांक 29-1-1988
5. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 24-6-1988
6. सं. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4/भर्ती, दिनांक 9-6-1989
7. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 24-11-1989
8. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 15-10-1990
9. सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती, दिनांक 26-10-1990

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1990

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by Section 42 of Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (STAFF) Regulations, 1986, namely:—

- (1) (i) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Tenth Amendment) Regulations, 1990.
(ii) These shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

(2) In the Central Warehousing Corporation (STAFF) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading 'General Management Cadre', after serial number 44, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Name of Post	Classification	No. of post.	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5	6
GENERAL MANAGEMENT CADRE					
45.	Ronco Operator	Group 'C'	14	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-selection
46.	Ferro Printer	Group 'C'	1	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-selection
47.	Senior Staff Car Driver	Group 'C'	6	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	Non-selection
48.	Despatch Rider	Group 'C'	1	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Selection
49.	Record Sorter	Group 'C'	1	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-selection
50.	Selection Grade Daftry	Group 'D'	6	Rs. 210-4-250-EB-5-270	Non-selection
51.	Junior Artist	Group 'C'	1	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	—
52.	Copy Holder	Group 'C'	1	Rs. 260-6-290-EB-6-326.8-366-EB-8-390-10-400	—
Method of Rectt.					
6	7	8	9	10	11
Promotion 100%	In case of rectt. by promotion/deputation, posts from which to be made	Educational & other qualifications required for direct rectt.	Age limit for direct rectt.	Whether age limit & other qualifications will apply to promotees	
	SGDO, SG Daftry with 7 years service and having knowledge of operating Gestetner machine, failing which from Daftry/D.O./Chowkidar Gr.-I with 10 years service & having knowledge of operating Gestetner machine.			N.A.	Nil

6	7	8	9	10	11
Promotion 100%	SGDO/SG Daftry with 7 years service and having knowledge of ferro printing work, failing which DO/Daftry/Chowkidar Gr-I with 10 years service and having knowledge of Ferro Printing work.	—	—	N.A.	Nil
Promotion 100%	From amongst staff car drivers with 8 years service in the post.	—	—	N.A.	Nil
Promotion 100% failing which by direct rectt.	Promotion From amongst Gr. 'D' employees who are 8th Std. pass possessing valid licence for driving motor cycle/light vehicle and have experience of driving a motor cycle/light vehicle subject to passing the driving test.	Direct rectt. (i) 8th Standard pass. (ii) Valid licence for driving motor cycle/light vehicle. (iii) 3 years experience of driving a motor cycle or light vehicle. The candidate will be required to pass the driving test.	30 years	N.A.	Nil
Promotion 100%	SG Daftries with 5 years service in the post	—	—	N.A.	Nil
Promotion 100%	Daftries with 5 years service in the post	—	—	N.A.	Nil
Direct Rectt. 100%	—	(i) Senior School 30 Certificate. (ii) Diploma in Art/Commercial Art from a recognised Institution.	30 yrs.	N.A.	Nil
Direct Rectt. 100%	—	(i) Senior School Certificate (ii) One year experience of proof reading.	25 yrs.	N.A.	For purpose of promotion will be considered along with WAG-II.

(3) In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading "Engineering Cadre", after serial number 17, the Serial No. 18 and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Name of Post	Classification	No. of posts	Scale of posts	Whether Selection post or Non-selection post	
1	2	3	4	5	
ENGINEERING CADRE					
18. Mechanical Supervisor	Group 'C'	1	Rs. 260.6-326.EB-8-350	Selection	
Method of Rectt.	In case of rectt. by promotion/deputation, posts from which to be made	Educational & other qualifications required for direct rectt.	Age limit for direct rectt.	Whether age limit and other qualifications will apply to promotees	Remarks
6	7	8	9	10	11
Direct rectt. 100%	—	Essential (i) E.T.I. Certificate in Fitter's Trade or Machinist Trade. (ii) 2 years experience in the Trade. Desirable Matriculation or equivalent. Selection to be made on the basis of trade test.	35 yrs.	N.A.	Nil

KASHMIR SINGH Personal Manager

FOOT NOTE : The Principal Regulations were Notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4 dated 28-2-1986, and subsequently amended vide:-

1. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-1987
3. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-1987
4. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-1-1988
5. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-6-1988
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990
9. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रतिष्ठापक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

द. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 1990/अग्रहायण 30, 1912

No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 1990/AGRAHAYANA 30, 1912

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय वेधरहाजसिंग कारपोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
अधिसूचना

नई दिल्ली 21 दिसम्बर, 1990

सं. सी. डब्ल्यू. सी./एनस आई वी-4/भर्ती:—वेधरहाजसिंग कारपोरेशन अधिनियम 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वेधरहाजसिंग कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा केन्द्रीय वेधरहाजसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय वेधरहाजसिंग कारपोरेशन (कर्मचारी) ग्यारहवाँ संशोधन विनियम, 1990 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व होंगे।

2. केन्द्रीय वेधरहाजसिंग कारपोरेशन कर्मचारी विनियम, 1986 (जिन्हें बाद में कथित विनियम कहा गया है) के विनियम

3387GI/90

24 के खण्ड-4 के अन्तर्गत पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

(3) निम्नलिखित शर्तों में किसी व्यक्ति को उसकी आरम्भिक नियुक्ति के समय चयन मरिनिमि को: तिफ्तगियों पर विचार करने के पश्चात् तथा कारणों को रिकार्ड करते हुए अधिक से अधिक पांच वेतन वृद्धि देकर उपर्युक्त वेतन देने की अनुमति दे सकता है। निदेशक मण्डल के पूर्व अनुमोदन से असाधारण परिस्थितियों में संशय पर पांच वेतन वृद्धियों से अधिक की अनुमति दी जा सकती है।

3. संशोधित विनियमों के विनियम 56 के उपविनियम

(4) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु इस प्रकार की प्रायाषी जांच के आदेश तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि

न्यायालय ने मामले की सुनावणी पर ध्यान दिए बिना पूर्णतः तकनीकी आधार पर आदेश पारित किए हैं।"

कश्मीर सिंह, प्रबन्धक कारिदा

टिप्पण : मुख्य विनियमों की सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/86. दिनांक 28-2-86 द्वारा अधिसूचित किया गया था एवं तत्पश्चात् निम्न द्वारा संशोधित किया गया :—

- | | |
|---|----------|
| (1) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 1-4-87 |
| (2) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 19-6-87 |
| (3) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 19-5-87 |
| (4) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 21-9-87 |
| (5) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 24-6-90 |
| (6) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 9-6-90 |
| (7) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 24-11-90 |
| (8) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 15-10-90 |
| (9) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 26-10-90 |
| (10) संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/भर्ती | 30-11-90 |

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 1990

No. CWC/XIV-4/Recit.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1952 (53 of 1952), the Central Warehousing Corporation with the prior approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Eleventh Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 24 for clause (iv) the following clause shall be substituted, namely :—

(iv) The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, after taking into consideration the recommendations of the Selection Committee, allow higher pay not exceeding five increments to a person on his initial appointment. In exceptional circumstances and on merits of each case more than five increments may be allowed with the prior approval of the Board of Directors.

3. In the said Regulations, in Regulation 56, after sub-regulation (iv) the following proviso shall be added, namely :

"Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case."

KASHMIR SINGH, Personnel Manager

NOTE.—The principle Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

- (i) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 1-4-87.
- (ii) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 19-6-87.
- (iii) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 19-6-87.
- (iv) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 21-9-87.
- (v) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 24-6-88.
- (vi) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 9-6-89.
- (vii) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 24-11-89.
- (viii) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 15-10-90.
- (ix) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 26-10-90.
- (x) No. CWC/XIV-4/Recit. dated 30-11-90.

12th Amendment

रजिस्ट्रेशन नं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)-127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 1991/भाष 19, 1912

No. 8] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 1991/MAGHA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय प्रकाशन नियम.

(भारत सरकार का उपक्रम)

धनिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1991

संख्या : सी. डब्ल्यू. सी./14-3/मती :- वेबपहाउसिंग कारपोरेशन धननियम, 1962 (1962 का 58)
की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रकाशन नियम, केन्द्रीय सरकार के द्वारा

348GI/91

(1)

पञ्चमोदक से एतद्द्वारा केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाया है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 1991 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की शारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के "सेवा की शायदावधि" शीर्षक के अध्याय-II में "पदों के सूचन" से संबंधित विनियम 5 को वर्तमान प्रवृत्ति के समान पर निम्नलिखित प्रवृत्ति प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

पदाधिकारी	पद का प्रवर्ध
निदेशक मंडल	निदेशक मंडल में शामिल पदाधिकारियों के लिए लागू वेतनमानों से कम वेतनमान का निदेशक पञ्चक के सीबे के स्तर पर शोर्ट पद।

सी. एन. दास, प्रबंध निदेशक

आर टिप्पणी:

मुख्य विनियम भाग के राजपत्र प्रकाशन, भाग 3, खण्ड 4, दिनांक 28-2-1986 में संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती द्वारा अधिसूचित किये गये थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये :-

1. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 1-4-1987.
2. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 19-6-1987.
3. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 19-6-1987.
4. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 29-1-1988.
5. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 24-6-1988.
6. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 9-6-1989.
7. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 24-11-1989.
8. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 15-10-1990.
9. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 26-10-1990.
10. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 31-11-1990.
11. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. /14-4/भर्ती दिनांक 21-12-1990.

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 1991

No.CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twelfth Amendment) Regulations, 1991.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Chapter-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading 'General conditions of service' against Regulation 5, for the existing entry, under the heading 'Creation of posts' the following entry shall be substituted namely:—

Authority	Category of post
Board of Directors	Any post below the Board of Directors level on the scales of pay which are below the scales of pay applicable to those on the Board level.

R. N. DAS, Managing Director

FOOT NOTE:

The principle Regulations were notified vide No.CWC/XIV-4/Rectt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section-4 dated 28-2-1986 and Subsequently amended vide:

1. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 1-4-1987.
2. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-1987.
3. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-6-1987.
4. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-1-1988.

5. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-6-1988.
6. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989.
7. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989.
8. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990.
9. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990.
10. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 31-11-1990.
11. No.CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990.

रजिस्ट्री सं. डी. (अ.प्र.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 1991/विशाख 27, 1913
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 1991/VAISAKHA 27, 1913

इस भाग में विन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है कि यह अलग संस्करण के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय भण्डारण विनियम

(नारक बरकरार का उपग्रह)

संशोधन

नई दिल्ली, 17 मई, 1991

संख्या के. अ. नि. / 14-4-अर्ती—वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962
(1962 का 58) का धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु तथा केन्द्रीय
संस्कार को पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण विनियम एतद्वारा केन्द्रीय भण्डारण विनियम
(कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाया है, अर्थात्

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण विनियम (कर्मचारी) तैरुवा संशोधन
विनियम, 1991 कहा जाएगा।

1364 G1/91

(1)

(2) में राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

केन्द्रीय गण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 52 के उप-विनियम (iii) में "2,500 रुपये" श्रेणियों एवं श्रेणियों के लिए समूह "क" तथा समूह "ख" के मामले में "10,000 रु." तथा समूह "ग" एवं समूह "घ" के मामले में "5,000 रु." श्रेणियों एवं श्रेणियों प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

रवि ना. दास, प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणी:— मुख्य विनियम सं. के. म. नि. 14-4-स्था दिनांक 28-2-1986 द्वारा अदिसूचित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए।

1. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट 1 दिनांक 1-4-1987
2. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 19-6-1987
3. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 19-6-1987
4. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 29-1-1988
5. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 एस्ट दिनांक 24-6-1988
6. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिक्लूट दिनांक 9-6-1986
7. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/5 रिक्लूट दिनांक 24-11-1989
8. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिक्लूट दिनांक 15-10-1990
9. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिक्लूट दिनांक 26-10-1990
10. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिक्लूट दिनांक 30-11-1990
11. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिक्लूट दिनांक 21-12-1990
12. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. 14/4 रिक्लूट दिनांक 08-02-1991

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 1991

No. CWC/XIV-4/Rect.—in exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely —

- I. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff), Thirteenth Amendment Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

11. In regulation 52 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in sub-regulation (iii), for the letters and figures "Rs. 2,500", the words, letters and figures "Rs. 10,000 in case of Group 'A' and group 'B' employees and Rs. 5,000 in case of Group 'C' and Group 'D' employees" shall be substituted.

R. N. DAS, Managing Director.

Note.—The Principal regulations were notified vide No. CWC(XIV-4) Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :

1. No. CWC(XIV-4) Estt. dated 1-4-1987.
2. No. CWC(XIV-4) Estt. dated 19-6-1987.
3. No. CWC(XIV-4) Estt. dated 19-6-1987.
4. No. CWC(XIV-4) Estt. dated 29-1-1988.
5. No. CWC(XIV-4) Estt. dated 24-06-1988.
6. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 9-6-1989.
7. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 24-11-1989.
8. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 15-10-1990.
9. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 26-10-1990.
10. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 30-11-1990.
11. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 21-12-1990.
12. No. CWC(XIV-4) Rectt. dated 8-2-1991.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 41]
No. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 1991/आश्विन 12, 1913
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 1991/ASVINA 12, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केंद्रीय संशोधन विभाग

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रतिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1991

सं. सी. डब्ल्यू. सी./14-प्रति-1--वेचमहाकुमिय कोरपोरेसन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) को द्वारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय सरकार को पूर्व में से केंद्रीय संशोधन विभाग (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर केंद्रीय संशो-
रण विभाग निम्नलिखित विनियम बनाता है, जहां :-

- (1) इन विनियमों को केंद्रीय संशोधन विभाग (कर्मचारी) बोर्डको संशोधन विनियम, 1991 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय संशोधन विभाग (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिच्छेद-11 में दूजोविषयक संशोधन जोड़ने के लिये :-

- (1) प्रत्येक (दूजोविषयक) के तद के संबंधित नम संख्या 2 तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के लिये पर निम्नलिखित प्रविष्टयमित किया जाएगा जहां :-

1	2	3	4	5	6
"1. सूक्ष्म प्रतियोगिता	धर्म "क"	1	१. 1800-100- 2000-125/3- 2250	धर्म	प्रोड्रि. द्वारा धर्मका प्रतिनिधुक्ति पर स्प- नन्तरण द्वारा और धर्मका संघी धर्मों द्वारा।

7	8	9	10	11
<p>परोक्षतः : घटीक्षक समित्यता जो उस घेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :</p> <p>(1) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में समान पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी। धरणा</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में घटीक्षक समित्यता के दर पर 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखने वाले अधिकारी।</p>	<p>वैशिक चर्हता : किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। स्नातकोत्तर चर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को शरीयता दी जाएगी।</p> <p>धनुषधर : किसी सरकारी विभाग/सरकारी संस्था/वाणिज्यिक संस्था में 10 वर्ष का अनुभव-विधमें से कम से कम केन्द्रीय सरकार के घटीन घटीक्षक समित्यता के पर पर 3 वर्ष का अनुभव हो।</p>	<p>45 वर्ष</p>	<p>सामू नहीं</p>	<p>पुरुष</p>

(2) संयुक्त प्रबन्धक (इंजीनियरिंग)/घटीक्षक समित्यता से संबंधित क्रम सं. 2 तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, धरणा:-

1	2	3	4	5	6
"2. घटीक्षक समित्यता	समूह "क"	5	₹. 1500- 60-1800.	चयन	(क) 75 प्रतिशत प्रोक्षति द्वारा घन्यता प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा घन्यता सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा घन्यता प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

7	8	9	10	11
<p>परोक्षतः : अधिसारी समित्यता/कार्य संयोजक/अवसनात्मक इंजीनियर जो उस घेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :</p> <p>(1) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में समान पदों पर कार्य कर रहे सिविल इंजीनियरिंग स्नातक। धरणा</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार/सरकारी संस्था में अधिसारी समित्यता धरणा समकत दर पर 6 वर्ष का अनुभव रखने वाले सिविल इंजीनियरिंग स्नातक।</p>	<p>वैशिक चर्हता : किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। स्नातकोत्तर चर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को शरीयता दी जाएगी।</p> <p>धनुषधर : किसी सरकारी विभाग/सरकारी संस्था/वाणिज्यिक संस्था में केन्द्रीय सरकार के घटीन अधिसारी समित्यता के पर का 8 वर्ष का अनुभव।</p>	<p>45 वर्ष</p>	<p>सामू नहीं</p>	<p>पुरुष</p>

सी. बी. चटरायक, प्रबन्धक कार्यालय

टिप्पणी :- मुख्य विनियम 28-2-1986 की संख्या सी. सं. सं. सी/14-4/स्थापना द्वारा परिष्कृत किए गए हैं तथा बार में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं।

1. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 1-4-87
2. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-87
3. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-87
4. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 29-1-88
5. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-6-88
6. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 9-8-89
7. सी. सं. सं. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-11-89

(ii) for serial number 2 relating to the post of Joint Manager (Engineering)/Superintending Engineer and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"2. Superintending Engineer.	Group 'A'	5	Rs. 1500-60-1800.	Selection.	(a) 75% by promotion, failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment. (b) 25% by direct recruitment, failing which by transfer on deputation.
7	8	9	10	11	
Promotion :	Educational Qualifications :	45 Years.	Not applicable.	Nil".	
Executive Engineer/Surveyor of Works Structural Engineer with six years' regular service in the grade.	A degree in Civil Engineering from a recognised University. Preference shall be given to candidates with Post-Graduate qualification.				
Transfer on deputation :	Experience :				
(i) Civil Engineering Graduates holding analogous posts in Central Government/Public Institution.	Six years' experience in a Government Department/Public Institution/Commercial Organisation in a senior position of the rank of Executive Engineer under Central Government.				
OR					
(ii) Civil Engineering Graduates holding the post of Executive Engineer or a comparable post with six years experience in the post in Central Government/Public Institution.					

B.B. PATTANAİK, Personnel Manager.

Note : The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dt. 1-4-87
2. CWC/XIV-4/Estt. dt. 19-6-87
3. CWC/XIV-4/Estt. dt. 19-6-87
4. CWC/XIV-4/Estt. dt. 29-1-88
5. CWC/XIV-4/Estt. dt. 24-6-88
6. CWC/SIV-4/Rectt. dt. 9-6-89
7. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 24-11-89
8. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 19-10-90
9. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 26-10-90
10. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 30-11-90
11. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 21-12-90
12. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 8-2-91
13. CWC/XIV-4/Rectt. dt. 17-5-1991

15th Amendment



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रकाशक व प्रकाशिका
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, शुक्रवार दिनांक 18, 1992/अग्रहायण 27, 1914

No. 49]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 1992/AGRHAAYANA 27, 1914

इस भाग में भिन्न-पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग-संकलन में रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय मंत्रालय नियम

(भारत सरकार का आदेश)

प्रसिद्धता

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1992

सं. सी.ओ. 14/4/92—भारत सरकार के कार्यालय के अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार का पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय मंत्रालय नियम अग्रहायण केन्द्रीय मंत्रालय नियम (संनवासेन) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1 (1) इन विनियमों को केन्द्रीय मंत्रालय नियम (संनवासेन) (15वां संशोधन) विनियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम प्रस्तावित होने से तुरन्त ही लागू होंगे।

2- केन्द्रीय मंत्रालय नियम (संनवासेन) विनियम, 1986 के विनियम 47 के त्वाक पर निम्नलिखित विनियम प्रवृत्तियों के अन्तर्गत प्रस्तावित—

3099 GI/92

47- "बन्धन"—

(1) इन विनियमों में क्या उल्लिखित के विना, नियमों का कोई कार्यवाही नहीं होगी उल्लिखित करने के लिए और परिवार के किसी सदस्य को या पाली पौर के कार्यवाही के लिए अन्य व्यक्ति को कोई उल्लिखित कार्य करने से प्रतिषेध होगा।

संशोधन—

"बन्धन" पर के अन्तर्गत निम्नलिखित परिवर्तन, संशोधन, व्यवस्था, निचालन, संशोधन अन्य सेवा या अन्य कार्य के अन्तर्गत नया सम्मिलित है जो किसे उल्लिखित करने के लिए आवश्यक नित्त निम्नलिखित कार्यवाही के साथ कोई विशेष व्यवहार न हो, के अन्तर्गत किसे उल्लिखित कार्य प्रदान किया जावे।

विषय (1) : पारिवारिक नियम, निम्नलिखित सेवा के अन्तर्गत पारिवारिक पत्रिका के अन्तर्गत नही माना जाएगा।

विषय (2) : नियमों को कोई कार्यवाही किसे उल्लिखित कार्यवाही के अन्तर्गत नही माना जाएगा और उल्लिखित कार्यवाही के अन्तर्गत नही माना जाएगा।

(1)

any individual, industrial or commercial firm, organisations, etc. having official dealings with him.

(ii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practices, an employee of the Corporation may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the competent authority, if value of any such gifts exceeds:—

(a) Rs. 1000 in the case of an employee holding any Group 'A' or 'B' posts;

(b) Rs. 500 in the case of an employee holding any Group 'C' posts; and

(c) Rs. 200 in the case of an employee holding any Group 'D' posts,

(iii) On such occasions as are specified in sub-Regulation (ii) an employee of the Corporation may accept gifts from his personal friends having no official dealing with him, but he shall make a report to the competent authority, if the value of any such gift exceeds:—

(a) Rs. 400 in the case of an employee holding any Group 'A' or 'B' posts;

(b) Rs. 200 in the case of an employee holding any Group 'C' posts; and

(c) Rs. 100 in the case of an employee holding any Group 'D' posts.

(iv) In any other case, an employee of the Corporation shall not accept any gift without the sanction of the competent authority, if the value of the gift exceeds:—

(a) Rs. 150 in the case of an employee holding any Group 'A' or 'B' posts, and

(b) Rs. 50 in the case of an employee holding any Group 'C' or 'D' posts.

(v) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (ii), (iii) and (iv), a Corporation's employee being a member of Indian Delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries, if the market value of gifts received on one occasion does not exceed Rs. 1000. In all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

(vi) A Corporation's employee shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting with the Government of India or is one with which the Corporation employee had/has or is likely to have official dealings. Acceptance of gifts by an employee from any other firm shall be subject to the provisions of sub-regulation (iv).

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

Note:—

The principal Regulations were notified vide No. CWC[XIV-4]Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide Nos:—

1. CWC[XIV-4]Estt. dated 1-4-1987.
2. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-6-1987.
3. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-6-1987.
4. CWC[XIV-4]Estt. dated 29-1-1988.
5. CWC[XIV-4]Estt. dated 24-6-1988.
6. CWC[XIV-4]Rectt. dated 9-6-1989.
7. CWC[XIV-4]Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC[XIV-4]Rectt. dated 15-10-1990.
9. CWC[XIV-4]Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC[XIV-4]Rectt. dated 26-11-1990.
11. CWC[XIV-4]Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC[XIV-4]Rectt. dated 8-2-1991.
13. CWC[XIV-4]Rectt. dated 17-5-1991.
14. CWC[XIV-4]Rectt. dated 4-10-1991.

16/5 Amendment

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रौद्योगिक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1992/वीथ 8, 1914
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1992/PAUSA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ-संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

केन्द्रीय प्रकाशन नियम

(भारत सरकार का उपक्रम)

संघिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1992

सं. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4/भर्ता :—वैद्यरहाजतिग कारपीरेसन अधिनियम, 1962
(1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय

3158 GI/92

(1)

14. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4 रिज्यूट. दिनांक 04-10-91

15. संख्या सी. डब्ल्यू. सी. / 14-4 रिज्यूट. दिनांक 18-12-92

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1992

CWC[XIV-4]Recd.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Sixteenth Amendment) Regulations, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, against serial No. 7 relating to the post of Technical Assistant in the Technical cadre, in Columns 5, 6, 8 and 9, for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

“Non-selection”, “100% by promotion”, “Not applicable” and “not applicable”.

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

NOTE:

The Principal Regulations were notified vide No. CWC[XIV-4]Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:—

1. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 01-04-87
2. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-06-87
3. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-06-87
4. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 29-01-88
5. No. CWC[XIV-4]Estt. dated 24-06-88

6. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 09-06-89
7. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 24-11-89
8. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 19-10-90
9. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 26-10-90
10. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 30-11-90
11. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 21-12-90
12. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 08-02-91
13. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 17-05-91
14. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 04-10-91
15. No. CWC/XIV-4/Rectt dated 18-12-92



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1993/माघ 28, 1914
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1993/MAGHA 28, 1914

इस भाग में मिलने वाले पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय मंत्रालय नियम
(भारत सरकार का उपक्रम)
धर्मसूचना
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1993

सं. सी. इन्फू. सी./14-4/पतौ- वैधरहस्यार्थक नरसिंहराज प्रधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को पूर्ण मंजूरी से केन्द्रीय मंत्रालय नियम एतद्द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय नियम (कर्मचारीयम) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाया है, यथा—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय मंत्रालय नियम (कर्मचारीयम) (सतरहवां संशोधन) विनियम, 1993 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2 केन्द्रीय मंत्रालय नियम (कर्मचारीयम) विनियम, 1986 के विनियम 61 के उपनियम (6) के अन्तर्गत पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

"(6) कर्मचारीयम नियम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से संकेत लेकिन इस प्रयोजन के लिए किसी विधि-व्यवस्था की

नहीं रख सकेगा सिवाए तब के जब अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति विधि-व्यवस्था की हो। निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर्मचारीयम नियम के किसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी की सहायता से संकेत—

- (क) संबंधित कर्मचारी केन्द्रीय मंत्रालय नियम से सेवा-निवृत्त होगा चाहिए।
- (ख) शारीरिक शक्तियों में ऐसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी को नहीं रख सकेगा जो विधि-व्यवस्था की सिवाए तब के जब अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विधि-व्यवस्था की हो।
- (ग) सेवा-निवृत्त कर्मचारी किसी भी रूप में जांच किए जा रहे मामले से संबंध नहीं होना चाहिए।
- (घ) सेवा-निवृत्त कर्मचारी एक समय में जांच से अधिक मामलों में रतन सहायक के रूप में काम न कर रहा हो। उसे जांच अधिकारियों को संतुष्ट करना होगा कि जांच किए जा रहे मामले सहित उनके पास जांच से अधिक नाम नहीं हैं।

सी. सी. रत्नाकर, प्रत्यक्ष (कार्य)

विषयोः—

मुख्य विनियम से. सी. एल्यू. /14-4/स्थापना दिनांक 28-2-1986 द्वारा परिष्कृत किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए हैं—

1. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/स्थापना दिनांक 01-04-87
2. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/स्थापना दिनांक 19-06-87
3. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/स्थापना दिनांक 19-06-87
4. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/स्थापना दिनांक 29-01-88
5. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/स्थापना दिनांक 24-06-88
6. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 09-06-89
7. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 24-11-89
8. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 19-10-90
9. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 26-10-90
10. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 30-11-90
11. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 21-12-90
12. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 08-02-91
13. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 17-05-91
14. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 04-10-91
15. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 18-12-92
16. से. सी. एल्यू. सी. /14-4/पत्रों दिनांक 29-12-92

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A. Govt. of India Undertaking)

11 NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1993

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :

1. (i) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Seventeenth Amendment) Regulations 1993.

(ii) These shall come into force on the date of their publication in official gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 61, for sub-regulation (vi) the following shall be substituted, namely :—

(vi) The employees may take the assistance of any other employee of the Corporation but shall not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner. The employees may also take the assistance of any retired employee of the Corporation subject to the following conditions :—

- (a) the employee concerned should have retired from the service of the Central Warehousing Corporation;
- (b) the charged officer shall not engage such retired employee who is a legal practitioner unless the Presenting Officer nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner;
- (c) the retired employee should not have in any manner been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity; and
- (d) the retired employee should not act as a defence assistant in more than five cases at a time. He shall satisfy the Inquiring Officer that he does not have more than five cases in hand including the case in question."

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

NOTE.—The principal regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated the 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 01-04-87
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-06-87
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-06-87
4. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-01-88
5. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-06-88
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-89
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-89
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-90
9. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-90
10. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-90
11. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-90
12. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 08-02-91
13. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-05-91
14. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 04-10-91
15. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-92
16. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-92.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 1993/अग्रहायण 24, 1915
No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 1993/AGRAHAYANA 24, 1915

केन्द्रीय भंडारण नियम
(भारत सरकार का उपक्रम)
शक्तिचुचन
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1993

शिपणी

1. नुस्य विनियम सी. डब्ल्यू.नो 14-4/स्थापना दिनांक 28-2-86 द्वारा प्रकाशित किए गए एक तत्परवात निम्न द्वारा इसमें संशोधन किया गया :-

सं. के. म. नि. 14/4 भर्ती.—भंडारण नियम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भंडारण नियम एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारियों) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, धर्थात :-

1. इस विनियमों को केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारियों) (17 ववा संशोधन) विनियम 1993 कहा जायेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

केन्द्रीय भंडारण नियम (कर्मचारियों) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-2 में "सामान्य प्रबंध संवर्ग" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या-41 पर (1) सेनियर स्वीकर को पोस्ट से संबंधित कालव 1 एवं 7 में "सेनियर स्वीपर" एवं "स्वीपर" शब्दों के स्थान पर शरिप्ड सफार्ड शाला एवं सफार्ड शाला शब्द प्रतिस्थापित किए जायें। (2) क्रम संख्या -42 पर क्रम 1 में "स्वीपर" शब्द के स्थान पर "सफार्ड शाला" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

डी. जी. एतनाथक, प्रबन्धन-कार्यालय

1. सी डब्ल्यू. सी 14/4/स्थापना दिनांक 01-04-1987
2. सी डब्ल्यू. सी 14/4/स्थापना दिनांक 19-06-1987
3. सी डब्ल्यू. सी 14-4/स्थापना दिनांक 19-6-1989
4. सी डब्ल्यू. सी 14/4/स्थापना दिनांक 29-01-1988
5. सी डब्ल्यू. सी 14/4/स्थापना दिनांक 24-6-1988
6. सी डब्ल्यू. सी 14/4 भर्ती दिनांक 09-06-1989
7. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 24-11-1988
8. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 19-10-1990
9. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक -26-10-1990
10. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सी डब्ल्यू. सी 14/4 भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सी डब्ल्यू. सी 14/4 भर्ती दिनांक 08-02-1991
13. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 17-05-1991
14. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 04-10-1991
15. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सी डब्ल्यू. सी 14/4/भर्ती दिनांक 29-12-1992

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1993

No. CWC[XIV-4]Rectt.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the CWC (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. These regulations may be called the CWC (Staff) (Seventeenth Amendment) Regulations, 1993.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In Appendix-II to the CWC (Staff) Regulations, 1986, under the heading 'General Management ~~and~~ ^{Code}
(i) against Serial No. 41, relating to the post of senior Sweeper, in columns 1 and 7 for the words 'Senior Sweeper' and 'Sweepers' the words 'Senior Safaiwala' and 'Safaiwala' shall respectively be substituted (2) against Serial No. 42 relating to the post of Sweeper,

in Column 1, for the word 'Sweeper' the word 'Safaiwala' shall be substituted.

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

NOTE :

The Principal regulations were published vide No. CWC[XIV-4]Estt. dated 28-2-86 and subsequently amended vide :—

1. CWC[XIV-4]Estt. dated 01-04-1987.
2. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-06-1987.
3. CWC[XIV-4]Estt. dated 19-06-1987.
4. CWC[XIV-4]Estt. dated 29-01-1988.
5. CWC[XIV-4]Estt. dated 24-06-1988.
6. CWC[XIV-4]Rectt. dated 09-06-1989.
7. CWC[XIV-4]Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC[XIV-4]Rectt. dated 19-10-1990.
9. CWC[XIV-4]Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC[XIV-4]Rectt. dated 30-11-1990.
11. CWC[XIV-4]Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC[XIV-4]Rectt. dated 08-02-1991.
13. CWC[XIV-4]Rectt. dated 17-05-1991.
14. CWC[XIV-4]Rectt. dated 04-10-1991.
15. CWC[XIV-4]Rectt. dated 18-12-1992.
16. CWC[XIV-4]Rectt. dated 29-12-1992.

mutual fund scheme etc., if the total transaction during a calendar year exceeds Rs. 50,000 in case of Group 'A' and Group 'B' employees and Rs. 25,000 in case of Group 'C' and Group 'D' employees."

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide number CWC XIV-4/Rectt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :

1. CWC XIV-4/Estt. dated 01-04-1987.
2. CWC XIV-4/Estt. dated 19-06-1987.
3. CWC XIV-4/Estt. dated 19-06-1987.
4. CWC XIV-4/Estt. dated 29-01-1988.

5. CWC XIV-4/Estt. dated 24-06-1988.
6. CWC XIV-4/Rectt. dated 09-05-1989.
7. CWC XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC XIV-4/Rectt. dated 19-10-1990.
9. CWC XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC XIV-4/Rectt. dated 30-11-1990.
11. CWC XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC XIV-4/Rectt. dated 08-02-1991.
13. CWC XIV-4/Rectt. dated 17-05-1991.
14. CWC XIV-4/Rectt. dated 04-10-1991.
15. CWC XIV-4/Rectt. dated 18-12-1992.
16. CWC XIV-4/Rectt. dated 29-12-1992.
17. CWC XIV-4/Rectt. dated 15-12-1993.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रतिष्ठित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 1995/चैत्र, 7, 1917
No. 17] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1995/CHAITRA 7, 1917

केन्द्रीय मंत्रालय नियम
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रसिद्धि
नई दिल्ली, 28 मार्च, 1995

सं. शी. अत. सी./14-4/पत्रों—वेमरुडसिध कर-
पोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय
सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रिय मंत्रालय नियम एतद्-
द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय नियम (कर्मचारियों) विनियम,
1986 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाया
है, यथा:—

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय मंत्रालय नियम (कर्म-
चारियों) (19वाँ संशोधन) विनियम, 1995
कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू
होंगे।

2. केन्द्रीय मंत्रालय नियम (कर्मचारियों) विनियम,
1986 के विनियम 26 के उप विनियम (i) के स्थान पर
निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“(1) (क) जब विशेष वेतन प्राप्त उच्च वेतनमान
के बराबर दिया गया है:—

ऐसे मामले में जब कोई कर्मचारी किसी पद पर विशेष
वेतन ले रहा है तब किसी उच्च पद पर पदोन्नति हो जाने
पर उसका वेतन निम्न पद पर लिए जा रहे विशेष वेतन
की ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि
निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, यथा:—

- (1) निम्न पद पर विशेष वेतन घटाने उच्च वेतनमान
के स्थान पर दिया हुआ होगा चाहिए।
- (2) यदि पदोन्नति की तारीख पर कम से कम तीन
वर्षों का अवधि तक निम्न पद पर विशेष वेतन
का प्राहरण किया गया है तो सामान्य नियमों
के अधीन उच्च पद को वेतन विशेष वेतन को
मूल वेतन के भाग के रूप में मानते
हुए निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में
जहां उच्च वेतनमान के बढ़ने उच्च पद पर
विशेष वेतन का अधिकतम पत्रों के लिए प्राहरण
किया गया तो विशेष वेतन के नाम को पदोन्नति
पर उच्च पद के मूल वेतन के रूप में स्वीकार्य

2-11

माना जाएगा जबतक कि छविगत प्रवृत्ति कुल तीन वर्षों से कम न हो। अन्य मामलों में उच्च पद के टारगेट स्केल में, वेतन निम्न पद के न्यून वेतन के अनुसार (विशेष वेतन को छोड़कर) सामान्य नियमों के पठान निर्धारित किया जाएगा। जहाँ इसके परिणामस्वरूप परिशुद्धियों में गिरावट आएगी, वहाँ इस प्रकार निर्धारित वेतन तथा विशेष वेतन सहित निम्न पद के वेतन के बीच के अंतर को संशुद्धित वेतन है 65 में दिए जाने का अनुपात होगा जिसे भविष्य में वेतन वृद्धिकारियों में प्रामाणिक किया जाएगा।

(3) उपरोक्त (2) में संशुद्धित मामलों में यह भी प्रभावित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी निम्न पद पर विशेष वेतन लेता रहता यदि वह पदोन्नति नहीं होती।

(4) जब विशेष वेतन प्रथम उच्च वेतनमान के बदले नहीं दिया गया है :

ऐसे मामलों में जब कर्मचारी द्वारा निम्न पद पर विशेष वेतन किसी प्रथम उच्च वेतनमान के बदले नहीं दिया गया है, किसी अन्य पद पर पदोन्नति की स्थिति में विशेष वेतन का संरक्षण निम्नलिखित शर्तों के पठान किया जाएगा, प्रवृत्ति :-

(1) श्रुती से पहले किसी विशेष कार्य प्रथम किसी कठिन कार्य के लिए यदि विशेष वेतन प्रदान किया गया है तो उसे पदोन्नति पर संशुद्धित वेतन प्रदान करने सुनिश्चित किया जाएगा। यह संशुद्धित वेतन निम्न पद के वेतन एवं विशेष वेतन तथा निम्न पद के न्यून वेतन के आधार पर उच्च पद पर वेतन के बीच के अंतर के आधार होगा।

(2) यह प्रथम प्रभावित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी विशेष वेतन लेता रहेगा, यदि उसकी नियुक्ति किया अन्य पद पर न होती।

(3) विशेष वेतन का संरक्षण उन्नत प्रवृत्ति के लिए ही दिया जाना चाहिए किन्तु प्रवृत्ति के लिए कर्मचारी विशेष वेतन का आह्वान करता रहे।

(4) संशुद्धित वेतन बाद में मिलने वाला वेतन की वृद्धिकारियों में प्रामाणिक किया जाएगा।

(5) निम्न प्रकार के विशेष वेतन को उच्च पद के वेतन के निर्धारण के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा :-

(क) किसी प्रवृत्ति पद पर आह्वित किया गया विशेष वेतन;

(ख) किन्हीं विशेष स्थानों पर दुरी, अस्वस्थता, अतिसूक्ष्म की कठोरता इत्यादि के कारण की गयी सेवा के लिए प्रदान किया गया

विशेष वेतन जैसे मण्डलान्तर विशेष वेतन, एनए साइन्स विशेष वेतन इत्यादि।

(ग) इनके स्थान पर प्रतिनिधित्व (श्रुती) मत्ता प्रथम विशेष वेतन।

टिप्पणी-1

कर्मचारी, कम्प्यूटिस्ट तथा मशीन ऑपरेटर्स के विशेष वेतन को उच्च वेतनमान के स्थान पर प्रदान किया गया विशेष वेतन नहीं माना जाएगा।

उप नियम (1) के अन्तर्गत (क) के उप अन्तर्गत (ii) के अनुसार उच्च वेतनमान के बदले विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख को न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए निरन्तर आह्वित किया जाना चाहिए, इस तथ्य मूल वेतन का भाग माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब विशेष वेतन बिना किसी व्यवधान के एक से अधिक पद पर एवं उसी संबंध अथवा विभाग में न्यूनतम तीन वर्षों के लिए आह्वित किया गया है तो सम्पूर्ण अवधि की हिसाब में लिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जब विशेष वेतन की माता अलग-अलग पदों पर अलग-अलग होगी तो अलग-अलग पदों में से जिस पद पर सबसे कम विशेष वेतन का आह्वान किया गया है उच्च पद के वेतन के निर्धारण के लिए उसी की गणना की जाएगी।

टिप्पणी-2

I. न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि के लिए निरन्तर विशेष वेतन का आह्वान तथा पदोन्नति न होना तब भी विशेष वेतन के आह्वान का प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के मामले में आवश्यक नहीं होगा जो अलग-अलग वेतनमान के बदले विशेष वेतन के साथ निम्न पद पर कार्य कर रहा होगा। यह श्रुति उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी, जिनका पद किसी संवर्ग में शामिल होगा और जो अलग-अलग वेतनमान के बदले विशेष वेतन नहीं लेते। पद पर कार्य करते हीम संवर्ग में अतिरिक्तियों का नियमन किसी एक पद के विरुद्ध नहीं किया जाता। ऐसे पदों पर तीन वर्ष तक निरन्तर विशेष वेतन का आह्वान करने की शर्त इन मामलों में लागू रहेगी।

II. जब विशेष वेतन उच्च वेतनमान के बदले है तथा कम से कम तीन वर्षों के लिए निरन्तर इतना आह्वान किया गया है तब पदोन्नति न होगी तो भी विशेष वेतन लगातार लिया जाता रहेगा, का प्रमाणपत्र देने की शर्त हट जाएगी। अन्य मामलों में इस तरह का प्रमाणपत्र देना होगा।

III. ऐका ही सजा है कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति विशेष वेतन राशे पद पर तीन वर्ष पूर्ण करने से पहले उच्च पद पर पदोन्नत हो जाता है और वह अपने कनिष्ठ से जो विशेष वेतन दावे पद पर तीन वर्ष पूरे करने के बाद प्रदान होता है, से कम वेतन लेता है। जहाँ ऐसे मामले सामने आयेंगे वहाँ वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख पर उसके वेतन की सीमा तक इसकी बढ़ा दिया जाएगा।

कि कनिष्ठ निम्न पर पर, समय-समय पर रिजर्व में अधिक वेतन नहीं हो रहा था तथा कनिष्ठ एवं बरिष्ठ के निम्न एवं उच्च पर एक ही सर्विस के थे।

टिप्पणी-3 :

ऐसे मामलों में जब विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख से पहले के तीन वर्षों में बढ़ाया गया है वहाँ उच्च पदों पर वेतन के विधायक के उद्देश्य के लिए विशेष वेतन की उस दर को शामिल किया जाएगा जिस दर पर क्रमचारी पदोन्नति से तुरन्त पहले विशेष वेतन का आह्वान कर रहा था वसुधै कि समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार उच्च पद पर वेतन निर्धारण की अन्य बातें पूरी होती हैं।

वी. बी. पटनायक, प्रवक्ता (कार्यिक)

टिप्पणी—मुख्य विनियम अधिसूचना संख्या सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 28-2-1986 द्वारा भारत के राज्यत्व में अधिसूचित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा इनमें संशोधन किया गया :

1. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 1-4-1987
2. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-6-1987
3. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-8-1987
4. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 29-1-1988
5. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-6-1988
6. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-8-1989
7. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 24-11-1989
8. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 19-10-1990
9. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 26-10-1990
10. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 30-11-1990
11. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 21-12-1990
12. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 8-2-1991
13. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 17-5-1991
14. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 4-10-1991
15. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 18-12-1992
16. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 29-12-1992
17. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 15-12-1993
18. सी. डब्ल्यू. सी./14-4/स्थापना दिनांक 8-3-1994

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1995

No. CWCXIV-4/RECTT.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Nineteenth Amendment) Regulations, 1995.

- (2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 26, for sub-regulation (i), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

- (i)(a) When the special pay is in lieu of a separate higher scale of pay :—

In a case where an employee is in receipt of a special pay in a post, his pay on promotion to a higher post, shall be fixed after taking into account the special pay drawn in the lower post subject to the following conditions, namely :—

- (i) The special pay in the lower post should have been granted in lieu of a separate higher scale of pay.

- (ii) If the special pay has been drawn in the lower post continuously for a minimum period of three years on the date of promotion, the pay in the higher post shall be fixed under the normal rules, treating the special pay as part of basic pay. In cases where the special pay in lieu of higher scale of pay as been drawn in the same post for broken periods, the benefit of special pay being treated as part of basic pay on promotion to a higher post shall be admissible provided the total of the broken periods taken together is not less than three years. In other cases, the pay in the time scale of the higher post shall be fixed under the normal rules, with reference to the basic pay drawn in the lower post (excluding the special pay); where this results in drop in emoluments, the difference between the pay so fixed and the pay plus special pay drawn in the lower post shall be allowed in the form of personal pay to be absorbed in future increases of pay.

- (iii) In cases referred to in sub-clause (ii) it should be certified that the employee would have continued to draw the special pay in the lower post but for the promotion.

- (b) When the special pay is not in lieu of a separate higher scale of pay :—

In a case, where the special pay drawn by an employee in the lower post is not in lieu of a separate higher scale, protection of special pay on promotion to another post shall be subject to the following conditions, namely :—

- (i) The special pay granted for specific additions to duty or for arduous nature of work shall be protected on promotion by granting a personal pay equal to the difference between pay plus special pay drawn in the lower post and the pay due in the higher post on the basis of the basic pay in the lower post.
- (ii) It must be certified that but for his appointment to the other post, the employee would have continued to draw special pay.
- (iii) The protection shall only be for so long as the employee could have continued to draw the special pay.
- (iv) The personal pay shall be absorbed in subsequent increases of pay.
- (v) The following types of special pay shall not be taken into account for fixation of pay in the higher post :—
 - (a) special pay drawn in a tenure post;
 - (b) special pay granted for service in particular localities on account of remoteness, unhealthiness, severity of climate, etc., like Andaman Special Pay, Inner Lines Special Pay etc.
 - (c) Deputation (Duty) Allowance or special pay drawn in lieu thereof.

NOTE 1:—

Special pay of Cashiers, Clerks and Machine Operators shall not be treated as special pay in lieu of a higher scale of pay.

According to sub-clause (ii) of clause (a) of sub-regulation (i), the special pay in lieu of a higher scale should have been drawn continuously for a minimum period of three years on the date of promotion for it to be treated as part of basic pay. It is clarified that where such special pay has been drawn for a minimum period of three years without break in more than one post within the same cadre or department, the total period shall be taken into account. In cases where the quantum of special pay varies in different posts, the least of the special pay drawn in different posts shall be taken into account for the purpose of fixation of pay in the higher post.

NOTE 2:—

I. The condition of special pay having been drawn continuously for a minimum period of three years as well as the certificate of continued drawal of special pay but for promotion should not be insisted upon in the case of a person holding

substantively the lower post carrying special pay in lieu of a separate higher scale. This exemption shall not be available to employees with substantive position in a cadre and holding a post carrying a special pay in lieu of a separate higher scale in the cadre as confirmation of officers in the cadre is not made against individual post. The condition of drawal of special pay in such posts continuously for not less than three years shall be applied in those cases.

II. The certificate of continued drawal of special pay but for promotion in cases, where special pay is in lieu of a higher scale of pay and has been drawn continuously for at least three years, shall be dispensed with. In other cases, such a certificate shall be insisted upon.

III. It may happen that a senior person promoted to the higher post before completing three years in the special pay post draws less pay than his junior who is promoted after completing three years in the special pay post. Where such cases occur, the pay of the senior shall be stepped up to the level of pay of the junior from the date of promotion of the latter, provided the junior was not drawing a higher pay than the senior from time to time in the lower post and the lower and higher posts held by the junior and the senior belong to the same cadre.

NOTE 3:—

In cases where the special pay in respect of the same post has been enhanced during the preceding three years of the date of promotion, the rate of special pay to be taken into account for purpose of fixation of pay in the higher posts, shall be the one drawn immediately before the date of promotion, subject to the fulfilment of other conditions governing fixation of pay in the higher post, as laid down in various orders issued from time to time."

B. B. PATANAIK, Personnel Manager

Note —The principal regulations were notified in the Gazette of India vide Notification No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-02-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988.
6. CWC[XIV-4]Rectt. dated 9-6-1989.
7. CWC[XIV-4]Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC[XIV-4]Rectt. dated 19-10-1990.
9. CWC[XIV-4]Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC[XIV-4]Rectt. dated 30-11-1990.
11. CWC[XIV-4]Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC[XIV-4]Rectt. dated 8-2-1991.
13. CWC[XIV-4]Rectt. dated 17-5-1991.
14. CWC[XIV-4]Rectt. dated 4-10-1991.
15. CWC[XIV-4]Rectt. dated 18-12-1992.
16. CWC[XIV-4]Rectt. dated 29-12-1992.
17. CWC[XIV-4]Rectt. dated 15-12-1993.
18. CWC[XIV-4]Rectt. dated 8-3-1994.

REGD. NO. D.L. 33004/93

REGD. NO. D.L. 33004/93



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1995/अग्रहायण 1, 1917
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 1995/AGRAHAYANA 1, 1917

केन्द्रीय मंत्रालय विभाग
(भारत सरकार का उत्तरदायित्व)

पब्लिशिंग

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1995

नं. सी. डब्ल्यू. सी. 114-4/अर्ध-सै.—रिपब्लिकन कारपोरेटन एक्टिविटीयम, 1962 (1962 का 58) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत कर्तव्य तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण स्वीकृति से केन्द्रीय मंत्रालय विभाग (कर्मचारियों) विनियम, 1985 में संशोधन कर केन्द्रीय मंत्रालय विभाग निम्नलिखित विनियम बनाना है, अर्थात्:—

1. 1.1 इन विनियमों से केन्द्रीय मंत्रालय विभाग (कर्मचारियों) (विलया संगीत) विनियम, 1985 को अणुका 1
- (2) से विनियम अन्तर्गत में शोषित होने को आरोध से लागू होगी।

2. "सामान्य प्रबन्ध कर्मा" शीर्षक के अधीन केन्द्रीय मंत्रालय विभाग (कर्मचारियों) विनियम, 1985 के परिच्छेद-11 में "कापी लिटर" के पद में संशोधित क्रम सं 52 का इनको प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम में, एवं प्रविष्टियां जोड़ी जाएं प्रमाणित:—

नं. का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	न्यूनतम पद है धरणा नैट रजत पं.	पदों की पद्धति	गठन/प्रतिनिधित्व द्वारा को बना के वे जिन को/के/के ज्ञानी है
1	2	3	4	5	6	7
50 उप-प्रबन्ध रिप्टी 1	नएट "र"	1	3450-140- 4570-150- 5470 रु. (आई. टी. ग.) 3600-105- 3500-125- 4500 रु. (नै. डी. ए.)	नएट	प्रोबि. धरणा प्रतिनिधित्व एवं म्यान्वेलिंग द्वारा, दोनों ही स्थितियों में उच्च- न्यूनतम होने पर मोटो यार्ड द्वारा	नैटिने : 3 वर्ष की निर्दिष्ट सेवा सर्वे परिसर संरक्षण प्रबन्ध (रिप्टी) प्रतिनिधित्व (र) (1) सफल पद पर कार्य कर रहे मार्क- नरिख संस्थाओं से उत्सुकता प्रविष्टियों प्रयत्न

8	9	10	11
मौखी शर्तें :	35 वर्ष	सामू-नहीं	हूँ
(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री प्राप्त समतुल्य डिग्री घरवा			
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में तथा अंग्रेजी में मास्टर डिग्री घरवा समतुल्य डिग्री घरवा			
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर विषयों के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री घरवा समतुल्य डिग्री। घरवा			
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में तथा किसी विषय में मास्टर डिग्री घरवा समतुल्य डिग्री जिसे हिन्दी माध्यम से पढ़ा गया हो। घरवा			
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर हिन्दी एक विषय के रूप में तथा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री घरवा समतुल्य डिग्री जिसे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा गया हो। घरवा			
(2) हिन्दी में तकनीकी शब्दावली का तथा/घरवा अंग्रेजी से हिन्दी का एवं हिन्दी से अंग्रेजी का पांच वर्ष का अनुवाद का अनुभव जिसके लिए तकनीकी घरवा वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की श्रेयता दी जाएगी। घरवा			
विशेष, अनुसंधान, हिन्दी में लेखन घरवा पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव। संश्लेष :			
(1) संस्कृत घरवा किसी प्राथमिक स्तर का ज्ञान।			
(2) प्रकाशित अनुभव			
(3) हिन्दी-कलाएं घरवा टिप्पण एवं चर्चा के लिए कार्यक्षमता धारित करने का अनुभव।			

1	2	3	4	5	6	7
55. सहायक प्रबन्धक समूह "ख" (हिन्दी)		4	2500-120-4300 रु. (घरवा, सी. ए.)	बचन	प्रोव्रति	प्रोव्रति हिन्दी अनुवादक जिम्मेदार रूप पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो :
56. हिन्दी अनुवादक समूह "ख"		16	1890-65-2085-80-2885-95-3360 रु. (घरवा, सी. ए.)	बचन	100 % सीधी शर्तें	सामू नहीं

8	9	10	11
<p>नाम नहीं</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में उपाधि स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी में मुख्य विषय सहित हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।</p> <p align="center">घषवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय सहित किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसे हिन्दी माध्यम में पढ़ा एवं परीक्षा दी हो।</p> <p align="center">घषवा</p> <p>हिन्दी एवं अंग्रेजी मुख्य विषय सहित स्नातक, शिर्षकवशा दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो तथा हिन्दी में अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/कोर्स घषवा भारत सरकार के उपक्रमों/केंद्र/राज्य सरकार के कार्यक्रमों में हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।</p>	<p>नाम नहीं</p> <p>25 वर्ष</p>	<p>नाम नहीं</p> <p>नाम नहीं</p>	<p>एन्य</p> <p>एन्य</p>

आमान्य प्रमुख संघों में हिन्दी पश्चिमी एवं हिन्दी अनुवादक के पद से संबंधित भ्रम सं. 19 एवं 25 तथा इनकी प्रतिक्रियाएं दृष्ट की जाएंगी।

[सं. सी. डब्ल्यू. सी./XIV-4/हिन्दी/पती]
 सी. प्रो. पटनापक, प्रमुख (कार्य)

टिप्पणी :- मुख्य नियम सं. सी. डब्ल्यू. सी./12-2 स्वा. दिनांक 28-2-1986 द्वारा भारत के राजपत्र (प्रमाण) भाग--3 खण्ड--4 में परिष्कृत किये गये ये नया उत्पन्न निम्नलिखित तालिकाओं/पत्रों में दिए गए

1. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 1-3-87
2. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 13-6-87
3. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 19-6-87
4. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक दिनांक 29-1-88
5. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 24-6-88
6. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 2-8-89
7. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 24-11-89
8. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 19-10-90
9. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 26-10-90
10. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 30-11-90
11. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 21-12-90
12. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 8-2-91
13. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 17-5-91
14. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 4-10-91
15. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 13-13-1992
16. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 29-12-1992
17. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 15-12-1993
18. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 8-3-1994
19. सी. डब्ल्यू. सी. 14-4 स्वा. दिनांक 28-2-1995

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1995

No. CWC/XIV-4/Rectt. In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twentieth Amendment) Regulations, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, under the heading "General Management Cadre",—

after serial number 52 relating to the post of Copy Holder and entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

Name of the post	Classification	Number of posts	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Method of Recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation posts from which to be made
1	2	3	4	5	6	7
Sr. Deputy Manager (Hindi)	Group 'A'	1	Rs. 3450-140-4570-150-5470 (IDA) Rs. 3000-100-3500-125-4500 (CDA)	Selection	Promotion failing which by transfer on deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion: Senior Assistant Manager (Hindi) with five years regular service in the post. Deputation: (a) (i) Suitable Officers from Public Institutions holding analogous posts; OR (ii) With 5 years service in a post equivalent to Senior Assistant Manager (Hindi) in a Corporation. OR (iii) with 8 years service in a post equivalent to Assistant Manager (Hindi) in a Corporation. AND (b) Possessing the educational qualification and experience laid down for direct recruitment for the post of Deputy Manager (Hindi) (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).

1	2	3	4	5	6	7
54. Senior Assistant Manager (Hindi)	Group 'A' 1	Rs. 2650-120-3330-130-4850 (IDA) Rs. 2200-75-2800-100-4000 (CDA)	Selection	Promotion falling which by transfer or deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion Assistant Manager (Hindi) with five years regular service in the post. Deputation: (a) (i) Suitable Officers from Public Enterprises holding analogous posts; OR (ii) With five years service in a post equivalent to Assistant Manager (Hindi) in a Corporation. AND (b) Possessing the educational qualification and experience laid down for direct recruitment for the post of Senior Assistant Manager (Hindi) (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	
55. Assistant Manager (Hindi)	Group 'B' 4	Rs. 2500-120-4500 (IDA)	Selection	Promotion	Promotion: Hindi Translators with 5 years regular service in the post.	
56. Hindi Translator	Group 'C' 16	Rs. 1890-65-2085-80-2885-95-3360 (IDA)	Selection	100% by direct recruitment.	Not applicable.	

8	9	10	11
Educational and other qualifications required for direct recruitment	Age limit for direct recruitment	Whether age limit and other qualifications will apply to promotees.	Remarks
53. Direct Recruitment: (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level. OR	40 years	Not applicable.	Nil

	8	9	10	11
<p>Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level;</p> <p>(ii) 5 years experience of terminological work in Hindi and/or translation from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.</p> <p>OR</p> <p>5 years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Knowledge of Sanskrit or modern Indian Language.</p> <p>(ii) Administrative Experience.</p> <p>(iii) Experience of organising Hindi Classes or workshops for noting and drafting.</p>				
54. Direct Recruitment		35 years	Not applicable	Nil
<p>(i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level;</p> <p>(ii) 5 years experience of terminology work in Hindi and or translation from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.</p> <p>OR</p> <p>5 years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Knowledge of Sanskrit or a modern Indian Language.</p> <p>(ii) Administrative Experience.</p> <p>(iii) Experience of organising Hindi Classes or workshops for noting and drafting.</p>				
55. Not applicable.		Not applicable	Not applicable	Nil
<p>56. Master's degree of a recognised University in Hindi/English with English/Hindi as a main subject at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi as the medium of instructions and examination with English as a compulsory subject at degree level;</p> <p>OR</p>		28 years	Not applicable	Nil

8	9	10	11
Bachelor's degree with Hindi and English as main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma Certificate Course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government Offices including Government of India Undertakings.			

(3) Serial numbers 19 and 25 relating to the posts of Hindi Officer and Hindi Translator and entries relating thereto shall be omitted

[No. CWC/XIV-4/Hindi/Rectt.]
B.B. PATTANAIK, Personnel Manager

Note:- The principal regulations were notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-2-1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-5-1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 4-10-1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-3-1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-3-1995.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]
No. 15]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 1996/ ज्येष्ठ 1, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 1996/ JYAISTHA 1, 1918

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1996

सं० सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/भर्ती.—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) इकीसवां संशोधन विनियम, 1996 कहा जाएगा।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 9, उप-विनियम (ख) में—
(क) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“(ii) परिशिष्ट-II में उपदर्शित चयन पदों के संबंध में प्रोन्नति केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर समान चयन पदों के लिए जारी आदेशों में यथा आवश्यक परिशर्तों सहित निर्धारित कार्यविधि के अनुसार एवं निदेशक मंडल द्वारा इसके अंगीकार किए जाने के पात्रता की जाएगी।”

(ख) खण्ड-(iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“(iii) सभी प्रोन्नतियों पर इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।”

बीबी फटनायक, प्रबन्धक (प्राधिकार)

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड-4 दिनांक 28-2-1986 संख्या सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्थापना द्वारा अधिसूचित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सं० सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 01-04-1987
2. सं० सी० डब्ल्यू० सी०/14-4/स्था० दिनांक 19-06-1987

3. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/स्या दिनांक 19-06-1987
4. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/स्या दिनांक 29-01-1988
5. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/स्या दिनांक 24-06-1988
6. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 9-6-1989
7. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 19-10-1990
9. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 8-2-1991
13. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 17-5-1991
14. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 4-10-1991
15. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 29-12-1992
17. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 15-12-1992
18. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 18-3-1994
19. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 28-3-1995
20. सं० सी० डब्ल्यू सी०/14-4/भर्ती दिनांक 22-11-1995

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1996

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the prior sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty First Amendment) Regulations, 1996.
- (ii) These shall come into force on the date of publication in the official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 9, in sub-regulation (B)—
 - (a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ii) Promotion in respect of selection posts specified in Appendix-II shall be made *mutatis mutandis* as per procedure prescribed in the instructions issued by the Central government from time to time for its corresponding selection posts after their adoption by the Board of Directors”;
 - (b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(iii) All promotions shall be considered by a Selection Committee duly constituted by the Appointing Authority”.

B.B. PATTANAIK, Personnel Manager

Foot Note :—The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4/Estt. in the Gazette of India Extraordinary Part-III Section 4 dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987
2. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
3. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
4. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988
5. No. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988
6. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989
7. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-1990

9. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990
10. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-1990
11. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990
12. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-2-1991
13. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-5-1991
14. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 4-10-1991
15. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-1992
16. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-1992
17. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-1992
18. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-3-1994
19. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-3-1995
20. No. CWC/XIV-4/Rectt. dated 22-11-1995

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]
No. 24]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 1998/ज्यैष्ठ 7, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 1998/JYAISTHA 7, 1920

केन्द्रीय भण्डार निगम
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मई, 1998

संख्या के.भ.नि./14-4/भर्ती.—वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) 22वां संशोधन विनियम, 1998 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 21 के उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

"21. अधिवर्षिता एवं सेवा-निवृत्ति—(1) निगम की सेवा में नियुक्त निदेशक मण्डल स्तर से नीचे का प्रत्येक कर्मचारी उस मास के जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु कोई कर्मचारी जिसके जन्म की तारीख मास का पहला दिन है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन सेवा से निवृत्त होगा।

परन्तु यह और कि किसी भी कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति की 60 वर्ष की आयु से ऊपर सेवावृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(1-क) उपविनियम (1) उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) 22वां संशोधन विनियम, 1998 लागू होने की तारीख को निगम की सेवा में सेवावृद्धि पर होगा।"

[विज्ञापन/III/IV/103/98]

आई. सी. चड्ढा, कार्यालय प्रबंधक (प्रभारी)

पाद टिप्पणी :—मुख्य विनियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड-4 दिनांक 28-2-1986 संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना द्वारा अधिसूचित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 01-04-1987	12.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 08-02-1991
2.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 19-06-1987	13.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 17-05-1991
3.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 19-06-1987	14.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 04-10-1991
4.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 29-01-1988	15.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 18-12-1992
5.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. दिनांक 24-06-1989	16.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 29-12-1992
6.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 09-06-1989	17.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 15-12-1992
7.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 24-11-1989	18.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 18-03-1994
8.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 19-10-1990	19.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 28-03-1995
9.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 26-10-1990	20.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 22-11-1995
10.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 30-11-1990	21.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 30-04-1996
11.	सं. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती. दिनांक 21-12-1990		

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 1998

No.CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Twenty-Second Amendment Regulation, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation, (Staff) Regulations, 1986, in regulation 21 for sub-regulation (i), the following shall be substituted, namely :—
- "21. Superannuation and retirement.—(i) Every employee below board level appointed to the service of the Corporation shall retire on the last day of the month in which he/she attains the age of sixty years :
Provided that an employee whose date of birth is the first of the month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years :
Provided further that no employee shall be granted extension in service beyond the age of retirement of sixty years .
(i-A) Sub-regulation (i) shall not be applicable to an employee who is on extension in service of the Corporation on the date of the commencement of the Central Warehousing Corporation, (Staff) Twenty-second Amendment Regulation, 1998."

[ADVT/III/IV/103/98]

I. C. Chadda, Personnel Manager (I/c)

Foot Note.— The Principal Regulations were notified vide No. CWC/XIV-4 Estt. dated 28-2-86 and subsequently amended vide :-

1.	CWC/XIV-4/ESTT. dated 01-04-87	11.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 21-12-90
2.	CWC/XIV-4/ESTT. dated 19-06-87	12.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 08-02-91
3.	CWC/XIV-4/ESTT. dated 19-06-87	13.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 17-05-91
4.	CWC/XIV-4/ESTT. dated 29-01-88	14.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 04-10-91
5.	CWC/XIV-4/ESTT. dated 24-06-88	15.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 18-12-92
6.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 09-06-89	16.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 29-12-92
7.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 24-11-89	17.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 15-12-92
8.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 19-10-90	18.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 18-03-94
9.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 26-10-90	19.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 28-03-95
10.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 30-11-90	20.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 22-11-95
		21.	CWC/XIV-4/RECTT. dated 30-04-96

गजट्टो सं. डी. एल. 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1999/वैशाख 6, 1921
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1999/VAISAKHA 6, 1921

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1999

सं. के. भ. नि./14-4/भती.—वे.अ.हा.उ.सिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) को धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :

- (I) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) (23वां संशोधन) विनियम, 1999 कहा जाएगा।
(II) ये विनियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू लगे।
- केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 32 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—
“(1) कर्मचारी एक वर्ष में पूरे वेतन पर 8 दिन तक आकारिष्क छुट्टी के लिए पात्र होगा।”

ओ. प्र. भारती, प्रबंधक (कार्यिक)

नोट : मुख्य विनियम दिनांक 28-2-1986 की संख्या के.भ. नि./14-4/स्था. द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए :—

- के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 1-4-87
- के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
- के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 19-6-87
- के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 29-1-88
- के. भ. नि./14-4/स्था. दिनांक 24-6-88
- के. भ. नि./14-4/भती. दिनांक 9-6-89
- के. भ. नि./14-4/भती. दिनांक 24-11-89
- के. भ. नि./14-4/भती. दिनांक 19-10-90
- के. भ. नि./14-4/भती. दिनांक 26-10-90
- के. भ. नि./14-4/भती. दिनांक 30-11-90

11. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 21-12-90
12. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 8-2-91
13. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 17-5-91
14. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 4-10-91
15. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 18-12-92
16. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 29-12-92
17. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 15-12-92
18. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 18-3-94
19. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 28-3-95
20. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 22-11-95
21. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 30-4-96
22. के. प. नि./14-4/भती, दिनांक 28-5-98

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1999

No. CWC/XIV-4/RECTT.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations 1986, namely :—

1. (I) These regulations may be called the Central Warehousing (Staff) (23rd Amendment) Regulations, 1999.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 in regulation 52, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—
“(1) An employee shall be eligible for casual leave to the extent of eight days on full pay in a year.”

O. P. BHARATI, Personnel Manager

NOTE.—The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-1-87
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-87
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-88
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-88
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-89
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-89
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-90
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-90
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-90
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-90
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 08-02-91
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-05-91
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 04-10-91
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-92
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-92
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-92
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-03-94
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-03-95
20. CWC/XIV-4/Rectt. dated 22-11-95
21. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-04-96
22. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-05-98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]
No. 56]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 1999/आषाढ़ 9, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 1999/ASADHA 9, 1921

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1999

सं. : के.भ.नि./14-4/भर्ती.—बेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भंडारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

(1) इन विनियमों को केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) (चौथीसवां संशोधन) विनियम, 1999 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम-40 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

"40 क" कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम।

(i) कोई कर्मचारी कार्य स्थान पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा।

(ii) प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जो कार्य स्थान का प्रभारी है, ऐसे उचित उपाय करेगा कि कार्य स्थान पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न न हो।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के उद्देश्य के लिए यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष अथवा सांकेतिक रूप में यौन इरादे से किया गया अश्लील व्यवहार शामिल है, जैसे :-

- (क) शारीरिक संस्पर्श तथा छेड़छाड़;
(ख) यौन सम्पर्क के लिए कहना अथवा अनुरोध करना;
(ग) यौन संबंधी टिप्पणी करना;
(घ) अश्लील चित्र दिखाना; अथवा
(ङ) यौन युक्त कोई भी अश्लील शारीरिक, मौखिक अथवा अश्लील आचरण।

ओ. प्र. भारती, प्रवक्ता कार्मिक

टिप्पणी :- मुख्य विनियम दिनांक 29-2-1986 की सं. के. भ. नि./14-4/स्था द्वारा भाग-III खण्ड-4 में प्रकाशित हुए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए :-

1. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 01-04-87
2. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 19-06-87
3. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 19-06-87
4. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 29-01-88
5. के.भ.नि./14-4—स्थापना दिनांक 24-06-88
6. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 09-06-89
7. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 24-11-89
8. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 19-10-90
9. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 26-10-90
10. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 30-11-90
11. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 21-12-90
12. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 08-02-91
13. के.भ.नि./14-4—भर्ती दिनांक 17-05-91

14. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 04-10-91
15. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 13-12-92
16. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 29-12-92
17. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 15-12-92
18. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 18-03-94
19. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 28-03-94
20. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 22-11-95
21. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 30-04-96
22. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 28-05-98
23. के.प.नि./14-4—पती दिनांक 26-04-99

Explanation :—For the purpose of this regulation, 'sexual harassment' includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, as —

- (a) Physical contact and advances;
- (b) a demand or request for sexual favours;
- (c) sexually coloured remarks;
- (d) showing any pornography; or
- (e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature."

O. P. BHARATI, Personnel Manager

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide number CWC/XIV-4/Estt dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1999.


NO.CWC/XIV-4/RECTT.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely :—

- (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (24th Amendment) Regulations, 1999.
 - (2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, after regulation 40, the following regulation shall be inserted, namely :—

"40A : Prohibition of sexual harassment of working women :—

- (i) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.
- (ii) Every employee who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 01-04-87
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-06-87
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-06-87
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-01-88
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-06-88
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09-06-89
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-89
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 19-10-90
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-90
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-90
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-90
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 08-02-91
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-05-91
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 04-10-91
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-92
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-92
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-12-92
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-03-94
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-03-94
20. CWC/XIV-4/Rectt. dated 22-11-95
21. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-04-96
22. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-05-98
23. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-04-99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2002/अग्रहायण 14, 1924

No. 254]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2002/AGRAHAYANA 14, 1924

केन्द्रीय भण्डारण नियम

(भारत सरकार का उद्देश्य)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2002

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण नियम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्

- (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 2002 (पच्चीसवां संशोधन) कहा जाएगा ।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 (जिन्हें यहां बाद में कथित विनियम कहा गया है) के विनियम 59 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रति-संस्थापित किया जाएगा:-

“ 59 शास्तियां-

निगम के किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां जो यहां आगे दी गई हैं, उसके द्वारा किए गए अवचार या किसी अन्य ठीक तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी:-

छोटी शास्तियां

- (i) परिनिन्दा ;
- (ii) पदोन्नति रोकना ;
- (iii) उपेक्षा अथवा आदेश भंग के कारण निगम को पहुंचाई गई किसी घन संबंधी हानि की उसकी वेतन से पूर्णतः अथवा आंशिक वसूली ;
- (iv) (क) बिना किसी संचयी प्रभाव के वेतन के टाइम-स्केल में निम्नतम प्रक्रम पर अवनति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो और कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
- (v) वेतनवृद्धियां रोकना ।

मुख्य शास्तियां

- (vi) खण्ड (iv)(क) के प्रावधानों को छोड़कर एक निर्धारित अवधि के लिए वेतन के टाइम स्केल के निम्नतम प्रक्रम पर इन निदेशों के साथ अवनति कि निगम का कर्मचारी इस अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा अथवा नहीं तथा इस अवनति से उसकी भविष्य की वेतनवृद्धियां स्थगित की जायेगी अथवा नहीं ;
- (vii) टाइम स्केल के निम्नतम प्रक्रम ग्रेड/पद अथवा सेवा में अवनति जो कि निगम के कर्मचारी के वेतन के टाइम-स्केल, ग्रेड, पद अथवा सेवा से की गई थी, में पदोन्नति पर प्रतिबंध तथा ये निर्देश देना कि उस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा जिससे उसकी अवनति की गई थी, को पुनः स्थापित किया जायेगा अथवा नहीं तथा ग्रेड, पद अथवा सेवा की पुनः स्थापना पर उन्हें वरिष्ठता दी जायेगी अथवा नहीं ।
- (viii) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति
- (ix) सेवा से हटाना जो कि निगम में भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी
- (x) सेवा से पदच्युति जो कि निगम में भावी नियोजन के लिए सामान्यतया निरर्हता होगी ;

संबंधित मामले में ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति पाया जाना अथवा कानूनी पारिश्रमिक को छोड़कर कोई सरकारी कार्य करने अथवा न करने के लिए किसी व्यक्ति से कोई परितोषण स्वीकार करना, प्रमाणित होने पर खण्ड (ix) एवं (x) में उल्लिखित शास्तियां दी जायेगी ।

यह भी कि किसी अपवादित मामले में लिखित में विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति भी दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के अर्थ में शास्ति की श्रेणी में निम्नलिखित नहीं आयेंगे;

- (i) निगम के कर्मचारी की सेवा अथवा पद अथवा उसकी नियुक्ति शर्तों से संबंधित नियम अथवा आदेशों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण वेतनवृद्धि रोकना ;
 - (ii) दक्षतारोध को पार करने के लिए कर्मचारी की अयोग्यता के आधार पर टाइम रकैल में दक्षता रोध पर रोक ;
 - (iii) निगम के किसी कर्मचारी को चाहे वह नियमित अथवा परिवीक्षा अवधि में है, किसी सेवा, ग्रेड अथवा पद पर जिसके लिए वह पात्र है, पर विचार करने के पश्चात् पदोन्नति न करना।
 - (iv) निगम के कर्मचारी का उसके आचरण के अतिरिक्त किसी प्रशासनिक कारण से अनुपयुक्त समझे जाने पर उच्च सेवा, ग्रेड अथवा पद से उसे निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद पर प्रत्यावर्तन।
 - (v) निगम का कर्मचारी जिसे परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, ग्रेड तथा पद पर नियुक्त किया गया हो, परिवीक्षा के लिए लागू नियुक्ति की शर्तों अथवा नियमों तथा आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के दौरान अथवा परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी सेवा, ग्रेड तथा पद से प्रत्यावर्तन।
 - (vi) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण से आदत सेवा के कर्मचारी की सेवाओं को प्रतिस्थापित करते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण को लौटाना।
 - (vii) अधिवर्षिता अथवा सेवा निवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार निगम के कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना।
 - (viii) सेवा की समाप्ति
- (क) परिवीक्षा पर नियुक्त निगम के कर्मचारी की परिवीक्षा-अवधि के दौरान अथवा उसके अन्त में नियुक्ति की शर्तों अथवा ऐसी परिवीक्षा के विनियमों और आदेशों के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करना।
 - (ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 20 के प्रावधानों के अनुसार निगम की कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करना अर्थात्
 - (ग) किसी करार के अधीन नियुक्त निगम के कर्मचारी को ऐसे करार के अधीन उनकी सेवाओं की समाप्ति।

3. कथित विनियमों में विनियम 61 में-

(क) उप विनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

“(ii) तब भी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के किसी अभ्याशेपण की सत्यता की जांच का आधार बनता है तो वह उसकी जांच करेगा अथवा इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए विभागीय जांच हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित शुल्क तथा शर्तों के अनुसार किसी लोक सेवक अथवा निगम के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी जिसका स्तर प्रबन्धक से कम न हो अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार किसी सेवा निवृत्त अधिकारी जो कि उप सचिव से कम स्तर का न हो, जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जिसे यहाँ बाद में जांच प्राधिकारी कहा गया है।”

ख) उप-विनियम (vi) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

(vi) (क) कर्मचारी निगम के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकेगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी को नहीं रख सकेगा, सिवाए तब के जब निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति विधिक व्यवसायी न हो-

(क) कर्मचारी जांच स्तर या अन्यथा अपनी सरकारी हैसियत में मामले से किसी भी प्रकार संबंधित न हो,

(ख) कर्मचारी एक ही बार में तीन से अधिक मामलों में बचाव सहायक के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा वह जांच प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा कि उनके पास इस मामले सहित तीन से अधिक मामले नहीं हैं।

ख) कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निगम के किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की सहायता ले सकेगा अर्थात्:

क) संबंधित कर्मचारी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका हो

ख) आरोपित कर्मचारी ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को नहीं लगा सकेगा जो विधिक व्यवसायी हो, जब तक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एक विधिक व्यवसायी न हो।

ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी जांच स्तर या अन्यथा अपनी सरकारी हैसियत में मामले से किसी भी तरह संबंधित न रहा हो।

घ) सेवानिवृत्त कर्मचारी एक ही बार में पाँच से अधिक मामलों में बचाव सहायक के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा तथा वह जांच प्राधिकारी को यह संतुष्ट करेगा कि उनके पास इस मामले सहित पाँच से अधिक मामले नहीं हैं।

4. कथित विनियमों में, विनियम-63 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा अर्थात्-

“63 क, सेवानिवृत्ति के बाव अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रक्रिया

i) यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान चाहे यह अनुशासनिक सेवानिवृत्ति से पूर्व या पुनः नियुक्ति के दौरान शुरू की गई हो तो यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी तथा इसे उसी प्राधिकारी द्वारा तथा उसी विधि से अन्तिम रूप दिया जाएगा, मानो कि कर्मचारी सेवारत रहा था।

(ii) अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारी निगम को हुई धनहानि के पूरे अथवा भाग की वसूली के लिए ग्रेच्युटी के भुगतान को रोक सकता है बशर्ते कि कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही में उस अपराध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है, जो कि ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के संगत प्रावधानों में उल्लिखित हैं अथवा प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः रोजगार सेवा सहित सेवा अवधि के दौरान कदाचार अथवा उपेक्षा के कारण निगम को हुई धन हानि के लिए भी ऐसा किया जा सकता है यदि कर्मचारी पूर्णतया आरोपमुक्त हो जाता है तो देरी से हुए भुगतान के मामले में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।

6. क्रम सं. 4 एवं इसकी प्रविष्टियों के लिए कथित विनियमों के परिशिष्ट-I में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्-

क्रम सं०	पद	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड लगाने के लिए प्रबन्ध प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी	
			प्राधिकारी	वण्ड		
1	2	3	4	5	6	7
4	समूह “क” अधिकारी	प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	सभी	कार्यकारी समिति	निदेशक मण्डल

श्री. बी. पटनायक, प्रबन्धक कार्मिक

[विज्ञापन III/IV/103/2022/असा.]

टिप्पणी : मुख्य विनियम 28.2.1986 की संख्या के.भ.नि./14-4/स्था.द्वारा भाग-III खंड-4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए:-

1. के.भ.नि./xiv-4/एस्ट दिनांक 01.04.1987

2. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 19.06.1987
3. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 19.06.1987
4. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 29.01.1988
5. के.भ.नि./xiv -4/एस्ट दिनांक 24.06.1988
6. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 09.06.1989
7. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 24.11.1989
8. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 15.10.1990
9. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 26.10.1990
10. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 30.11.1990
11. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 21.12.1990
12. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 8.2.1991
13. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 17.5.1991
14. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 4.10.1991
15. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 18.12.1992
16. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 29.12.1992
17. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 17.2.1993/15.12.93
18. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 8.3.1994
19. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 28.3.1995
20. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 14.11.1995
21. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 30.4.1996
22. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 28.5.1998
23. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 19.4.1999
24. के.भ.नि./xiv -4/रिक्रूट दिनांक 10.6.1999

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2002

No. CWC/XIV-4/Rectt.— In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (25th Amendment) Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said Regulations) for regulation 59, the following regulation shall be substituted, namely:-

“59 Penalties –

The following penalties may be imposed on an employee of the Corporation for any good and sufficient reasons namely:-

Minor Penalties:-

- (i) censure;
- (ii) withholding of his promotion

- (iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Corporation by negligence or breach of orders;
- (iv) (a) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a period not exceeding three years without cumulative effect and not adversely affecting his retirement benefits;
- (v) withholding of increments of pay;

Major Penalties:

- (vi) save as provided for in clause (iv)(a), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee of the Corporation will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vii) reduction of lower time scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee of the Corporation to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the employee of the Corporation was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;
- (viii) compulsory retirement;
- (ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Corporation;
- (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Corporation;

Provided that in very case in which the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance

from any person of any gratification other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clauses (ix) and (x) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.

Explanation - The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation, namely:-

- (i) withholding of increment of an employee of the Corporation for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rule or orders governing the Service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;
- (ii) stoppage of an employee of the Corporation at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion of an employee of the Corporation, whether in a regular or on probation, after consideration of his case to a Service, grade or post for promotion to which he is eligible;
- (iv) reversion of an employee of the Corporation working in a higher Service, grade or post to a lower Service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;
- (v) reversion of an employee of the Corporation, appointed on probation to any other Service, grade or post, to his permanent service, grade or post

368361/02-2

- during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;
- vi) replacement of the services of an employee whose services had been borrowed from the Central or the State Government or any authority under the control of the Central or the State Government, at the disposal of the Central or the State Government or the authority from which the services of such employee of the Corporation had been borrowed;
- vii) compulsory retirement of an employee of the Corporation in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
- (viii) termination of the services ;
- (a) “of an employee of the Corporation appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing such probation, or
- (b) of an employee of the Corporation in accordance with the provisions of regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, or
- (c) of an employee of the Corporation, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.”

3. In the said regulations, in regulation 61 –

- a) for sub-regulation (ii), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(ii) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against an employee, it may enquire into.

or appoint any public servant or a retired official of Corporation not below the rank of Manager or from other Public Sector Undertakings of equivalent level or a retired officer from the Central Government not below the rank of Deputy Secretary as Inquiry Officer (hereinafter called the inquiring authority), for conducting departmental inquiries to enquire into the truth thereof, at such fee, terms and conditions as approved by Board of Directors from time to time”;

(b) for sub-regulation (vi), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

“(vi)(A) The employee may take the assistance of any other employee of the Corporation but shall not engage a legal practitioner for the purpose, unless the person nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner, subject to the following conditions, namely:-

(a) the employee shall not have in any manner been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity;

(b) the employee shall not act as a defence assistant in more than three cases at a time and he will satisfy the inquiring authority that he does not have more than three cases in hand including the case in question;

(B) The employee may also take the assistance of any retired employee of the Corporation subject to the following conditions namely:-

(a) the employee concerned have retired from the service of the Corporation;

- (b) the charged official shall not engage such retired employee, who is a legal practitioner, unless the presenting officer nominated by the disciplinary authority is a legal practitioner;
- (c) the retired employee shall not have in any manner been associated with the case at investigation stage or otherwise in his official capacity; and
- (d) the retired employee shall not act as defence assistant in more than five cases at a time and he shall satisfy the inquiring authority that he does not have more than five cases in hand including the case in question".

4. In the said regulations, after regulation 63, the following regulation shall be inserted, namely:-

"63A. Procedure for disciplinary proceedings after retirement

- (i) Any disciplinary proceeding, if instituted while the employee was in service, whether before his retirement or during his re-employment, shall, after the retirement of the employee, be continued and concluded by the authority by which it was commenced, in the same manner, as if the employee had continued in service.
- (ii) During the pendency of the disciplinary proceeding, the disciplinary authority may withhold payment of gratuity for ordering the recovery from gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Corporation, if, the employee is found in a disciplinary proceeding or judicial proceeding to have been guilty of offence or misconduct as mentioned in the relevant sections of the payment of the Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) or

to have caused pecuniary loss to the Corporation by misconduct or negligence during his service, including service rendered on deputation or on re-employment after retirement. provided that the provisions of relevant sections of the Payment of Gratuity Act, 1972 shall be kept in view in the event of delayed payment, in case, the employee is fully exonerated”.

5. In the said regulations in Appendix-I, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Posts	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties		Appellate Authority	Reviewing Authority
			Authority	Penalty		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Group 'A' Officers	Managing Director	Managing Director	all	Executive Committee	Board of Directors

E.B. PATTANAIK, Personnel Manager

[ADVT. III/IV/103/2002-Exty I

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No.CWC/XIV-4/Estt. dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.

10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt Dated 4.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt Dated 18.12.1992
16. CWC/XIV-4/Rectt Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993 /15.12.1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.4.1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.5.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.4.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999



26th Amendment

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 39]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

केन्द्रीय भण्डारण नियम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

सं. के. भ. नि./XIV-4/भर्ती.—वेअरहार्डसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण नियम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) (26वां संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डारण नियम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में

(क) सामान्य प्रबन्ध संवर्ग शीर्षक के अधीन—

(1) महा प्रबन्धक के पद से संबंधित क्रम सं. 1 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

पद का नाम	वर्गिकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	भर्ती की पद्धति	भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह किस पद से की जाएगी	शैक्षिक योग्यताएं	आयु सीमा	आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होती या नहीं	टिप्पणियाँ
1. कार्यकारी निदेशक	समूह क	3 (तीन)	20500-500-25000/-रु (औद्योगिक महंगाई भत्ता)	चयन	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति हर बार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जानी है।	पदोन्नति के 14300-400-18300/-रु (केन्द्रीय महंगाई भत्ता) के वेतनमान में अथवा 18300-400-22300/-रु (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान में महाप्रबन्धक के पद पर संबंधित ग्रेड में कार्य कर रहे चार वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।	लागू नहीं	लागू नहीं	कमल अस्थायी पूंजम। कार्यकारी निदेशक के सभी पद निगम में से संभावित रूप से चुनित किए जा रहे प्रकाशात्मक निदेशक के पदों के नए जाने पर समाप्त हो जायेंगे।	
		3				प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाएं/केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-1/केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-1 के 12000-375-18500/-रु वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो।		9	10	11

(ii) वित्त एवं लेखा संवर्ग में क्रम सं0-1 पर वित्तीय सलाहकार के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की सं0	वेतनमान	चयन पद अथवा तैर चयन पद है	भर्ती की पद्धति	भर्ती बाड़े पदोन्नति/प्रतियुक्ति द्वारा की जाती है तो यह किस पद से की जाएगी	शैक्षिक योग्यताएं	आयु सीमा	आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)	समूह फ	1 (एक)	20500-500-25000/-रु (औद्योगिक महंगाई भत्ता)	चयन	पदोन्नति/प्रतियुक्ति हर बार बड़े द्वारा नियमित की जाएगी।	पदोन्नति निम्न के वित्त एवं लेखा संवर्ग में 14300-400-18300/-रु (केंद्रीय महंगाई भत्ता) के वेतनमान में अथवा 18300-400-22300/-रु (औद्योगिक महंगाई भत्ता) के वेतनमान में महाप्रबन्धक के पद पर संवर्धित ग्रेड में कार्य कर रहे चार वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	केवल अस्थायी सृजन। कार्यकारी निदेशक का पद निम्न संभावित रूप से सृजित किए जा रहे प्रकाश/लोक निदेशक का पद पर जाने पर हो समाप्त जायेगा

प्रतियुक्ति अखिल भारतीय सेवाएं/केंद्रीय सेवाएं श्रेणी-1/केंद्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी-1 के 12000-35-16500/-रु वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संवर्धित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो।

(ग) एकल शर्त में क्रम सं० 1 पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पद एवं प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की सं०	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद है	भर्ती की पद्धति	भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है तो वह किस पद से की जाएगी	सो.के., योग्यताएं	सी.पी. भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मुख्य सतर्कता अधिकारी	समूह क	1 (एक)	18300-400-22300/रु० (आँध्रगोत्रिक महंगाई भत्ता)	चयन	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार में उपस्थित अथवा इसके उपर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र केंद्रीय सेवाएं श्रेणी-1 के अधिल भारतीय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारियों से से जिन्हें सतर्कता कार्य का कम से 4 वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	इस पद को भरने के लिए कारिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाएगा।

जी. वी. चटनयक, कार्मिक प्रबन्धक

[विज्ञापन-12/IV/103/2003/असा.]

टिप्पणी :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 26.10.1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.11.1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 21.12.1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.02.1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.05.1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 04.10.1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 18.12.1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 29.12.1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.03.1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.03.1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 14.11.1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.04.1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.05.1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 19.04.1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 10.06.1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 02.12.2002

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2004

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Sixth Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II, to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986,—

(a) under the heading General Management Cadre,—

(i) for serial number 1 relating to the post of General Manager and the entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:—

66861/99-2

Name of post	Classification	Number of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation, post from which to be made.	Educational Qualifications required for direct recruits	Age limit for direct recruits	Whether age limit and other qualifications will apply to promotees.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Executive Director	Group A	3 (Three)	Rs. 20500-500-25000 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion or Deputation, to be determined by the Board on each occasion.	<u>Promotion:</u> Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 (Central Dearness Allowance) or Rs. 18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance) in the post of General Manager with four years regular service in the respective grade. <u>Deputation:</u> Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Only Temporary creation. All posts of Executive Director will stand abolished on filling up of the posts of Functional Director likely to be created in the Corporation."

(ii) for serial number 3, relating to the post of Commercial Manager and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

Name of post	Classification	Number of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation, from which to be made.	Educational qualifications	Age limit for direct recruitment	Whether age limit & other qualifications will apply to promotees	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. General Manager (General)	<u>Group A</u>	5 (Five)	Rs. 18,300-400-22,300 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion or Direct Recruitment or Deputation, to be determined by the Board on each occasion.	<p><u>Promotion:</u> Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 (Central Dearness Allowance) or Rs. 15,700 + 375 + 20, 200 (Industrial Dearness Allowance) in the post of Deputy General Manager or Manager with four years regular service in the General Management cadre.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with four years experience in the relevant field. Officers of Public Institutions at senior management level with four years of experience in the relevant field may also be considered for appointment alongwith other candidates.</p>	<p>Direct Recruitment; A post graduate degree with 1st Division preferably in Business administration or Economics or Commerce Experience At least four years experience in public Institutions or Commercial Organisation in a senior Managerial position or four years service in the Government in the scale of Rs. 12000-375-16500</p>	45 years	Not applicable	Existing five posts of Manager (General) will be abolished."

[Part III - Page 4]

Page No. : 182

(b) under the heading Technical Cadre, for serial number 1, relating to the post of Manager (Technical) and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

Name of post	Classification	Number of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of promotion/deputation, from which to be made.	Educational qualifications	Age limit for direct recruitment	Whether age limit & other qualifications will apply to promotees	Remarks
1. General Manager (Technical)	2 Group A	3 1 (One)	4 Rs. 18,700-4000-22,100 (Industrial Dearness Allowance)	5 Selection	6 Promotion or Direct Recruitment or Deposition, to be determined by the Board on each occasion.	7 <u>Promotions:</u> Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 (Central Dearness Allowance for Rs. 15,700 + 375 + 20,200 (Industrial Dearness Allowance) in the post of Deputy General Manager or Manager with four years regular service in the Technical cadre. <u>Deputation:</u> Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with four years experience in the relevant field. Officers of Public Institutions at senior management level with four years of experience in the relevant field may also be considered for appointment alongwith other candidates.	8 Direct Recruitment: A post Graduate Degree in First Division in Agriculture or Entomology or Microbiology or Bio-Chemistry or a post Graduate Degree in Bio-Chemistry or Micro-biology or a Post Graduate Degree in First Class in Zoology with Entomology. Experience: At least four years experience in public Institutions or Commercial Organisation in a senior Managerial position or four years service in the Government in the scale of Rs. 12000-375-16500	9 45 years	10 Not applicable	11 11

(ii) for serial number 2, relating to the post of Deputy Financial Adviser and Manager (Accounts) and entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

Name of post	Classification	Number of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/ deputation, from which to be made.	Educational qualifications	Age limit for direct recruitment	Whether age limit & other qualifications will apply to promotees	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. General Manager (Finance and Accounts)	Group A	2 (Two)	Rs. 18,100-400-22,100 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion or Direct Recruitment or Deputation, to be determined by the Board on each occasion.	<p><u>Promotion:</u> Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 (Central Dearness Allowance) or Rs. 15,700 - 375 - 20,200 (Industrial Dearness Allowance) in the post of Deputy General Manager (Manager with four years regular service in the Finance and Accounts cadre.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers from (A) India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Service Class-I in the pay scale of Rs. 12,000-175-16,500 with four years experience in the relevant field. Officers of Public Institutions in senior management level with four years of experience in the relevant field may also be considered for appointment alongwith other candidates.</p>	<p><u>Direct Recruitment:</u> A post graduate degree with first division in Business Administration with specialisation in Finance or a Member of Institute of Chartered Accountants or of the Institute of Cost and Works Accountants.</p> <p><u>Experience:</u> At least four years experience in public Institutions or Commercial Organisations in a senior managerial position or four years service in the Government in the scale of Rs. 12,000-375-16,500.</p>	45 years	Not applicable	

(d) under the heading Isolated Cadre, for serial number 1 relating to the post of Chief Vigilance Officer and the entries against it, the following post and entries shall be substituted, namely:-

Name of post	Classification	Number of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion or deputation, from which to be made.	Educational qualifications	Age limit for direct recruitment	Whether age limit & other qualifications will apply to promotees	Remarks
1. Chief Vigilance Officer	2 Group A	3 1 (One)	4 Rs. 18300-400-22300 (Industrial Dearness Allowance)	5 Selection	6 Deputation	7 Deputation: Suitable officers from All India Service of Central Services Class-I eligible for appointment as Deputy Secretary and above under Central Govt with at least four years experience in vigilance work.	8 Not applicable	9 Not applicable	10 Not applicable	11 For filling up this post, Department of Personnel and Training and Central Vigilance Commission guidelines will be followed.

B. B. PATTANAIK, Personnel Manager

[ADVT-11/11/11/1032003/2570]

Note:- The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No.CWC/XIV-4/Estt, Dated 28.02.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt, Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt, Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt, Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt, Dated 29.01.1988.
5. CWC/XIV-4/Estt, Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 09.6.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 21.12.1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 08.02.1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 04.10.1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 29.12.1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 17.02.1993/15.12.1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 08.03.1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 28.03.1995.
20. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 14.11.1995.
21. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 28.05.1998.
23. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 19.04.1999.
24. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt, Dated 02.12.2002.

राजिस्ट्री सं. डी. एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 2004/श्रावण 9, 1926

No. 134]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 2004/SRAVANA 9, 1926

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2004

सं. के.भ.नि./XIV-4/भ.नि.— भती-वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (सत्ताईसवां संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा ।
(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में वित्त एवं लेखा संवर्ग शीर्षक के अधीन कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद से संबंधित क्रम संख्या-1, कॉलम-7 में प्रतिनियुक्ति उप शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि एवं उप शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्रतिनियुक्ति

अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केन्द्रीय सेवाएं समूह-क अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं समूह-क के 12000-375-16500/-रू० के वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का छह वर्ष का अनुभव हो अथवा वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के कॉर्पोरेट कार्यकारी जिन्हें वित्त एवं लेखांकन के क्षेत्र में छः वर्ष का अनुभव हो ।”

वी.बी. पटनायक, कार्यकारी निदेशक (प्रशासनिक)

[विज्ञापन/III/IV/103/2004/अस.]

टिप्पणी :—पूत विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए कर्तव्य-तत्परताद्विनिर्दिष्ट द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 26.10.1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 30.11.1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 21.12.1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 08.02.1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 17.05.1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 04.10.1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 18.12.1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.12.1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 08.03.1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28.03.1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 14.11.1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 30.04.1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28.05.1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.04.1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 10.06.1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 02.12.2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 27.2.2004

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2004

No.CWC/XIV-4/Rectt.- In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:-

- 1) (I) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Seventh Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading Finance and Accounts Cadre, against serial number 1 relating to the post of Executive Director (Finance & Accounts) under Column No.7 for the existing entry sub-heading Deputation, the following entry and sub-heading shall be substituted namely:-

“Deputation:-

From amongst officers of All India Services or Central Services Group ‘A’ or Central Secretariat Services Group ‘A’ in the scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field or Corporate Executives at senior management level with six years of experience in the field of finance and accounting.”

B.B. PATTANAIK, Executive Director (Personnel)

[ADVT/III/IV/103/2004/Exty.]

Note :—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 *vide* No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended *vide* :—

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.2.2004

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2005/माघ 22, 1926

No. 20]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2005/MAGHA 22, 1926

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.— वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962(1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से “केन्द्रीय भण्डारण निगम (स्टाफ) विनियम, 1986” में संशोधन कर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्-

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (स्टाफ) (अठ्ठाइसवाँ संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- केन्द्रीय भण्डारण निगम (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में “सामान्य प्रबन्ध संवर्ग” शीर्षक के अधीन कॉलम संख्या-7 में क्रम संख्या-1 पर कार्यकारी निदेशक के पद से संबंधित वर्तमान प्रविष्टि के लिए “प्रतिनियुक्ति” उप शीर्षक के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्-

“प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवाएं अथवा केन्द्रीय सेवाएं समूह क अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं समूह क के 12000-375-16500 स्तरों पर वेतनमान के अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो अथवा वरिष्ठ प्रबन्ध स्तर के कॉर्पोरेट कार्यकारी अधिकारी जिन्हें संबंधित क्षेत्र का 6 वर्ष का अनुभव हो P”

ओ. पी. भारती, महा प्रबन्धक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/IV/असल/103/04]

टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 28 फरवरी, 1986 संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना द्वारा प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 26.10.1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.11.1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 21.12.1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.02.1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.05.1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 04.10.1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 18.12.1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 29.12.1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 08.03.1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.03.1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 14.11.1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.04.1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 28.05.1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 19.04.1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 10.06.1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 02.12.2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 27.2.2004
27. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/भर्ती दिनांक 30.7.2004

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

No. CWC/XIV-4/Rectt.— In exercise of the powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:-

- 1) (I) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Eighth Amendment) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading "General Management Cadre", against Serial number 1 relating to the post of Executive Director in column No.7 for the existing entry, under sub-heading "Deputation", the following entry shall be substituted, namely:-

"Deputation: From amongst Officers of All India Services or Central Services Group 'A' or Central Secretariat Service Group 'A' in the scale of Rs. 12000-375-16500 with six years experience in the relevant field or Corporate Executives at senior management level with six years of experience in the relevant field."

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)

[ADVT. III/IV/Exty./103-04]

Note:— The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1992
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.2.2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30.7.2004


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
 EXTRAORDINARY
 भाग III—खण्ड 4
 PART III—Section 4
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]
 No. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2006/माघ 19, 1927
 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2006/MAGHA 19, 1927

केन्द्रीय भण्डारण निगम
 (भारत सरकार का उपक्रम)
 अधिसूचना
 नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2006

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—केन्द्रीय भण्डारण निगम चेयलहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाया है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (29वाँ संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।

(ii) ये राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के विनियम 58, धारा (ii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(ii) धारा (i) की उप-धारा (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में द्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को द्यूटी पर बिताई अवधि माना जायेगा और उपर्युक्त धारा की उप-धारा (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में निलम्बन अवधि की विवेचना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियमों और आदेशों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।”

ओ. पी. भारती, महाप्रबन्धक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/103/2005]

टिप्पणी :—पूरे विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 1-4-1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 19-6-1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 19-6-1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 29-1-1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 24-6-1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 9-6-1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 15-10-1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 8-2-1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 17-5-1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 4-10-1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 29-12-1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 17-2-1993/15-12-1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 8-3-1994

19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 28-3-1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 14-11-1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 30-4-1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 28-5-1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 19-4-1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 10-6-1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 2-12-2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 27-2-2004
27. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 30-7-2004
28. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 28-1-2005

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2006

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

(1) (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (Twenty Ninth Amendment) Regulations, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 for Regulation 53, for clause (ii), the following shall be substituted, namely :—

(ii) In cases falling under sub-clause (a) of clause (i), the period of absence from duty shall be treated as period spent on duty and in cases falling under sub-clause (b) of the said clause, it shall be decided as per the

rules and orders issued by the Central Government in respect of treatment of period of suspension in respect of Central Government employees.”

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)
[ADVT-III/IV/Esty/103/2005]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28-2-1986 and subsequently amended vide :—

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1-4-1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19-6-1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19-6-1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29-1-1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24-6-1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9-6-1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24-11-1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15-10-1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26-10-1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30-11-1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21-12-1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8-2-1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17-5-1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4-10-1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18-12-1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29-12-1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17-2-1993/15-12-1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8-3-1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-3-1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14-11-1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30-4-1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-5-1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19-4-1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10-6-1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2-12-2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27-2-2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30-7-2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-1-2005



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2006/चैत्र 20, 1928

Na. 60]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2006/CHAITRA 20, 1928

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

सं० के.म.नि./xiv-4/पृ०-1:-- वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डारण निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्-

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (30वाँ संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम 1986 में विनियम 40 क के पश्चात् निम्नलिखित विनियमों को सम्मिलित किया जायेगा अर्थात् -
 - 40 ख (i) विनियम 40 क का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम एक समिति का गठन करेगा जिसे शिकायत समिति कहा जाएगा।
 - (ii) उप-विनियम (i) के अधीन गठित की गई शिकायत समिति में निगम की एक वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी होंगी जो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी, तीन अन्य महिला कर्मचारी सदस्य के रूप में कार्य करेंगी, एक महिला कार्यकारी सदस्य (यौन उत्पीड़न विषय में अक्की ज्ञाता गैर-सरकारी संस्थान या अन्य निकाय से) के रूप में कार्य करेंगी तथा निगम का एक अधिकारी समिति के सदस्य (सचिव) के रूप में कार्य करेगा।

- 40 ग. शिकायत समिति जाँच प्राधिकारिकी होगी जो मामले की जाँच करेगी और निगम में कार्य स्थल पर किसी महिला से हुए यौन उत्पीड़न की स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा इस प्रतिवेदन को इन नियमों के अर्धीन जाँच प्रतिवेदन माना जाएगा।

ओ. पी. भारती, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/IV/अमर/103/2006]

टिप्पणी :— मुख्य विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 28 फरवरी, 1986 के संख्या सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

- 1 सी.डब्ल्यू.सी./14-4स्थापना दिनांक 01.04.1987
- 2 सी.डब्ल्यू.सी./14-4स्थापना दिनांक 19.06.1987
- 3 सी.डब्ल्यू.सी./14-4स्थापना दिनांक 19.06.1987
- 3 सी.डब्ल्यू.सी./14-4स्थापना दिनांक 29.01.1988
- 5 सी.डब्ल्यू.सी./14-4स्थापना दिनांक 24.06.1988
- 6 सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 09.06.1989
- 7 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 24.11.1989
- 8 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 15.10.1990
- 9 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 26.10.1990
- 10 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 30.11.1990
- 11 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 21.12.1990
- 12 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 08.02.1991
- 13 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 17.05.1991
- 14 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 04.10.1991
- 15 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 18.12.1992
- 16 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 29.12.1992
- 17 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
- 18 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 8.03.1994
- 19 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 28.03.1995
- 20 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *14.11.1995/** 22.11.1995
- 21 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *30.04.1996/** 22.05.1996
- 22 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 28.05.1998
- 23 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *19.04.1999/** 26.04.1999
- 24 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *10.06.1999/** 30.05.1999
- 25 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *02.12.2002/** 05.12.2002
- 26 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 27.02.2004
- 27 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *30.07.2004/** 31.07.2004

- 28 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक *28.01.2005/** 11.02.2005
29 सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक * 01.02.2006/** 08.02.2006

* अधिसूचना की तिथि

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

No. CWC/XIV-4/Rectt.-In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:-

1. (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (30th Amendment) Regulations, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, after Regulation 40(A) the following regulations shall be inserted, namely:-

40(B)(i) The Corporation shall constitute a Committee to be called the Complaints Committee for the purpose of ensuring compliance of Regulation 40A;

(ii) The Complaints Committee constituted under sub-regulation (i) shall consist of a Senior level Women Officer of the Corporation to act as Chairman of the Committee, three other Women employees to act as members, one Women Executive member (from NGO or other body which is familiar with the issue of sexual harassment) to act as member and an Officer of the Corporation to act as Member (Secretary) of the Committee."

40(C)- "The Complaints committee shall be the inquiry authority to inquire into and report the indulgence of sexual harassment of any women at her work place of the Corporation and the report of the said committee shall be treated as an inquiry report under these rules"

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)

[ADVT III/IV/Exty/103/2006]

Note:—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *14.11.1995/** 22.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30.04.1996 /** 22.5.1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *19.04.1999 /** 26.4.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *10.06.1999/** 30.6.1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *2.12.2002/**05.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.02.2004.
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30.07.2004/* *31.07.2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated * 28.01.2005/**11.02.2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated * 01.02.2006/** 08.02.2006

* Date of Notification

** Date of Publication of the Notification in the Gazette of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]
No. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2006/अग्रहायण 17, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2006/AGRAHAYANA 17, 1928

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2006

सं. कै. म. नि./XIV-4/भर्ती.—वेबरहाउसिंग कॉरपोरेशन अभिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भण्डारण निगम एतद्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारों) विनियम, 1986 में संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (स्टॉक) (32वां संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा ।
(2) ये सरकारों राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे
2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (स्टाफ) विनियम, 1986 के परिशिष्ट 2 में,-
 - (i) (क) सामान्य प्रबन्धन संवर्ग के अन्तर्गत महा-प्रबन्धक (सामान्य) के पद से संबंधित क्रम संख्या-3 पर पदोन्नति शीर्ष के अन्तर्गत, कॉलम संख्या-7 में "अथवा प्रबन्धक" शब्द हटा दिये जायेंगे ।
 - (ख) वित्त एवं लेखा संवर्ग शीर्ष के अन्तर्गत महा-प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) के पद से संबंधित क्रम सं.-2 पर पदोन्नति शीर्ष के अन्तर्गत, कॉलम संख्या-7 में "प्रबन्धक" शब्द हटा दिया जायेगा ।
 - (ग) तकनीकी संवर्ग शीर्ष के अन्तर्गत महा-प्रबन्धक (तकनीकी) के पद से संबंधित क्रम सं.-1 में, पदोन्नति शीर्ष, के अन्तर्गत कॉलम संख्या-7 में "अथवा प्रबन्धक" शब्द हटा दिये जायेंगे ।
- (ii) सामान्य प्रबन्धन संवर्ग के अन्तर्गत क्र.सं.-4 एवं 12 पर उप महाप्रबन्धक (सामान्य) एवं उप महाप्रबन्धक (अनुसंधान एवं विकास) के पदों से संबंधित कथित पद की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित होंगी, अर्थात् :-

सामान्य प्रबन्धन भवर्ग

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में वह किस पद से की जानी है
1	2	3	4	5	6	7
उप महा प्रबन्धक (सामान्य)	समूह क	21 (इक्कीस)	12000-375-16500 रु. (सीडीए) 15700-375-20200 रु. (आईडीए)	चयन	(i) सीधी भर्ती द्वारा 25% जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) पदोन्नति द्वारा 75% जिसके न होने पर सीधी भर्ती से एवं दोनों द्वारा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति 10000-325-15200 रु. (सीडीए) अथवा 13000-350-18250 रु. (आईडीए) के वेतनमान में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा वाले सहायक महाप्रबन्धक प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 10000-325-15200 रु. (सीडीए) का वेतनमान या रूढ़ केन्द्र सरकार के अधिकारी अथवा तीन वर्ष की निरन्तर सेवा वाले 13000-350-18250 (आईडीए) वेतनमान ले रहे सार्वजनिक संस्थान/वाणिज्यिक संगठनों के मध्यम स्तरीय प्रबन्धन स्तर के अधिकारियों में से।

सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा और अन्य अर्हताएँ पदोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं	टिप्पणी
8	9	10	11
द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अर्थशास्त्र/वाणिज्य/व्यापार प्रशासन/औद्योगिक संबंध की वरीयता अनुभव सरकारी क्षेत्र में 10000-325-15200 रु. (सीडीए) में तीन वर्ष का अनुभव अथवा सार्वजनिक संस्थान/वाणिज्यिक संगठनों में मध्य प्रबन्धकीय स्तर के अधिकारी जिन्हें 13000-350-18250 रु. (आईडीए) के वेतनमान में तीन वर्ष का अनुभव हो	45 वर्ष	लागू नहीं	महाप्रबन्धक (सामान्य) के 5 (पांच) पद नियमित आधार पर भरे जाने के बाद उप महाप्रबन्धक के 5 पद समाप्त हो जाएंगे

1	2	3	4	5	6
उप महाप्रबन्धक (अनुसंधान एवं विकास)	समूह क	1 (एक)	12000-375-16500 रु. (सीडीए) 15700-375-20200 रु. (आईडीए)	चयन	प्रतिनियुक्ति

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----

प्रतिनियुक्ति

लागू नहीं

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में 3 वर्ष का नियमित अनुभव रखने वाले 10000-325-15200 रु. (सीडीए) का वेतनमान ले रहे केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से अथवा अधशास्त्र/वाणिज्य/व्यापार प्रशासन/सांख्यिकीय/प्रचलन अनुसंधान/कृषि सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी सहित चान्जर सर्वेक्षण और अन्वेषण में विकास/योजना और अनुसंधान का तीन वर्ष का नियमित अनुभव रखने वाले 13000-350-18250 रु. (आईडीए) वेतनमान ले रहे सार्वजनिक संस्थाओं/वाणिज्यिक संगठनों के न्यूनतम प्रबन्धन अधिकारियों में से ।

उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी । सामान्य प्रबन्धन केंद्र में 10000-325-15200 रु. (सीडीए) अथवा 13000-350-18250 रु. (आईडीए) वेतनमान ले रहे सहायक महाप्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे निगम के अधिकारी भी निश्चित अवधि के लिए पात्र होंगे वशतः वे आवश्यक योग्यताएं रखते हों ।

(iii) एकल संवर्ग के अन्तर्गत उप महाप्रबन्धक (कस्टम बाँडिंग) के पद से संबंधित क्रम सं-3 पर कथित पद की प्रविष्टियों को विपरीतलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

1	2	3	4	5	6
उप-महा प्रबन्धक (कस्टम बाँडिंग)	समूह क	1 (एक)	12000-375-16500 रु. (सीडीए) 15700-375-20200 रु. (आईडीए)	चयन	प्रतिनियुक्ति

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----

प्रतिनियुक्ति

लागू नहीं

3 वर्ष के अनुभव वाले 10000-325-15200 रु. (सीडीए) का वेतनमान ले रहे भारतीय कस्टम एवं एक्ससाईज विभाग के अधिकारियों में से, जिनके न होने पर कस्टम बाण्ड के अन्तर्गत वस्तुओं के भण्डारण से संबंधित हैंडलिंग एवं कार्य संचालन के तीन वर्ष के अनुभव वाले 13000-325-15200 रु. (सीडीए) अथवा 15000-350-18250 रु. (आईडीए) वेतनमान ले रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वाणिज्यिक संस्थाओं अथवा केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिकारी भी निश्चित अवधि के लिए पात्र होंगे। 13000-350-18250 रु. (आईडीए) वेतनमान का मानदण्ड निगम में सामान्य प्रबन्धन संवर्ग में सह-युक्त महाप्रबन्धक के पद पर दैनिक केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिकारियों पर लागू होगा।

(iv) क्रम सं. 1 के बाद तकनीकी संवर्ग के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (तकनीकी) के पद से संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रम सं. 1(क) के रूप में उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) के पद से संबंधित निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :-
तकनीकी संवर्ग

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद है अथवा भर्त-चयन पद है	भर्ती की पद्धति	भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी
1	2	3	4	5	6	7
1 (क) उप महा-प्रबन्धक (तकनीकी)	समूह 'क'	2 (दो)	12000-375-16500 रु. (सीडीए) 15700-375-20200 रु. (आईडीए)	चयन	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति : 10000-325-15200 रु. (सीडीए) अथवा 13000-350-18250 रु. (आईडीए) के वेतनमान में कार्यरत तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी) प्रतिनियुक्ति: 10000-325-15200 रु. (सीडीए) के वेतनमान वाले केन्द्र सरकार के अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा कर ली हो अथवा सार्वजनिक संस्थान/वार्गज्यिक संस्थानों के अधिकारी जिन्होंने 13000-350-18250 रु. (आईडीए) वेतनमान में मध्यस्तरीय प्रबन्धन में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

सीधे भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	अंगु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	टिप्पणियां
8	9	10	11
सीधी भर्ती : कोट विज्ञान सहित कृषि में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा बायो-केमिस्ट्री अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा कोट विज्ञान सहित जन्तु विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। अनुभव : सरकारी क्षेत्र में 10000-325-15200 रु. (सीडीए) में तीन वर्ष का अनुभव अथवा सार्वजनिक संस्थान/वार्गज्यिक संस्थानों के मध्य प्रबन्धकीय स्तर के अधिकारी जिन्होंने 10750-300-16750 रु. (आईडीए) के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।	45 वर्ष	लागू नहीं	महाप्रबन्धक (तकनीकी) का 1 (एक) पद नियमित आधार पर भरे जाने के बाद उप-महाप्रबन्धक (तकनीकी) का 1 पद समाप्त हो जाएगा।

204

(v) वित्त एवं लेखा संख्या के अंतर्गत क्रम सं 2 के बाद महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) का पद निम्नलिखित प्रविष्टियों के साथ क्र. सं-2क के रूप में समाहित किया जावेगा-

वित्त एवं लेखा संवर्ग

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है	भर्ती की प्ररुति	भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो यह किस पद से की जाएगी
1	2	3	4	5	6	7
2 (क) उप महा-प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	समूह 'क'	4 (चार)	12000-375-16500 रु. (सीडीए) 15700-375-20200 रु. (आईडीए)	चयन	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	पदोन्नति : 10000-325-152000 रु. (सीडीए) अथवा 13000-350-18250 रु. (आईडीए) के वेतनमान में कार्यरत तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) प्रतिनियुक्ति : 10000-325-15200 रु. (सीडीए) के वेतनमान वाले केंद्र सरकार के अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा कर ली है अथवा सार्वजनिक संस्थान/वाणिज्यिक संस्थानों के अधिकारी जिन्होंने 13000-350-18250 रु. (आईडीए) के वेतनमान में मध्यस्तरीय प्रबन्धन में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

शैक्षिक योग्यताएं	आयु सीमा	आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं पदोन्नति की दृष्टि में लागू होंगी या नहीं	टिप्पणियाँ
8	9	10	11
सीधी भर्ती : इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा इंस्टीच्यूट ऑफ कास्ट और वर्कस एकाउंटेंट के फेलो। अनुभव : सरकारी क्षेत्र में 10000-325-15200 रु. (सीडीए) के वेतनमान में तीन वर्ष का अनुभव अथवा 13000-350-18250 रु. (आईडीए) के वेतनमान में सार्वजनिक संस्थान/वाणिज्यिक संस्थानों का मध्य प्रबन्धकीय स्तर का तीन वर्ष का अनुभव।	45 वर्ष	लागू नहीं	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) के 2 (दो) पद नियमित आधार पर भरे जाने के बाद उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) के 2 पद समाप्त हो जाएंगे।

प्रो. पी. भारती, महाप्रबन्धक (कार्मिक)
[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/103/06]

3837 GI/06-2

-205-

टिप्पणी :- मूल विनियम दिनांक 28-2-1986 के संख्या को.प.नि.ख.नि.16/1/स्थापना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे जो बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए :-

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 01-04-1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 19-06-1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 19-06-1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 29-01-1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 24-06-1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 09-06-1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 15-10-1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 08-02-1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 17-05-1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 04-10-1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 29-12-1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 17-02-1993/15-12-1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 8-05-1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 28-05-1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *14-11-1995/**22-11-1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *30-04-1996/**22-05-1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 28-05-1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *19-04-1999/**26-04-1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *10-06-1999/**30-06-1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *02-12-2002/**05-12-2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 27-02-2004
27. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *30-07-2004/**31-07-2004
28. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *28-01-2005/**11-02-2005
29. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *01-02-2006/**08-02-2006
30. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *31-03-2006/**10-04-2006
31. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *28-11-2006

* अधिसूचना की तिथि ।

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि ।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2006

No. CWC/XIV-4/Recit. —In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (32nd Amendment) Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986:—
 - (i) (a) under the heading General Management Cadre, against Sr. No. 3 relating to the post of General Manager (General), under Column No. 7 under heading "promotion", the words "or Manager"; shall be omitted;
 - (b) under the heading Finance and Accounts Cadre, against Sr. No. 2 relating to the post of General Manager (F&A), under column No. 7, under heading "promotion", the words "/Manager"; shall be omitted;
 - (c) under the heading Technical Cadre, against Sr. No. 1 relating to the post of General Manager (Tech) under the column No. 7, under the heading "promotion", the words "or Manager"; shall be omitted;
 - (ii) under the General Management Cadre, against Sr. No. 4 & 12 relating to the post of Deputy General Manager (General) and Deputy General Manager (Research and Development), for the entries against the said post, the following entries shall be substituted, namely:—

GENERAL MANAGEMENT CADRE

Name of Post	Classification	No. of Posts	Scale of Pay	Whether Selection or Non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation posts from which to be made
1	2	3	4	5	6	7
Deputy General Manager (General)	Group 'A'	21 (Twenty one)	Rs. 12000-375-16500 (CDA) Rs. 15700-375-23200 (IDA)	Selection	(i) By Direct recruitment 25% failing which by deputation (ii) By promotion 75% failing which by direct recruitment failing both by deputation.	Promotion : Assistant General Managers (General) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular service. Deputation : Officers from Central Govt. in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) with 3 years regular service or Officers from Public Institution/Commercial Organization at middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular service.

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Age limit for direct recruits	Whether age limit and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Remarks
8	9	10	11
<p>Direct Recruitment : A IIrd Class Post Graduate Degree preferably in Economics/ Commerce/Business Administration/Industrial Relations.</p> <p>Experience: 3 years experience in Govt. in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 (CDA) or 3 years regular experience in a Public Institution/Commercial Organization at middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA)</p>	45 years	Not Applicable	5(five) posts of Deputy General Manager will stand abolished upon filling up of 5 (five) posts of General Manager (General) on regular basis.

1	2	3	4	5	6	7
Deputy General Manager (Research & Development)	Group 'A'	1 (one)	Rs 12000-375-16500 (CDA) Rs. 15700-375-20200 (IDA)	Selection	Deputation	<p>Deputation : Officers from Central Govt. in the pay scale of Rs. 10000-325-15200(CDA) with 3 years regular experience in Research & Development or Officers from Public Institution/ Commercial Organization at middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular experience in developing/ planning and organizing research in market survey and investigation with Ist Class Post Graduate Degree in Economics, Commerce, Business Adm., Statistics, Operational Research, Agricultural Statistics.</p> <p>Preference will be given to the person having doctorate in any subject mentioned above. Officers of the Corporation in the scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or Rs. 13000-350-18250 (IDA) holding the post of Assistant</p>

[भाग III—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

7			
			General Manager in the General Management Cadre would also be eligible for a fix tenure provided they fulfil the requisite qualification.
8	9	10	11
—	—	Not Applicable	—

(iii) Under the Isolated Cadre, against Serial No. 3 relating to the post of Deputy General Manager (Custom Bonding), for the entries against the said post, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
Deputy General Manager (Custom Bonding)	Group 'A'	1 (one)	Rs. 12000-375-16500 (CDA) Rs. 15700-375-20200 (IDA)	Selection	Deputation	Deputation: Officers from Indian Customs and Excise Department with 3 years experience in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA), failing which the officers of the PSUs/Commercial Organizations and or CWC with at least three years experience in handling and organizing work relating to Storage of Goods under Custom Bond, who are in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or Rs. 13000-350-18250 (IDA) shall also be eligible for appointment for a fixed tenure. The pay scale criteria of Rs. 13000-350-18250 (IDA) is applicable for the officers of CWC holding the post of Assistant General Manager in the General Management Cadre in the Corporation.
8	9	10	11			
—	—	Not Applicable	—			

3837 GI/06-3

(iv) under the "Technical Cadre", after Serial No. 1 relating to the post of General Manager (Technical), the post of "Deputy General Manager (Technical)" shall be inserted as Serial No. 1(a) with the following entries:—

TECHNICAL CADRE

Name of post	Classification	No. of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation posts, from which to be made
1	2	3	4	5	6	7
1(a) Deputy General Manager (Technical)	Group 'A'	2 (Two)	Rs. 12000-375-16500 (CDA) Rs. 15700-375-20200 (IDA)	Selection	Promotion/ Direct recruitment failing which by deputation	Promotion: Assistant General Manager (Technical) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular service. Deputation: Officers from the Central Govt. in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) with 3 years regular service or Officers from Public Institution/Commercial Organization at the middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular service.

Educational and other Qualifications prescribed for direct recruits	Age limit for direct recruits	Whether age limit and other qualifications prescribed for direct recruits will apply to promotees	Remarks
8	9	10	11
Direct Recruitment : A Post-graduate degree in IInd Class in Agriculture with Entomology or Micro Biology or Bio Chemistry or a Post Graduate Degree in IInd Class in Bio Chemistry or Micro Biology or a Post Graduate Degree in IInd Class in Zoology with Entomology.	45 years	Not Applicable	1 (one) post of Deputy General Manager (Technical) will stand abolished upon filling up 1 (one) post of General Manager (Technical) on regular basis.
Experience: 3 years experience in Govt. in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or 3 years experience in a Public Institution/ Commercial Organization at middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA)			

(v) under the "Finance and Accounts", after Serial No. 2, relating to the post of General Manager (Finance and Accounts), the post of "Deputy General Manager (Finance and Accounts)" shall be inserted as Serial No. 2(a) with the following entries :-

FINANCE & ACCOUNTS CADRE

Name of post	Classification	No. of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion/deputation posts from which to be made
1	2	3	4	5	6	7
2(a) Deputy General Manager (Finance & Accounts)	Group 'A'	4 (Four)	Rs. 12000-375-16500 (CDA) Rs. 15700-375-20200 (IDA)	Selection	Promotion/ Direct recruitment failing which by deputation	Promotion: Assistant General Managers (Finance & Accounts) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular service. Deputation: Officers from Central Govt. in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) with 3 years regular service or Officers from Public Institutions/Commercial Organizations at middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA) with 3 years regular service.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Age limit for direct recruits	Whether age limit and other qualifications prescribed for direct recruits will apply to promotees	Remarks
8	9	10	11
Direct Recruitment : Fellow of the Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountants. Experience: 7 years experience in Govt. in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 (CDA) or 3 years experience in a Public Institutions/Commercial Organization at middle management level in the pay scale of Rs. 13000-350-18250 (IDA).	45 years	Not Applicable	2(two) posts of Deputy General Manager (Finance & Accounts) will stand abolished upon filling up 2 (two) posts of General Manager (Finance & Accounts) on regular basis.

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)

[ADVT III/TV/Exy/103/06]

Note:—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28-2-1986 and subsequently amended vide—

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01-04-1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19-06-1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19-06-1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29-01-1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24-06-1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09-06-1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24-11-1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19-10-1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26-10-1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30-11-1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21-12-1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08-02-1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17-05-1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04-10-1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18-12-1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29-12-1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17-2-1993/15-12-1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08-03-1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-03-1995.
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *14-11-1995/**22-11-1995.
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30-04-1996/**22-5-1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-05-1998.
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *19-04-1999/**26-4-1999.
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *10-06-1999/**30-6-1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *2-12-2002/**05-12-2002.
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27-02-2004.
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30-07-2004/**31-07-2004.
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *28-01-2005/**11-02-2005.
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *01-02-2006/**08-02-2006.
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *31-03-2006/**10-4-2006.
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-11-2006.

* Date of Notification.

** Date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2006

सं.के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से केन्द्रीय भण्डारण निगम एतद्द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन का निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:—

1. इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (31वां संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।
2. ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
3. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-2 में शीर्ष सामान्य, एकल तकनीकी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग में चर्चा भी "प्रबन्धक, संयुक्त प्रबन्धक एवं उप प्रबन्धक" शब्द लिखे होंगे वही क्रमशः "उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक एवं प्रबन्धक" शब्द प्रतिस्थापित होंगे।

जो. पी. भारती, महाप्रबन्धक (कार्मिक)

[वित्तभ-III/IV/अस/103/06]

टिप्पणी:- मूल विनियम दिनांक 28-2-1986 के संख्या के.प.वि./XVI-4/स्थापना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे जो बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित हुए :-

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 01-04-1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 19-06-1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 19-06-1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 29-01-1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना दिनांक 24-06-1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 09-06-1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 24-11-1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 19-10-1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 26-10-1990
10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 30-11-1990
11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 21-12-1990
12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 06-02-1991
13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 17-05-1991
14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 04-10-1991
15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 18-12-1992
16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 29-12-1992
17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 17-02-1993/15-12-1993
18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 8-03-1994
19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 23-03-1995
20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *14-11-1995/**22-11-1995
21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *30-04-1996/**22-05-1996
22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 28-05-1998
23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *19-02-1999/**26-04-1999
24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *10-06-1999/**30-06-1999
25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *02-12-2002/**05-12-2002
26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 27-02-2004
27. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *30-07-2004/**31-07-2004
28. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *28-01-2005/**11-02-2005
29. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *01-02-2006/**08-02-2006
30. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक *31-03-2006/**10-04-2006

*अधिसूचना की तिथि

**भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2006

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporation Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:—

1. (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) 31st Amendment Regulations, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing (Staff) Regulations, 1986, under the headings General, Isolated, Technical and Finance and Accounts cadres, for the words "Manager, Joint Manager and Deputy Manager" wherever they occur, the words "Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager" shall be substituted.

O. P. BHARATI, General Manager (Personnel)

[ADVT/III/IV/Exty/103/06]

Note :— The Principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28-2-1986 and subsequently amended vide:

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01-06-1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19-06-1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19-06-1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29-01-1988.
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24-06-1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09-06-1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24-11-1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19-10-1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26-10-1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30-11-1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21-12-1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08-02-1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17-05-1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4-10-1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18-12-1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29-12-1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17-2-1993/15-12-1993.
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08-03-1994.
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-03-1995.
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *14-11-1995/** 22-11-1995.
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30-04-1996/** 22-5-1996.
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28-05-1998.
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *19-04-1999/** 26-4-1999.
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *19-06-1999/** 30-6-1999.
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *2-12-2002/** 05-12-2002.
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27-02-2004.
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30-07-2004/** 31-07-2004.
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *28-01-2005/** 11-02-2005.
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *01-02-2006/** 08-02-2006.
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *31-3-2006/** 10-4-2006.

*Date of Notification

**Date of publication of the Notification in the Gazette of India.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]
No. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2008/श्रावण 3, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2008/SRAVANA 3, 1930

केन्द्रीय भण्डारण निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2008

सं. के.भ.नि./XIV-4/भर्ती.—केन्द्रीय भण्डारण निगम, वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन कर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (33वां संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में :—

(क) सामान्य प्रबन्ध संवर्ग शीर्षक को अंतर्गत क्रम सं. 7 के लिए वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सामान्य) के पद से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सामान्य)	समूह क के अन्तर्गत परिवर्तन हो सकता है)	83* (*अवश्यक्तता के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है)	9700-280-15860 रु. (आईडीए)/ 8000-275-13500 रु. (सीडीए)	चयन	50% पदोन्नति द्वारा तथा 50% प्रबन्ध प्रशिक्षुओं के रूप में सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : सहायक प्रबन्धक/भण्डारण एवं निरीक्षण अधिकारी जो 6500-10500 रु.+(सीडीए)/ 8600-14600++ (आईडीए) के वेतनमान में सामान्य प्रबन्ध संवर्ग में 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं। पदोन्नति संयुक्त वरिष्ठता सूची से की जाएगी। सहायक प्रबन्धक पदोन्नति के लिए विचारार्थ के पत्र	अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षा** तथा तत्पश्चात् व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर प्रबन्ध प्रशिक्षु के रूप में सीधी भर्ती। आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी में एमबीए की डिग्री सहित कार्मिक प्रबन्ध अथवा मानव संसाधन अथवा औद्योगिक संबंध अथवा विपणन प्रबन्ध अथवा आपूर्ति शृंखला प्रबन्ध में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं से विशेषज्ञता।	28	ताम्र	शून्य वर्ष नहीं

*विषय एवं अभिरुचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा

			<p>होंगे बशर्त कि उन्हें सहायक प्रबन्धक के रूप में वेअरहाउस में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव हो।</p>	<p>प्रशिक्षण देने गए उम्मीदवारों को वेअरहाउसों, कंटेनर प्रेट स्टेशनों, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं, रेल साइड वेअरहाउसिंग परिसरों के कार्यकलापों तथा सामान्य प्रबन्ध तकनीकों में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं इस अवधि के दौरान निर्धारित समेकित वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) प्रदान किया जाएगा। एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के पश्चात् रिक्तियों के आधार पर उन्हें निगम में वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सामान्य) के नियमित वेतनमान में आमोदित किया जाएगा। दायित्व प्रबन्ध प्रशिक्षुओं को कार्यभार संभालते समय 50,000/- रु० (पचास हजार रु०) का एक बाण्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान निगम को छोड़ें तो, उन्हें निगम छोड़ने से पहले बाण्ड राशि जमा करनी होगी। प्रबन्ध प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता की गणना नियमानुसार उनको निगम में आमोदित करने की तारीख से की जाएगी।</p>
--	--	--	---	--

** विषय एवं अभिरूचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा

(ख) तकनीकी संवर्ग शीर्षक के अंतर्गत कम से 04 के लिए वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक(तकनीकी)के पद से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएगी:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (तकनीकी)	समूह क	11 (आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है)	9700-280-15860 रु० (आईडीए) / *8000-275-13500 रु० (सीडीए)	चयन	50% पदोन्नति तथा 50% प्रबन्ध प्रविष्टियों के रूप में सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: मण्डारण निरीक्षण अधिकारी जो 6500-10500 रु० + (सीडीए) / 5600-14600 / -रु०++ (आईडीए) के बतनमान तकनीकी प्रबन्ध संवर्ग में 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं।	अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षा** तथा तत्पश्चात् व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर प्रबन्ध प्रशिक्षु के रूप में सीधी भर्ती। आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कीट विज्ञान अथवा माइको बायोलॉजी अथवा बायोकैमिस्ट्री सहित कृषि में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बायोकैमिस्ट्री अथवा कीट विज्ञान सहित जीव विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। जिस उम्मीदवार के पास वैअरहाउसिंग तथा शीत श्रृंखला प्रबन्ध / गुणवत्ता प्रबन्ध में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से पीजी डिप्लोमा भी होगा, उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रशिक्षण चुने गए उम्मीदवारों को वैअरहाउसिंग कंटेनर फ्रेट स्टेशनों, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं रेल साइड वैअरहाउसिंग परिसरों के कार्यकलापों सहित प्रथम / डिडकाव तथा अन्य कीटनाशन उपायों की तकनीकों में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं इस अवधि के दौरान निर्धारित	28 वर्ष	लागू नहीं	शून्य

** विषय एवं अभिरूचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा

										करना होगा। यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान निगम को छोड़ेंगे तो, उन्हें निगम छोड़ने से पहले बॉण्ड रशि जमा करनी होगी। प्रदत्त प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता की गणना नियमानुसार उनको निगम में आमेलित करने की तारीख से की जाएगी।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* पदोन्नत
+ सीडीए
++ आईडीए

जे. वी. वेन्ने, उप-महाप्रबन्धक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/IV/असा./103/08]

टिप्पणी :- मूल विनियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 01.04.1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 19.06.1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 29.01.1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना दिनांक 24.06.1988
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 09.06.1989
7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 24.11.1989
8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 15.10.1990
9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4भर्ती दिनांक 26.10.1990

** विषय एवं अभिरूचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा

10. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 30.11.1990
11. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 21.12.1990
12. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 08.02.1991
13. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 17.05.1991
14. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 04.10.1991
15. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 18.12.1992
16. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 29.12.1992
17. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 17.02.1993/15.12.1993
18. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 8.03.1994
19. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 28.03.1995
20. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक *14.11.1995 / **22.11.1995
21. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक* 30.04.1996 / **22.5.1996
22. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 28.05.1998
23. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक* 19.04.1999 / **26.04.1999
24. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक *10.06.1999 / **30.06.1999
25. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक *02.12.2002 / **05.12.2002
26. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 27.02.2004
27. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक* 30.07.2004 / **31.07.2004
28. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक* 28.01.2005 / **11.02.2005
29. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक* 01.02.2006 / **08.02.2006
30. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक* 31.03.2006 / **10.04.2006
31. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 28.11.2006
32. सी. डब्ल्यू. सी./14-4भर्ती दिनांक 28.11.2006

* अधिसूचना की तारीख

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख ।

** विषय एवं अभिलेखि पर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2008

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:-

1, (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (33rd Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986: -

a) Under the heading General Management Cadre, for serial Number-7, relating to the post of Senior Assistant Manager (General) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Senior Assistant Manager, (General)	Group A	83 (Subject to variation depending upon the requirement)	Rs.9700-280-15860 (IDA) / *Rs.8000 - 275 - 13500 (CDA)	Selection	50% (Fifty percent) by promotion. 50% (fifty percent) by direct recruitment as Management Trainees	Promotion: Assistant Managers/ Storage and Inspection Officers in General Management Cadre with three years service in the scale of Rs. 6500-10500 +(CDA)/ 8600-14600 ++(IDA).	Direct Recruitment: As Management Trainees, through written test** on All India basis, followed by personal interview Essential Qualification Degree with 1st class Master of Business Administration, Specialization In Personnel Management Or Human Resource Or Industrial Relation Or Marketing Management Or Supply Chain	28 years.	Not applicable	Nil

221 -

2811 ST/08-3

						<p>Promotion will be made from a combined seniority List. Assistant Managers will be eligible for consideration, provided they have two years experience in a Warehouse as Assistant Manager.</p>	<p>Management from recognized University/Institutions. Training Selected candidates shall be given One year training on operation of Warehouses, Container Freight Stations, Inland Container Depots, Rail side Warehousing Complexes and general management techniques, on a fixed consolidated pay (Basic Plus Dearness Allowance). On completion of one year training successfully, they shall be absorbed in the Corporation on regular pay scale of Senior Assistant Manager (General), depending upon the number of vacancies. Selected management trainees shall have to furnish a bond of R. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) at the time of joining. In case the trainees leave the Corporation during the training period, they shall have to deposit the bond amount before leaving the Corporation. Seniority of the Management Trainee shall be counted from the date of absorption in the regular pay scale, as per rules.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

b) In Technical Cadre, for serial number-04, relating to the post of Senior. Assistant Manager (Technical) and the entries against it, the following entries shall be substituted, namely :-

4. Senior Assistant Manager (Technical)	Group A	11 (Subject to variation depending upon the requirement)	Rs.9700-280-15860 (IDA) / *Rs.8000 - 275 - 13500 (CDA)	Selection	50% (Fifty percent) by promotion. 50% (Fifty percent) by direct recruitment as Management Trainees.	Promotion: Storage and Inspection Officers in Technical Management Cadre with three years service in the scale of Rs. 6500-10500 +(CDA)/ 8600-14600 ++(IDA).	Direct Recruitment: As Management Trainees through written test**on All India basis, followed by personal interview. Essential Qualification 1st Class Post Graduate degree in Agriculture with Entomology Or Micro Biology Or Bio-Chemistry OR 1st Class Post Graduate in Bio-Chemistry Or Zoology with Entomology from recognized University/Institution.	28 years.	Not applicable	Nil
							Preference will be given to those who also possess Post Graduate Diploma on Warehousing and Cold Chain Management/Quality Management from recognized University / Institution.			
							Training Selected candidates shall be given one year training on operation of Warehouses, Container Freight Stations, Inland Container Depots, Railside Warehouse Complexes and preservation of stocks by giving treatment of Fumigation/spraying and			

							<p>Administration in Finance. OR A pass in final examinations of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost & Works Accountants of India OR Pass in Associate Company Secretary from recognized institutions.</p> <p>Training Selected candidates shall be given one year training on Maintenance of accounts of Warehouses, Container Freight Stations, Inland Container Depots, Railside Warehouse Complexes and financial management technique of the Corporate Sector on a fixed consolidated pay (Basic Plus Dearness Allowance). On completion of one year training successfully, they shall be absorbed in the Corporation on regular pay scale of Senior Assistant Manager (Finance and Accounts) depending upon the number of vacancies. Selected management trainees shall have to furnish a bond of Rs. 50,000/- at the time of joining. In case the trainees leave the Corporation during the</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Objective type written test on subject and aptitude.

							training period, they shall have to deposit the bond amount before leaving the Corporation. Seniority of the Management Trainee shall be counted from the date of absorption in the regular pay scale, as per rules			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

[Part III - para 4]

विद्युत विभाग : अहमदाबाद

226

13

- * Promotees
- + Central Dearness Allowance
- ++ Industrial Dearness Allowance

J. V. BENDRE, Dy. General Manager (Personnel)

[ADVT-(III/IV/Exty./103/08)]

Note:- The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 vide Number..... CWC/XIV-4/Estt. dated 28th February, 1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990.
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991.
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991.
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992.
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993/15.12.1993

**Objective type written test on subject and aptitude

18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *14.11.1995/** 22.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30.04.1996/** 22.5.1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *19.04.1999/** 26.4.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *10.06.1999/** 30.6.1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *2.12.2002/**05.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.02.2004.
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *30.07.2004/* *31.07.2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated * 28.01.2005/**11.02.2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated * 01.02.2006/** 08.02.2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated *31.3.2006/**10.4.2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.11.2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.11.2006

* Date of Notification

** Date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

**Objective type written test on subject and aptitude



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 2011/साघ 30, 1932

No. 33]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 2011/MAGHA 30, 1932

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2011

सं. के.भ.नि./XIV-4-भर्ती.—केन्द्रीय भण्डारण निगम, वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 में संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) (34वां संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारी) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-II में सामान्य प्रबन्धन संवर्ग शीर्ष के अंतर्गत महाप्रबन्धक (सामान्य) के पद से संबंधित क्रम सं. 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. एवं प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	भर्ती की पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3. (क) महाप्रबन्धक (प्रणाली)	सफूह 'क'	1 (2011)	43200-66000 रु. (आईडीए)	चयन	पदोन्नत द्वारा, जिसके उपलब्ध न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह किस पद से की जाती है।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं

(7)	(8)
<p>पदोन्नति 32900-58000 रु. (आईडीए) अथवा 15600-39100 (सीडीए) के बैंड 3 वेतन सहित 7600 रु. के ग्रेड वेतन में उप महाप्रबन्धक के रूप में 4 वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं अथवा केन्द्रीय सेवाओं अथवा सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के अधिकारियों में से - (क) (i) नियमित आधार पर समान पदधारी (ii) समूह "क" में 15600-39100 रु. के बैंड 3 वेतन सहित 7600 रु. के ग्रेड वेतन में 4 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष (ख) शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव वही होगा जो कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है।</p> <p>टिप्पणी 1 :- प्रदायक वर्ग के विभागीय अधिकारी जिनकी पदोन्नति सीधी इस पद पर होती है उन्हें प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने के बारे में विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को भी पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए विचार नहीं किया जायेगा।</p> <p>टिप्पणी 2 :- इस नियुक्ति से पूर्व उसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में संवर्ग-बाह्य पद पर प्रति नियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर साइन्स/सूचना प्रणाली/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर अथवा अभियांत्रिकी स्नातक अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा कम्प्यूटर साइन्स अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में स्नातक। अनुभव : औद्योगिक प्रोग्रामिंग, साफ्टवेयर, क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों और कार्यविधियों की प्लानिंग और कार्यान्वयन नेटवर्क प्रबन्धन और उसके रख-रखाव सहित उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों के लिए हार्डवेयर अवसंरचना के विकास का 32900-58000 रु. (आईडीए) अथवा 15600-39100 रु. (सीडीए) के बैंड 3 वेतन सहित 7600 रु. के पदक्रम वेतन में 4 वर्ष की सेवा का अनुभव।</p>

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अन्य अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	टिप्पणियां
(9)	(10)	(11)
45 वर्ष	लागू नहीं	शून्य "

अरविन्द चौधरी, महाप्रबन्धक (कार्मिक)

[चिज्ञापन III/4/103/10/असा.]

टिप्पणी :-मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्थापना, दिनांक 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

1. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना, दिनांक 1-4-1987
2. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना, दिनांक 19-6-1987
3. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना, दिनांक 19-6-1987
4. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना, दिनांक 29-1-1988
5. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 स्थापना, दिनांक 24-6-1988

- 230-
6. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 9-6-1989
 7. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 24-11-1989
 8. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 15-10-1990
 9. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 26-10-1990
 10. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती दिनांक 30-11-1990
 11. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 21-12-1990
 12. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 8-2-1991
 13. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 17-5-1991
 14. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 4-10-1991
 15. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 18-12-1992
 16. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 29-12-1992
 17. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 17-2-1993/15-12-1993
 18. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 8-3-1994
 19. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 28-3-1995
 20. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *14-11-1995/**22-11-1995
 21. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *30-4-1996/**22-5-1996
 22. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 28-5-1998
 23. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *19-4-1999/**26-4-1999
 24. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *10-6-1999/**30-6-1999
 25. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *2-12-2002/**5-12-2002
 26. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक 27-2-2004
 27. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *30-7-2004/**31-7-2004
 28. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *28-1-2005/**11-2-2005
 29. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *1-2-2006/**8-2-2006
 30. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *31-3-2006/**10-4-2006
 31. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *28-11-2006/**8-12-2006
 32. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *28-11-2006/**8-12-2006
 33. सी.डब्ल्यू.सी./14-4 भर्ती, दिनांक *18-7-2008/**25-7-2008

* अधिसूचना की तारीख

** भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख।

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2011

No.CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (34th Amendment) Regulations, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading General Management Cadre, after serial number 3 relating to the post of General Manager (General) and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Name of the post	Classification	Number of posts	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Method of recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3A. General Manager (System)	Group 'A'	1 (2011)	Rs. 43200-66000 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	By promotion, failing which by deputation, and failing both by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation, from which to be made	Educational and other qualifications required for direct recruitment
(7)	(8)
<p>Promotion : Deputy General Manager in the Pay Scale of Rs. 32900–58000 (Industrial Dearness Allowance) or in Pay Band-3 of Rs. 15600–39100 (Central Dearness Allowance) plus grade pay of Rs. 7600 with four years regular service.</p> <p>Deputation : Officers from the All India Services or Central Services or Public Sector Undertakings— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) with four years regular service, Group 'A' in pay Band-3 of Rs. 15600–39100 with grade pay of Rs. 7600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualification and experience, prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>Note 1 : (Departmental Officer in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Masters Degree in Computer Science/Information Systems/ Information Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Information Technology or Computer Science or Electronics and Telecommunication from recognized University or Institute.</p> <p>Experience : Four years experience in the scale of Rs. 32900–58000 (Industrial Dearness Allowance) or in Pay Band-3 Rs. 15600–39100 (Central Dearness Allowance) with Grade Pay of Rs. 7600 in the field of programming, Software, System Development in an Industrial environment with exposure to planning and implementation of computerized systems and procedures, management of networks and its maintenance including hardware infrastructure development for appropriate Information Technology Policies.</p>

Age limit for direct recruit	Whether age limit and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Remarks
(9)	(10)	(11)
45 years	Not applicable	Nil ^a

ARVIND CHAUDHRI, General Manager (Personnel)
[ADVT III/4/103/10-Exty.]


Note :—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* No. CWC/XIV-4/Estt. dated 28th February, 1986 and subsequently amended *vide* :—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 1-4-1987
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19-6-1987
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29-1-1988
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24-6-1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 9-6-1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24-11-1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15-10-1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26-10-1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30-11-1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21-12-1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-2-1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-5-1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. dated 4-10-1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-12-1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. dated 29-12-1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. dated 17-2-1993/15-12-1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. dated 8-3-1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-3-1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. dated *14-11-1995/**22-11-1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. dated *30-4-1996/**22-5-1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. dated 28-5-1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. dated *19-4-1999/**26-4-1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. dated *10-6-1999/**30-6-1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. dated *2-12-2002/**5-12-2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. dated 27-2-2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. dated *30-7-2004/**31-7-2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. dated *28-1-2005/**11-2-2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. dated *1-2-2006/**8-2-2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. dated *31-3-2006/**10-4-2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. dated *28-11-2006/**8-12-2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. dated *28-11-2006/**8-12-2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. dated 18-7-2008/25-7-2008

*Date of Notification

** Date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

651 GI/11-2


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2014/माघ 1, 1935

No. 23]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2014/MAGHA 1, 1935

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/मर्ती.—केन्द्रीय भण्डारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारिवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारिवृंद) (पैतीसवां संशोधन) विनियम, 2014 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारिवृंद) विनियम, 1986 के परिशिष्ट 2 में—

(क) सामान्य प्रबंध संवर्ग शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 20 के सामने निजी सचिव के पद से संबंधित स्तम्भ संख्या 2, 3, 4 और 7 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

2	3	4	7
"समूह ख"	19	16,400-40,500 रुपए (औद्योगिक महंगाई भत्ता)	प्रोन्नति : 16,400-40,500 रुपए वेतनमान (औद्योगिक महंगाई भत्ता) में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक।

(ख) निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
"20(क) प्रधान निजी सचिव	समूह 'क'	5	20,600-46,500 रुपए (औद्योगिक महंगाई भत्ता)	चयन	प्रोन्नति

7	8	9	10	11
प्रोन्नति: 16,400-40,500 रुपए वेतनमान (औद्योगिक मंडगाई भत्ता) में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले निजी सचिव	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य।

पवन कांत, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/4/असा./103/13]

टिप्पण:-मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में सं. के.भ.नि./14-4/स्था. तारीख 28.2.1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987
2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988
5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988
6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989
7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 24.11.1989
8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990
9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990
10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990
11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990
12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991
13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991
14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991
15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992
16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992
17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993
18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994
19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995
20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995
21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996
22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998
23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999
24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999
25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002
26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004
27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004
28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005
29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006
30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006
31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008
34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2014

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (35th Amendment) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporations (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II,—

(a) Under the heading "General Management Cadre" against serial No. 20 relating to the post of Private Secretary, for the entries under columns 2, 3, 4 and 7, the following entries shall be substituted, namely:—

(2)	(3)	(4)	(7)
"Group 'B'	19	Rs. 16400-40500 (Industrial Dearness Allowance)	Promotion: Senior Personal Assistant with five years regular service in the pay scale of Rs. 16400-40500 (Industrial Dearness Allowance).";

(b) after serial number 20 relating to the post of Private Secretary and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"20(A) Principal Private Secretary	Group 'A'	5	Rs. 20600-46500 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Promotion : Private Secretary in the pay scale of Rs. 16400-40500 (Industrial Dearness Allowance) with three years regular service	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil."

PAWAN KANT, General Manager (Personnel)

[ADVT-III/4/Exty./103/13]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. CWC/XIV-4/Estt. dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide:—

1. CWC/XIV-4/Estt. dated 01.04.1987
2. CWC/XIV-4/Estt. dated 19.06.1987
3. CWC/XIV-4/Estt. dated 19.06.1987
4. CWC/XIV-4/Estt. dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. dated 24.06.1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. dated 09.06.1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. dated 24.11.1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. dated 15.10.1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. dated 26.10.1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. dated 30.11.1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. dated 21.12.1990

12. CWC/XIV-4/Recit. dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Recit. dated 17.05.1991
14. CWC/XIV-4/Recit. dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Recit. dated 18.12.1992
16. CWC/XIV-4/Recit. dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Recit. dated 17.2.1993
18. CWC/XIV-4/Recit. dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Recit. dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Recit. dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Recit. dated 30.04.1996
22. CWC/XIV-4/Recit. dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Recit. dated 19.04.1999
24. CWC/XIV-4/Recit. dated 10.06.1999
25. CWC/XIV-4/Recit. dated 2.12.2002
26. CWC/XIV-4/Recit. dated 27.02.2004
27. CWC/XIV-4/Recit. dated 30.07.2004
28. CWC/XIV-4/Recit. dated 28.01.2005
29. CWC/XIV-4/Recit. dated 01.02.2006
30. CWC/XIV-4/Recit. dated 31.3.2006
31. CWC/XIV-4/Recit. dated 28.11.2006
32. CWC/XIV-4/Recit. dated 28.11.2006
33. CWC/XIV-4/Recit. dated 18.7.2008
34. CWC/XIV-4/Recit. dated 17.2.2011.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2014/ चैत्र 25, 1936

No. 114]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2014/CHAITRA 25, 1936

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

सं० सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती-केन्द्रीय भण्डारण निगम, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारिवृद्ध) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारिवृद्ध) (छत्तीसवाँ संशोधन) विनियम, 2014 है।
(ii) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भण्डारण निगम (कर्मचारिवृद्ध) विनियम, 1986 के परिशिष्ट 2 में सामान्य प्रबन्ध संवर्ग शीर्ष के अधीन - (i) कम संख्या 11 में अधीक्षक (सामान्य) के सामने स्तंभ संख्या 3, 4, 6, 7, 8 और 9 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

3	4	6	7	8	9
614	16400-40500 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता)	75 % प्रोन्नति, 25 % सीधी भर्ती	प्रोन्नति: वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले कनिष्ठ अधीक्षक	सीधी भर्ती: अनिवार्य अर्हताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	30 वर्ष

(ii) क्रम संख्या 24 में कनिष्ठ अधीक्षक से संबंधित स्तम्भ संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

3	4	5	6	7	8	9
950	11200-30600 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता)	चयन	75% प्रोन्नति, 25% सीधी भर्ती	प्रोन्नति वेतनमान में चार वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले भांडागारण सहायक श्रेणी-।	सीधी भर्ती: अनिवार्य योग्यताएं: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि	30 वर्ष

पवन कान्त, महाप्रबन्धक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/4/असा./103/14]

टिप्पणी :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में सं. के.अ.नि./14-4/स्था. तारीख 28-2-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

- | | |
|---|---|
| 1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था.तारीख 01.04.1987 | 19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995 |
| 2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था.तारीख 19.06.1987 | 20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995 |
| 3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था.तारीख 19.06.1987 | 21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996 |
| 4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था.तारीख 29.01.1988 | 22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998 |
| 5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था.तारीख 24.06.1988 | 23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999 |
| 6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989 | 24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999 |
| 7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 24.11.1989 | 25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002 |
| 8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990 | 26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004 |
| 9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990 | 27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004 |
| 10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990 | 28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005 |
| 11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990 | 29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006 |
| 12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991 | 30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006 |
| 13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991 | 31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006 |
| 14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991 | 32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006 |
| 15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992 | 33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008 |
| 16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992 | 34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011 |
| 17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993 | 35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.01.2014 |
| 18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994 | |

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014.

No.CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 namely:—

1. (i) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) (36th Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Appendix-II to the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986 under the heading General Management Cadre, — (i) against serial No.11 relating to the post of Superintendent (General), under columns No. 3, 4, 6, 7, 8 and 9 against the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

3	4	6	7	8	9
"614	16400-40500 (Industrial Dearness Allowance)	Promotion 75%, Direct Recruitment 25%	<u>Promotion</u> Jr. Superintendent with 5 years regular service in the scale	<u>Direct Recruitment:</u> <u>Essential qualifications:</u> Post Graduate Degree in any discipline from a recognized University or Institution	30 years";

(ii) against Sl. No.24 relating to the post of Junior Superintendent, under columns No. 3, 4, 5, 6, 7,8 and 9 against the existing entries, the following entries shall be substituted namely:-

3	4	5	6	7	8	9
"950	11200-30600 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion 75%, Direct Recruitment 25%	<u>Promotion</u> Warehouse Assistant Grade-I with 4 years regular service in the scale.....	<u>Direct Recruitment:</u> <u>Essential Qualifications:</u> Degree in any discipline from a recognized University or Institution	30 years".

PAWAN KANT, General Manager (Personnel)

[ADVT. III/4/Exty./103/14]

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. CWC/XIV-4/Estt. Dated 28.2.1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 01.04.1987.
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19.06.1987.
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29.01.1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24.06.1988.
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 09.06.1989.
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24.11.1989.
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15.10.1990.
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26.10.1990.
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.11.1990.
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21.12.1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.02.1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.05.1991.
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 04.10.1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.12.1992.
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29.12.1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 08.03.1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.03.1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14.11.1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.04.1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.05.1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19.04.1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10.06.1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2.12.2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27.02.2004.
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30.07.2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.01.2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 01.02.2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31.3.2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.11.2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28.11.2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18.7.2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.2.2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17.1.2014


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936

No. 299]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2014

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) (सैंतीसवां संशोधन) विनियम, 2014 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-(1) के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाएगा, अर्थात् :-

परिशिष्ट-1

नियुक्ति, अनुशासनिक कार्रवाई तथा अपील/पुनर्विलोकन के लिए सक्षम प्राधिकारी (विनियम 6, 60, 68 तथा 69 देखें)

क्र.सं.	पद	नियुक्ति प्राधिकारी	जुर्माना लगाने वाले सक्षम प्राधिकारी		अपीली प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
			प्राधिकारी	जुर्माना		
1	2	3	4	5	6	7
1	समूह-क अधिकारी	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	सभी	कार्यकारी समिति	निदेशक बोर्ड
2	समूह-ख अधिकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)	सभी	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति

3	समूह-ग					
	क्षेत्रीय कार्यालय (केवल वेअरहाउस सहायक ग्रेड-II)	उप महाप्रबंधक तथा उससे नीचे की श्रेणी के क्षेत्रीय प्रबंधक	उप महाप्रबंधक तथा उससे नीचे की श्रेणी के क्षेत्रीय प्रबंधक	सभी	महाप्रबंधक (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)
		महाप्रबंधक श्रेणी के क्षेत्रीय प्रबंधक	महाप्रबंधक श्रेणी के क्षेत्रीय प्रबंधक	सभी	निदेशक (कार्मिक)	प्रबंध निदेशक
	कॉरपोरेट कार्यालय (समूह ग के सभी कर्मचारी)	उप महाप्रबंधक (कार्मिक)	उप महाप्रबंधक (कार्मिक)	सभी	महाप्रबंधक (कार्मिक)	निदेशक (कार्मिक)
4	समूह-घ					
	क्षेत्रीय कार्यालय	प्रबंधक	प्रबंधक	सभी	क्षेत्रीय प्रबंधक	महाप्रबंधक (कार्मिक)
	कॉरपोरेट कार्यालय	प्रबंधक (कार्मिक)	प्रबंधक	सभी	उप महाप्रबंधक (कार्मिक)	महाप्रबंधक (कार्मिक)

टिप्पण:- संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी की अनुपस्थिति में यदि कोई उच्च प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है तो अगले उच्च प्राधिकारी अपील प्राधिकारी तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और यदि निदेशक बोर्ड अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है तो निदेशक बोर्ड ही अपीली प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी का कार्य भी करेगा।

पवन कांत, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/4/असा./103/14]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में संख्यांक-सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 28.2.1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

- | | |
|---|---|
| 1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987 | 19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995 |
| 2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987 | 20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995 |
| 3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987 | 21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996 |
| 4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988 | 22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998 |
| 5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988 | 23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999 |
| 6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989 | 24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999 |
| 7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती, तारीख 24.11.1989 | 25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002 |
| 8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990 | 26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004 |
| 9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990 | 27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004 |
| 10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990 | 28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005 |
| 11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990 | 29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006 |
| 12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991 | 30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006 |
| 13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991 | 31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006 |
| 14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991 | 32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006 |
| 15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992 | 33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008 |
| 16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992 | 34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011 |
| 17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993 | 35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.01.2014 |
| 18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994 | 36. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 11.04.2014 |

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2014

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations 1986, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Thirty Seventh Amendment, Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, for Appendix-I, the following Appendix shall be substituted, namely:-

Appendix-I

Competent Authorities for appointment; disciplinary action and Appeals/Review
(See regulations 6,60, 68 and 69)

Sl. No.	Post	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalty		Appellate authority	Reviewing authority
			Authority	Penalty		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Group-A Officers	Managing Director	Managing Director	All	Executive Committee	Board of Directors
2.	Group-B Officers	Director (Personnel)	Director (Personnel)	All	Managing Director	Executive Committee
3.	Group C					
	Regional Office (only WAG-II)	Regional Manager of Deputy General Manager Rank and below	Regional Manager of Deputy General Manager Rank and below	All	GM (Personnel)	Director (Personnel)
		Regional Manager of General Manager Rank	Regional Manager of General Manager Rank	All	Director (Personnel)	Managing Director
	Corporate Office (For all Group C)	Deputy General Manager (Personnel)	Deputy General Manager (Personnel)	All	General Manager (Personnel)	Director (Personnel)
4.	Group D					
	Regional Office	Manager	Manager	All	Regional Manager	General Manager (Personnel)
	Corporate Office	Manager (Personnel)	Manager	All	Deputy General Manager (Personnel)	General Manager (Personnel)

Note:- In the absence of the concerned disciplinary authority, if any higher authority acts as disciplinary authority, then the next higher authority shall act as the appellate authority and the reviewing authority and in case the Board of Directors acts as disciplinary authority, the appellate authority and reviewing authority shall be Board of Directors.

PAWAN KANT, General Manager (Personnel)
[ADVT. III/4/Exty./103/14]

Note:-The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide No. CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990

9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937

No. 328]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भंडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भंडागारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडागारण निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन विनियम, 2015 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय भंडागारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के विनियम 9 के उप विनियम (ख) में निम्नलिखित को खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से इसके आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम

हो, कम न हो और उन्होने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो"।

ए. के. शर्मा, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/4/असा./103/15(216)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या-सी.डब्ल्यू.सी./14-4/स्था. तारीख 28.2.1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987	14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991
2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987	15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992
3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987	16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992
4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988	17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993
5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988	18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994
6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989	19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995
7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 24.11.1989	20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995
8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990	21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996
9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990	22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998
10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990	23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999
11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990	24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999
12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991	25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002
13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991	26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004

27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004	33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008
28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005	34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011
29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006	35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.01.2014
30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006	36. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 11.04.2014
31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006	37. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.10.2014
32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006	

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT OF INDIA UNDERTAKING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2015

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

- (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff), Amendment Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Regulation 9, in sub-regulation (B), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

“ (iv) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service”.

A. K. SHARMA, General Manager (Personnel)

[ADVT.-III/4/Exty./103/15(216)]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide notification No. CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide following notification numbers:—

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014
37. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th October, 2014

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 01, 2016/भाग 12, 1937
No. 41] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 01, 2016/ PART 12, 1937

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भंडारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के विनियम 52 के उप-विनियम (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“निगम के प्रत्येक कर्मचारी को अपने या अपने कुटुम्ब के नाम पर ली गई चल सम्पत्ति के प्रत्येक राश्व्यवहार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को संब्यवहार पूरा करने की तारीख से एक मास के भीतर तब रिपोर्ट करना होगा, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य कर्मचारी के दो मास के मूल वेतन से अधिक होगा”।

ए. के. शर्मा महाप्रबन्धक (कार्मिक)

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या-सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था., तारीख 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के द्वारा संशोधित किए गए:-

- | | |
|--|--|
| 1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख
01.04.1987 | 18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
08.03.1994 |
| 2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख
19.06.1987 | 19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
28.03.1995 |
| 3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख
19.06.1987 | 20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
14.11.1995 |
| 4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख
29.01.1988 | 21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
30.04.1996 |
| 5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख
24.06.1988 | 22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
23.05.1998 |
| 6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
09.06.1989 | 23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
19.04.1999 |
| 7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती, तारीख
24.11.1989 | 24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
10.06.1999 |
| 8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
15.10.1990 | 25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
02.12.2002 |
| 9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
26.10.1990 | 26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
27.02.2004 |
| 10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
30.11.1990 | 27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
30.07.2004 |
| 11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
21.12.1990 | 28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
28.01.2005 |
| 12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
08.02.1991 | 29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
01.02.2006 |
| 13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
17.05.1991 | 30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
31.03.2006 |
| 14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
04.10.1991 | 31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
28.11.2006 |
| 15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
18.12.1992 | 32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
28.11.2006 |
| 16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
29.12.1992 | 33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
18.07.2008 |
| 17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
17.02.1993 | 34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख
17.02.2011 |

35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख

17.01.2014

36. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख

11.04.2014

37. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख

28.10.2014

38. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख

21.09.2015

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Amendment Regulations, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in regulation 52, for sub-regulation (iii), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(iii) Every employees of the Corporation shall report to the Competent Authority each transaction in respect of movable property made either in his own name or in the name of any member of his family within one month from the date of completion of such transaction, if the value of such property exceeds two months basic pay of the employee.”

A. K. SHARMA, General Manager (Personnel)

Note:—The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide:—

- | | |
|---|--|
| 1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1 st April, 1987 | 10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30 th November, 1990 |
| 2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19 th June, 1987 | 11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21 st December, 1990 |
| 3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19 th June, 1987 | 12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8 th February, 1991 |
| 4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29 th January, 1988 | 13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17 th May, 1991 |
| 5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24 th June, 1988 | 14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4 th October, 1991 |
| 6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9 th June, 1989 | 15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18 th December, 1991 |
| 7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24 th November, 1989 | 16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29 th December, 1991 |
| 8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15 th October, 1990 | 17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17 th February, 1993 |
| 9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26 th October, 1990 | |

18.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8 th March, 1994	"	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1 st February, 2006
19.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28 th March, 1995	20.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31 st March, 2006
20.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14 th November, 1995	31.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28 th November, 2006
21.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30 th April, 1996	32.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28 th November, 2006
22.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28 th May, 1998	33.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 13 th July, 2008
23.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19 th April, 1999	34.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17 th February, 2011
24.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10 th June, 1999	35.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17 th January, 2014
25.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2 nd December, 2002	36.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11 th April, 2014
26.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27 th February, 2004	37.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 23 rd October, 2015
27.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30 th July, 2004	38.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21 st September, 2015
28.	CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28 th January, 2005		


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) (संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के परिशिष्ट 2, में "एकल सर्वग शीर्षक" के अर्न्तगत स्तंभ 1 में क्रमांक सं. 1 मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं स्तंभ सं. 2 से 11 में उनसे संबंधित प्रविष्टियां में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की सं.	वेतनपान	चयन या अचयन पद	भर्ती की पद्धति
1	2	3	4	5	6
1 मुख्य सर्तकता अधिकारी	समूह 'क'	1	75000-1,00,000/- रु. (औद्योगिक महंगाई पता)	चयन	प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में किस तरह पद भंग जाना है	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित अहर्ताएं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या आयु सीमा एवं अन्य अहर्ताएं प्रोन्नति पर लागू होंगी	टिप्पणियां
7	8	9	10	11
<p>केंद्रीय सरकार अथवा केंद्रीय पब्लिक सेक्टर स्वरूप के अधिकारी :</p> <p>(I) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो अथवा</p> <p>(II) 37,400-67,000/- रु. के वेतन बैंड में 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित ।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मुख्य सतर्कता अधिकारी को नियुक्ति के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुपालन किया जाए ।

ए. के. शर्मा, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-II/4/असा./103/(01)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या-सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था., तारीख 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987
2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988
5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988
6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989
7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती. तारीख 24.11.1989
8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990
9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990
10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990
11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990
12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991
13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991
14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991
15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992
16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992
17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993
18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994
19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995
20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995
21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996

22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998
23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999
24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999
25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002
26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004
27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004
28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005
29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006
30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006
31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008
34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011
35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.01.2014
36. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 11.04.2014
37. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.10.2014
38. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.09.2015
39. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.2015

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2015

No. CWC/XIV-4/Reett.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Amendment, Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading "ISOLATED CADRE", in column 1 for serial number 1 relating to the post of Chief Vigilance Officer and the entries relating thereto in columns 2 to 11, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Name of Post	Classification	No. of posts	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment
	1	2	3	4	5	6
"1"	Chief Vigilance Officer	Group A	1	Rs. 75,000—1,00,000 (Industrial Dearness Allowance).	Selection	Deputation

7 In case of recruitment by promotion or deputation, posts from which to be made.	8 Educational & other Qualification required for direct recruitment	9 Age-limit for direct recruitment	10 Whether age-limit and other qualifications will apply to promotees	11 Remarks
Officers of the Central Government or Central Public Sector Undertakings. (i) Holding analogous posts on regular basis, or (ii) In the pay band of Rs. 37,400—57,000 with grade pay of Rs. 10,000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Guidelines of Department of Personnel and Training and Central Vigilance Commission regarding appointment of Chief Vigilance Officers shall be followed.


A. K. SHARMA, General Manager (Personnel)

[ADVT-III/4/Exty./103/(01)]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide following notification numbers :-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006.

31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014
37. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th October, 2014
38. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st September, 2015
39. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th September, 2015


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 386]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन विनियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के विनियम के परिशिष्ट-2 में:

(क) "सामान्य प्रबंध संवर्ग" शीर्षक के अंतर्गत -

- (i) कार्यपालक निदेशक के पद के लिए क्रम सं. 1 के सामने और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	भर्ती की पद्धति
1	2	3	4	5	6
1. समूह महाप्रबंधक (साधारण)	समूह 'क'	04	51300-73000-र. (औद्योगिक मंहगाई वेतन भत्ता)	चयन	पदोन्नति न होने पर प्रतिनिधुक्ति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की स्थिति में यह किस पद से की जानी है।	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या आयु सीमा और अन्य अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी	टिप्पणी
7	8	9	10	11
<p>पदोन्नति: 43200-66000-रु. (औद्योगिक मंहगाई वेतन भत्ता) वेतनमान में 03 वर्ष की नियमित सेवा वाले साधारण प्रबंधन संवर्ग में महाप्रबंधक (साधारण) के पद पर कार्य कर रहे निगम के अधिकारी।</p> <p>प्रोन्नति से पद भरने के लिए चयन प्रक्रिया (सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार) के अतिरिक्त चयन समिति (डीपीसी) द्वारा साक्षात्कार भी लिया जाएगा। विभागीय प्रोन्नति समिति को चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देश चिन्ह का अनुपालन करना होगा जिसमें एपीआर की श्रेणीकरण को 80 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार के लिए 20 प्रतिशत महत्व देना होगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: 37400-रु. वे. और ग्रेड वेतन 8700-रु. (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता) में ऐसे अखिल भारतीय सेवाओं या केन्द्रीय सेवा संवर्ग-1 या केन्द्रीय सचिवालय सेवा वर्ग-1 से ऐसे अधिकारी सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव है, 43200-66000-रु. औद्योगिक वेतनमान में महाप्रबंधक स्तर या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी जिस के पास सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव है।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(ख) वित्त एवं लेखा संवर्ग के अंतर्गत

(II) कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) पद के लिए क्र.सं. 1 पर और उनसे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

1	2	3	4	5	6
1. समूह महाप्रबंधक (लेखा)	समूह 'क'	01	51300-73000 रु. (औद्योगिक मंहगाई वेतन भत्ता)	चयन	प्रोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

7	8	9	10	11
<p>प्रोन्नति: लेखा संवर्ग में 43200-66000- रु. के वेतनमान में महाप्रबंधक (लेखा) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पर कार्य कर रहे निगम के अधिकारी।</p> <p>प्रोन्नति से पद भरने के लिए चयन प्रक्रिया (सरकारी दिशा</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

<p>निर्देशों के अनुसार) के अतिरिक्त चयन समिति (डीपीसी) द्वारा साक्षात्कार भी लिया जाएगा। विभागीय प्रोन्नति समिति को चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देश चिन्ह का अनुपालन करना होगा जिसमें एपीआर की श्रेणीकरण को 80 प्रतिशत महत्व और साक्षात्कार के लिए 20 प्रतिशत वेटेज देना होगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: -</p> <p>संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ 37400-67000- रु. प्लस 8700/- रु. ग्रेड पे (सीडीए) में अखिल भारतीय सेवाओं अथवा केंद्रीय सेवाओं, श्रेणी-I या केंद्रीय सचिवालय सेवाओं, श्रेणी-I के कार्यरत अधिकारी।</p> <p>अथवा</p> <p>43200-66000-रु. के (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) के वेतनमान में पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में महाप्रबंधक (लेखा) के पद पर कार्यरत अधिकारी जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है।</p>				
---	--	--	--	--

ए. के. शर्मा, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/4असा./272 (103)]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या-सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 8 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्या के द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987
2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988
5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988
6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989
7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती, तारीख 24.11.1989
8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990
9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990
10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990
11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990
12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991
13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991

14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991
15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992
16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992
17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993
18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994
19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995
20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995
21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996
22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998
23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999
24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999
25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002
26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004
27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004
28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005
29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006
30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006
31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008
34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011
35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.01.2014
36. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 11.04.2014
37. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.10.2014
38. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.09.2015
39. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.2015
40. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.12.2015

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt of India Undertaking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2016

No. CWC/XIV-4/Rectf.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Amendment Regulations, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II-
 - (a) under the heading "General Management Cadre":-
 - (i) against Serial Number 1, for the post of Executive Director and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

S. No.	Name of Post	Classification	No. of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment
	1	2	3	4	5	6
"1	Group General Manager (General)	Group A	04	Rs. 51300-73000 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion, failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation, posts from which to be made.	Educational & other Qualification required for direct recruits	Age limit for direct recruits	Whether age limit and other qualifications will apply to promotees	Remarks
7	8	9	10	11
<p>Promotion: Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 43200-66000 (Industrial Dearness Allowance) in the post of General Manager (General) with 03 years regular service in the General Management Cadre. For filling up the post by promotion interview shall also be conducted by the Selection Committee (Departmental Promotion Committee) besides selection method (as per Govt. guidelines). The Departmental Promotion Committee shall adopt the method of selection by prescribing 80% weight-age of Annual Performance Report grading by following prescribed bench mark and 20% weight-age for interview.</p>	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

<p>Deputation: Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Services Class-I in the pay scale of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8700/- (Central Dearness Allowance) with 03 years experience in the relevant field.</p> <p>or</p> <p>Officers of the Public Sector Undertakings at General Manager level in the pay scale of Rs. 43200-66000/- (Industrial Dearness Allowance) with 03 years experience, in the relevant field.</p>				
---	--	--	--	--

(b) under heading of Finance & Accounts Cadre:

(ii) against serial Number 1, for the post of Executive Director (Finance and Accounts) and entries against it, the following shall be substituted namely:-

	1	2	3	4	5	6
1.	Group General Manager (Accounts)	Gr. 'A'	01	Rs. 51300-73000 (Industrial Dearness Allowance)	Selection	Promotion, failing which by deputation

7	8	9	10	11
<p>Promotion: Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 43200-66000/- in the post of General Manager (Accounts) with 03 years regular service in Accounts Cadre.</p> <p>For filling up the post by promotion interview shall also be conducted besides selection method (as per Govt. guidelines). The Departmental Promotion Committee shall adopt the method of selection by prescribing 80% weight-age to Annual Performance Report grading by following prescribed bench mark and 20% weight-age for interview.</p> <p>Deputation: Officers from All India Services or Central Services Class-I or Central Secretariat Services Class-I in the pay scale of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8700/- (Central Dearness Allowance) with 03 years experience in the relevant field.</p> <p>or</p> <p>Officers of the Public Sector Undertakings at General Manager (Accounts) level in the pay scale of Rs. 43200-66000/- (Industrial Dearness Allowance) with 03 years experience, in the relevant field.</p>	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

A. K. SHARMA, General Manager (Personnel)

[ADVT III/4/Exty./272(103)]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide Notification No. CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide following notification numbers:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014
37. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th October, 2014
38. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st September, 2015
39. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 2015
40. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th December, 2015